पंचम माला, खण्ड 47, अंक 22 शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1974 /22 अग्रहायण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLVII No. 22 Friday, December 13, 1974/ Agrahayana 22, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

[खण्ड 47 में अंक 21 से 27 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

यह लोक-सभा-वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 22, शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1974/22 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 22, Friday, December 13, 1974/Agrahayana 22, 1896 (Saka)

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	वैस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का स्वागत	Welcome to the West Indies Cricket Team	1
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता०प्र०सं० S.Q. No.			
454.	मध्यम दर्जे के और मोटे कपड़े का वितरण और बिक्री	Distribution and sale of Medium and Coarse Cloth	2–5
457.	एयर इंडिया के विमान चालकों की हड़ताल के कारण हुई हानि	Loss due to strike by Air India Pilots	5–9
458.	काफी उद्योग पर आम ऋण प्रतिबंध का प्रभाव	Impact of General Credit Squeeze on Coffee Industry	9–11
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
455.	रुपये के मूल्य में वृद्धि	Appreciation in Value of Rupee ..	11–12
456.	विदेशी फर्मों द्वारा डिस्काउंटिंग बिलों को कैश कराये जाने पर प्रतिबंध	Foreign Firms debarred from discounting Bills	12
459.	गुजरात में पर्यटन विकास योजनाएं	Tourism Development Schemes in Gujarat	12–13
460.	जीवन बीमा निगम में धोखा	Fraud in LIC	13
461.	प्रतिकर व्यापार जालसाजी	Compensatory Business Racket ..	13
462.	गोबर गैस प्लांटों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता	Financial Assistance by Nationalised Banks to Gobar Gas Plants ..	13–14
463.	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण क्षेत्र	Operational Area of Nationalised Banks	14
464.	अरण्य निवास होटल (केरल)	Aranya Nivas Hotel (Kerala) ..	14–15
465.	दिल्ली पटना के बीच उड़ान करते समय विमान में दिये जाने वाले अल्पाहार तथा चाय की किस्म	Quality of Tea and Snacks served on Delhi Patna Flights	15
466.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks to Farmers	15

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

5/L.S./75—1

ता०प्र०सं० S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
467.	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों से कंपनियों को छूट	Exemption to Companies from purview of Foreign Exchange Regulation Act, 1973	16
468.	'आंसुका' के अन्तर्गत तस्करों की गिरफ्तारी का प्रभाव	Impact of Arrest of Smugglers under MISA	16–17
469.	लाभांश पर अस्थाई प्रतिबंधों का प्रभाव	Impact of Temporary Restrictions on Dividends	17
470.	अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि पर दिया गया ब्याज	Interest paid on Collection under Small Saving Schemes	17–18
471.	भारतीय रूई निगम को हुआ घाटा	Loss incurred by CCI	18
472.	1973–74 में निर्यात से आय	Export Earnings for 1973-74	18–19
473.	गुजरात में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को दादरा और नागर हवेली के लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ले जाने की अनुमति देने के लिए आदेश	Instructions to Customs Authorities in Gujarat for allowing people of Dadra and Nagar Haveli Areas to Carry items of their Daily Needs	19

अता०प्र०सं०
U.S.Q. No.

4330.	निर्यात में कमी	Decline in Exports	19
4331.	चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings through Sugar Exports	19–20
4332.	लद्दाख में पर्यटकों द्वारा यात्रा	Tourist visiting Ladakh	20
4333.	रुपये के मूल्य में गिरावट	Fall in value of Rupee	20
4334.	गोआ को विकास कार्यों के लिये जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan given by LIC and Nationalised Banks to Goa for Development works	20
4335.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा एकाधिकार वसूली योजना के लिये मांगी गई ऋण सुविधाएं	Credit facilities sought for by Maharashtra Government for monopoly procurement Scheme	21
4336.	जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये धन का विनियोजन	Amount invested by LIC for Development of backward areas of Rajasthan	21–22
4337.	केरल फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना	Crash of a Plane of Kerala Flying Club	22
4338.	सरकारी क्षेत्रों में संचालित होटलों को लाभ/हानि	Profit/Loss of Hotels being run in Public Sector	23

अता०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4339.	जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को सूखे तथा बाढ़ के लिए ऋण दिया जाना	Loan provided by LIC to States for Drought and Flood	23
4340.	विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 75 व्यापार गृहों को दिये गये ऋण	Credit extended by various Financial Institutions and Nationalised Banks to 75 Businesses Houses	23-25
4341.	जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा को ऋण दिया जाना	Loan given by LIC and Nationalised Banks to Orissa	25
4342.	व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा विदेशी क्रेताओं को व्यापार सम्बन्धी जानकारी देना	Grant of Trade Enquiries to Foreign Buyers by Trade Development Au hority	25-26
4343.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रायल्टी तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगी जमा कराने के लिए अनुदेश	Instruction to Public Sector Undertaking for depositing Royalty/Ex-gratia Arrears	26
4344.	आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ	Aayakar Sanyukt Karamchari Sangh	26
4345.	ईरान से सहायता	Assistance from Iran	26
4347.	सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अफीम की तस्करी	Smuggling of Opium in connivance with Government Officials ..	2
4348.	माडर्न बाजार, बसन्त बिहार, दिल्ली में आयातित माल की बिक्री	Sale of Imported Goods in Modern Bazar, Vasant Vihar, Delhi ..	27
4349.	सब के लिए पेंशन योजना आरंभ करना	Introduction of Pension Scheme for All	27
4350.	भारत में अमरीकी निजी पूंजी का निवेश	American Private Investment in India	27-28
4351.	ब्रिटेन से ऋण	Loan from U.K.	28
4352.	व्यापार योजना तैयार करने के लिए रुमानिया के एक दल द्वारा भारत का दौरा	Visit to India by Romanian Team to work out Trade Plan ..	28
4353.	उड़ीसा में सूखा राहत कार्यों पर व्यय	Expenditure on Drought Relief Work in Orissa	28-29
4354.	निर्यात निरीक्षण परिषद के क्रियाकलाप	Activities of Export Inspection Council	29-30
4355.	मारुति लिमिटेड के अंशधारियों पर करों से बकाया राशि	Arrears of Taxes against Share Holders of Maruti Ltd...	30
4356.	बजट से पहले तेल कम्पनियों द्वारा टैंकरों को 'डी-वाण्ड, करने के कारण राजस्व की हानी	Loss of Revenue due to De-bonding of Tankers by Oil Companies before Budget	30

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4357.	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये तस्कर	Smugglers arrested under MISA	0
4358.	तस्करी की वस्तुएं ले जाने वाली अरबी नौकाएं	Arab Dhows carrying smuggled Goods	31
4359.	मध्य प्रदेश के लिये विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान करना	Special Financial allocations for Madhya Pradesh	31
4360.	संभलपुर में जाली सिक्कों की गैर कानूनी फैक्टरी	Illegal Factory of Fake Coins in Sambhalpur	31
4361.	भारत की स्थिति के बारे में विश्व बैंक की समीक्षा	World Bank Assessment on Indian Conditions	31–32
4362.	औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का अनुपात	Investment ratio in Industrial Sectors	32
4363.	राज्यों में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank assistance for projects in States	33
4364.	भारत और बंगला देश के बीच पारस्परिक व्यापार के लिए रचनात्मक कार्यक्रम	Realistic Programme for Mutual Trade between India and Bangladesh	33
4365.	राज्यों को विभिन्न रूपों में दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance in various Forms given to States	33–34
4366.	केन्द्रीय सेवाओं में नई भरती पर लगी रोक के परिणामस्वरूप बचत	Savings as a result of ban on new recruitment to Central Services..	34
4367.	जीवन बीमा निगम के लाभ में कमी	Fall in Profit of LIC	34–35
4368.	अमरीका को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textile to USA ..	35
4369.	होल्कर महल की बिक्री	Sale of Holker Palace..	35
4370.	विभिन्न राज्यों के कपड़ा निगमों के पास सूत का स्टाक जमा हो जाना	Accumulation of Stocks of yarn with Textile Corporations of various States	36
4371.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्कसेलसियर प्लांटस कारपोरेशन लिमिटेड में पूंजी निवेश	Amount invested by IDBI and IFC in Excelsior Plants Corporation Limited	36–37
4372.	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से लेखा बाह्य धन का बरामद होना	Seizure of unaccounted money from individuals arrested under Essential Commodities Act	37–38
4373.	गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों को भेजे गय केन्द्रीय दलों के निष्कर्षों पर निर्णय	Decisions on the findings of Central Teams sent to States of Gujarat, Rajasthan and Orissa	38

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4374.	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रेस पार्टियों के लिये भ्रमणों का आयोजन	Trips arranged by Indian Airlines for Press Parties	38
4375.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा जमानत के रूप में प्राप्त धन राशि	Security Deposit received by Hindustan Lever Limited	39
4376.	बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमैन द्वारा कम्पनियों को ऋण	Loans Advanced by Chairman of Bank of Baroda to Companies ..	39
4377.	दमन में तस्करों की गतिविधियों का फिर से शुरू होना	Revival of Smugglers Activities in Daman	39–40
4378.	अंतराष्ट्रीय लौह अस्यक समुदाय बनाया जाना	Formation of International Iron Ore Club	40
4379.	विष्णु शूगर मिल्स लिमिटेड, गोपालगंज द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुत किया गया	Filing of Income Tax Returns by Vishnu Sugar Mills Limited, Gopalganj	40
4380.	पाकिस्तान के साथ विमान सम्पर्क बहाल करना	Resumption of Air Links with Pakistan	40–41
4381.	राष्ट्रीय पर्यटक योजना	National Tourist Plan	41
4382.	उदयपुर हवाई अड्डा	Udaipur Aerodrome	41
4383.	तस्करों के साथ मिलिभगत वाले अधिकारी	Officers Connivance with smugglers	41
4384.	बैंकों में अस्थाई नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव	Proposal to cancel Temporary Appointments in Banks ..	42
4385.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कम्पनी की जमा राशियों के बारे में जारी किए निर्देश	Directives issued by RBI on Company Deposits	42–43
4386.	आर्थिक अपराधों के लिए विदेशियों की गिरफ्तारी	Arrest of Foreigners for economic Offences	43
4387.	जीवन बीमा निगम द्वारा नई प्रोपोजल पालिसियों का जारी किया जाना	Issuing of New Proposal Policies by L.I.C.	43–44
4388.	हथकरघा उद्योग के लिए पृथक आयुक्त की नियुक्ति	Setting up of a separate Commissioner for Handloom Industry ..	44
4389.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये मांगी गई अतिरिक्त सहायता	Additional Assistance asked for by West Bengal Government for Rural Works Programme	44–45
4390.	आयात/निर्यात व्यापार में आर्थिक अपराधों की घटनाएं	Incidents of Economic Offences in Import/Export Business ..	45

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4391.	मूल्य निर्धारण नीति का पुनर्विलोकन	Review of pricing policy ..	45
4392.	'आंसुका' के अन्तर्गत तस्करों की नजरबन्दी	Detention of Smugglers under MISA	45-46
4393.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की मुअत्तिली	Suspension of RBI Employees	46
4394.	अशोका होटल में रिवाल्विंग टावर रेस्टोरेन्ट का निर्माण कार्य	Construction work of Revolving Tower Restaurant in Ashoka Hotel	46
4395.	निर्यात गृहों को सहायता	Assistance to Export House	47
4396.	बड़े ऋणों की सीमाओं पर और आगे रोक लगाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किये गये निर्देश	Instructions issued by RBI for further Restraints on Large Credit Limits	47
4397.	नई दिल्ली से मैक्सिको के लिये हवाई जहाज द्वारा बुक किया गया सामान	Consignment booked as Air Freight from New Delhi to Mexico ..	47-48
4398.	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के क्षेत्र में भाग लेने पर ऋण संबंधी सीमाओं को बढ़ाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines issued by RBI for extension of Credits Limits on a consortium Participation. ... —	48-49
4399.	काली-सूची में उल्लिखित निर्यातकर्ता	Black listed Exporters	49
4400.	अंतर्राष्ट्रीय-हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करना	Steps to strengthen security measures at international Airports ..	49-50
4401.	एल्यूमिनियम के आयात में विलंब के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Foreign Exchange loss due to delay in import of Aluminium .. —	50
4402.	पंजाब में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax In Punjab ..	50
4403.	राशन कार्डों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित कपड़े का वितरण	Distribution of controlled cloth on the basis of ration cards in rural areas — — — ..	50-51
4404.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऋण लेना	Raising of loan by Government of Madhya Prades	51
4405.	जीवन बीमा निगम के बम्बई स्थित कार्यालय का स्थान	Accommodation of office of LIC Bombay	51
4406.	मध्य प्रदेश में अल्कालायड परियोजना	Alkaloid Projects in M.P. —	52
4407.	चाय उद्योग का विस्तार	Expansion of Tea Industry	52-53

ता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
4408.	अहमदाबाद, पोरबन्दर और केशोड से गुजरात स्थित गीर फोरेस्ट को विमान सेवा	Air service from Ahemdabad, Porbunder and Keshod to Gir Forest in Gujarat	53
4409.	पटसन श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Jute workers ...	53–54
4410.	उत्पादकों से कच्चे पटसन की खरीद	Purchase of raw jute from growers..	54
4411.	हिन्द साईकिलों का विभिन्न देशों को निर्यात	Export of Hind Cycles to various countries	54–55
4412.	'क' तथा 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा का आयोजन	Conducting of a competitive test by RBI for appointment of 'A' and 'B' class Officers	55
4413.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाई गई पूंजी का प्रतिलाभ	Return on capital employed in Public Sector Undertakings	55–56
4414.	आयकर अधिकारियों द्वारा मेरठ एवं कानपुर में छापे	Raids by Income Tax Authorities in Meerut and Kanpur	56
4415.	भारतीय पटसन निगम की पटसन मिलों से बकाया राशि	Amount due from Jute Mills to J.C.I.	56
4416.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त उपलब्धियों का भुगतान	Payment of Additional Emoluments to Central Government Employees	56–57
4417.	जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण दिया जाना	Grant of Loan by LIC to Government Employees for Construction of Houses	57
4418.	भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	Scheduled Caste Employees in ITDC Hotels	57–58
4419.	जिला कटक (उड़ीसा) में पर्यटन केन्द्रों (टूरिस्ट काम्पलेक्स) का विकास	Development of Tourist complex in District Cuttack (Orissa).. ..	58
4420.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की ढुलाई	Transportation of Iron Ore by MMTC	58
4421.	मैसर्ज राम बहादुर ठाकुर द्वारा कम राशि के बीजक बनाये जाने का आरोप	Alleged under invoicing by Messers Ram Bahadur Thakur	58–59
4422.	अहमदाबाद में नये हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of new Airport at Ahemdabad	59
4423.	कानपुर में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities in Kanpur	59
4424.	पश्चिम योरुप को चमड़े से बने सामानों की सप्लाई	Supply of Leather Goods to Western Europe	60

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
4425.	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of S.C. and S.T. in the Offices under Ministry of Tourism and Civil Aviation ..	60
4426.	जापान से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from Japan	61
4427.	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में अभी हाल में हुई कमी का निर्यात पर प्रभाव	Effect on Exports due to recent fall in prices of Exportable Commodities	61
4428.	गोआ के अयस्क निर्यात कर्ताओं द्वारा बीजकों में कथित गड़बड़	Alleged invoice Manipulation by Goa Ore Exporters	61
4429.	सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग	Heavy Industries in Public Sector ..	61–62
4430.	राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा 20 बड़ी कम्पनियों/व्यक्तियों को मंजूर किये गये ऋण	Loans sanctioned by Nationalised Banks and State Bank of India to top twenty parties/persons ..	62
4431.	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कृत बैंकों की इमारतें	Buildings of Nationalised Banks in Himachal Pradesh..	62
4432.	विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं	Branches of Indian Banks in Foreign Countries	63
4433.	ब्याज की बढ़ाई हुई दरों के परिणामस्वरूप बैंक की जमा राशि में वृद्धि	Increase in Bank Deposits as a result of Enhancement in Rates of Interest	64
4434.	कपड़ा निर्यातकों को बैंक ऋणों संबंधी आवश्यकताएं	Credit Requirements of Cloth Exporters from Banks	64
4435.	बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पर्यटन	Mass tourism	64–65
4436.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋणों पर लागू किये गये प्रतिबंधों से प्रभावित उद्योग	Industries affected by credit squeeze imposed by RBI	65
4437.	वर्ष 1974–75 में गोआ के लिये मंजूर की गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks sanctioned for the year 1974-75 in Goa	65–66
4438.	जीवन बीमा निगम द्वारा गोआ के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निवेशित की गई राशि	Amount invested by LIC for development of backward areas of Goa..	66
4439.	गोआ के बुनकरों द्वारा धागे की मांग	Demand for yarn by weavers of Goa	66
4440.	वर्ष 1974–75 में राजस्थान के लिये मंजूर की गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks sanctioned for the year 1974-75 in Rajasthan	66–67
4441.	जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान को विकास कार्यों के लिये दिये गये ऋण	Loan given by LIC and Nationalised Banks to Rajasthan for development works ..	67

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4442.	राजस्थान के बुनकरों द्वारा धागे की मांग	Demand for yarn by weavers of Rajasthan	67
4443.	पाकिस्तान के साथ विमान सेवा संबंधों को पुनः-स्थापित करना	Restoration of Air Links with Pakistan	67–68
4444.	पाकिस्तान से रुई का आयात	Import of Cotton from Pakistan ..	68
4445.	1 नवम्बर, 1974 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 188	Flight No. 188 of Indian Airlines on 1-11-74	69
4447.	अमरीका को विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करने वाले निर्यातकों को वीजा	VISA for export of various items to U.S...	69
4448.	स्कूल बैंक योजना	School Bank Scheme	69–70
4449.	उड़ीसा में 1974–75 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की मंजूर की गई शाखाएं	Branches of Nationalised Banks sanctioned for the year 1974-75 in Orissa	70–71
4450.	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई धनराशि	Amount invested by LIC for development of backward areas of Orissa	71–72
4451.	उड़ीसा के बुनकरों द्वारा यार्न की मांग	Demand for yarn by Orissa weavers	72
4452.	भारतीय पटसन निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के सहकारी विभाग से कच्चे पटसन की खरीद	Purchase of raw jute by JCI from Cooperative Department of West Bengal	72
4453.	कोयला कम्पनियों द्वारा पूंजी का एकत्रित किया जाना	Capital raised by Coal Companies ..	72–73
4454.	गैर निगमित क्षेत्र में सांझेदारी और पूर्ण स्वामित्व वाली फर्मों के लिए अनिवार्य लेखा परीक्षा समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to drop Compulsory Audit for Partnership and Proprietor ship Firms in the Non Corporated Sector	73
4455.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को दिये गये ऋणों की वसूली	Realisation of amount advanced by Nationalised Banks to farmers of Madhya Pradesh	73
4456.	मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in Madhya Pradesh	74
4457.	हथकरघा उद्योग संबंधी सोमनाथन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Somanathan Committee on handloom industry	74
4458.	कोरापुट जिला उड़ीसा के कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by nationalised banks to agriculturists of Koraput district Orissa	74
4459.	दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ के 'नोटिस सर्वरों', द्वारा अभ्यावेदन	Representation of Notice Servers by Delhi Aayakar Sanyukt Karamchari Sangh..	74–75

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4460.	विदेशों में गए शिष्टमंडल	Delegations visited Foreign Countries	75
4461.	इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों को भोजन देना	Serving of Meals to Passengers of Indian Airlines	75
4462.	विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश	Investment of Capital by Indians living abroad	75–76
4463.	न्यू इंडिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड में प्रशिक्षणार्थी क्लेम इन्सपेक्टरों के लिए निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव	Qualifications and Experience prescribed for Trainee Claims Inspectors I in New India Assurance Co. Ltd.	76
4464.	जीवन बीमा निगम के निवेशों की लाभप्रदता की दर	Rate of Profitability of LIC Investments	76–77
4465.	दाउदी बोहराओं के डाई द्वारा कथित आर्थिक अपराध	Alleged Economic offences by Dai of Dawoodi Bohras	77–78
4466.	उत्तर भारत के रूई उत्पादकों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Submission of a Memorandum by Cotton Growers of North India	78
4467.	न्यायालयों द्वारा रिहा किये गये तस्करों के विरुद्ध आर्थिक अपराधों के मामले	Cases of Economic Offences against Smugglers Released by Courts ..	78
4468.	एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस में कर्मचारियों की नियुक्ति	Deployment of Staff in Air India and Indian Airlines	79
4469.	"सैंड स्कीइंग" को प्रोत्साहन देने की योजना	Scheme to Encourage sand skiing ..	79
4470.	दक्षिण भारत में तम्बाकू उत्पादकों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Submission of a Memorandum by Tobacco Growers of South India	79
4471.	विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Companies	79–80
4472.	कुटीर उद्योगों द्वारा मोटे कपड़े का उत्पादन	Production of Coarse Cloth by Cottage Industries..	80
4473.	कुली मस्तान के साथ एक मुख्य मन्त्री की कथित भेंट	Alleged meeting of a Chief Minister with Coolie Mastan	80
4474.	अमरीका को ढलवे लोहे का निर्यात	Export of Cast Iron to USA..	81
4475.	प्राकृतिक रबड़ के निम्नतम समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण	Revision in Minimum Support Price of Natural Rubber	81
4476.	कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Development of Calcutta	81–82
4477.	धागे की कमी का बुरहानपुर में विद्युत चालित करघा उद्योग पर प्रभाव	Effect of Shortage of Yarn on Powerloom Industry in Burhanpur ..	82

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4478.	विश्व बैंक विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था का अध्ययन	Study on Indian Economy by World Bank's Development Research Centre	82
4479.	कपड़ों के उत्पादन के लिए सतत दायित्व की योजना	Scheme for a Continued Obligation for Production of Textiles ..	82
4480.	फिल्म उद्योग में उपयुक्त कालाधन	Black Money used in Film Industry..	83
4482.	भारतीय रुई निगम का बाजार में प्रवेश न करना	Non Entry of CCI into Market ..	83
4483.	भारतीय फिल्मों की तस्करी में सरकारी अधिकारियों की कथित सांठ गांठ	Alleged Connivance of Government Officials in Smuggling of Indian Films	83–84
4484.	विमान यात्री जालसाजी में एयरलाइनों का हाथ होना	Airlines Involved in Air Passenger Racket	84
4485.	एयर इंडिया एम्पलाइज गिल्ड को मान्यता	Recognition of Air India Employees Guild	84
4486.	सिकन्दराबाद में जेवरातों का पकड़ा जाना	Seizure of Jewellery in Secunderabad	84
4488.	राज्यों में पर्यटन विकास निगमों की स्थापना	Setting up of Tourism Development Corporations in States	85
4489.	भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद	Procurement of Jute by JCI.. ..	85
4490.	काफी बोर्ड के बारे में सरकार का दृष्टिकोण	Government's attitude towards Coffee Board	85–86
4491.	अर्ध तैयार भारतीय माल का जापान द्वारा आयात	Import of semi processed Indian Goods by Japan	86
4492.	मध्य पूर्व के देशों में भारतीय पर्यटन कार्यालय की स्थापना	Location of Tourist Office in Middle East	86
4493.	विदेशी कम्पनियों का आयात तथा निर्यात	Imports and Exports of Foreign Companies	86–87
4494.	पटसन की खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम के लिए राशि	Funds for JCI for purchase of Jute..	87
4495.	इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया गया अनुसंधान कार्यक्रम	Research Programme chalked out by Institute of Public Administration	87
4496.	देश में कृषि बैंक खोलने का प्रस्ताव	Proposal to start Agricultural Banks in the country	87–88
4497.	पूर्व चम्पारन (बिहार) में चाकिया में जूट मिल की स्थापना	Setting up of jute mill at Chakia in East Champaran (Bihar)	88
4498.	परिचालित मुद्रा	Amount of money in circulation ..	88
4499.	यूरोपीय सांझा बाजार के साथ व्यापार	Trade with ECM	88

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4500.	राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States	89
4501.	भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की खरीद बन्द किया जाना	Non purchase of cotton by CCI	89
4502.	विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan	89
4503.	पटसन उद्योग की वित्तीय आवश्यकता के बारे में अनुमान	Assessment of Financial requirements of Jute Industry	90
4504.	दादरा और नागर हवेली के क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं ले जाने में ढील	Relaxation in transportation of essential items to areas of Dadra and Nagar Haveli	90
4505.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness allowance to Central Government employees	90
4506.	विभिन्न संगठनों द्वारा अनिवार्य जमा योजना को हटाने के लिए अभ्यावेदन	Representations from various organisations for withdrawal of Compulsory Deposit Scheme	90–91
4507.	ओंकारलाल मिन्त्री के निवास स्थान और व्यापारिक स्थानों पर छापा	Raids on Onkarlal Mintri	91
4508.	गया गंगा टी एस्टेटस	Gaya Ganga Tea Estates	91–92
4509.	चाय का कारोबार करने वाली फर्मों से उर्वरकों का प्राप्त होना	Fertilisers received by various firms dealing in tea	92
4510.	सरकारी एजेंसी के माध्यम से व्यापार नीति (कैनेलाइजेशन पालिसी) पर कौल समिति द्वारा प्रतिवेदन	Report by Kaul Committee on Canalisation Policy	92
4511.	अलाभप्रद काफी बागान	Uneconomic Coffee Gardens..	93
4512.	आयात सलाहकार समितियों की बैठकें	Meetings of Import Advisory Committee	93
4513.	निर्यात सनवर्धन के लिये फर्मों/कम्पनियों को दी गई सुविधाएं	Facilities granted to firm/companies due to export promotion	93
4514.	तस्करी के सामान की बिक्री	Sale of smuggled goods	93
4515.	'व्हिस्की कन्सेन्ट्रेट' का मामला	Whiskey concentrate case	94
4516.	आयात लाइसेंसों की सुविधा का दुरुपयोग करने वाली फर्में और कम्पनियां	Firms and Companies abusing facility of Import Licences	94–95
4517.	विदेशी सहयोग करारों का अध्ययन करने हेतु सैल	Cell to study Foreign Collaboration Agreements..	95
4519.	वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में गृह–निर्माण प्रयोजनों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loan given by LIC for House Building purposes during 1971-72, 1972-73 and 1973-74	95–96

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4520.	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore ..	96
4521.	कमर्शियल और कोआपरेटिव बैंकों पर सरकार का नियन्त्रण	Control of Government over the Commercial and Cooperative Banks	96
4422.	राज्य व्यापार निगम के स्टाक में माल जमा होना	Accumulation of stocks with STC ..	96–97
4523.	फलों का निर्यात	Export of Fruits	97
4524.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कारखानों की पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाना	Raising of investment limits to Units by Nationalised Banks	97–98
4525.	राज्य व्यापार निगम का ईरान के साथ सीमेंट का सौदा	STC's Cemont deal with Iran..	98
4526.	मिल का बना कपड़ा नियन्त्रित निर्धारित दरों पर उपलब्ध किया जाना	Availability of Controlled Mill made Cloth at Stipulated Prices ..	98–99
4527.	अनिवार्य निर्यात तथा आयात प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा	Review of Compulsory Exports and Imports Replenishment Schemes	99–100
4528.	चरस की तस्करी में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों का अन्तर्ग्रस्त होना	Involvement of Indian Airlines Staff in Smuggling of Charas	100
4529.	गैर-उत्पादक व्यय को कम करने के लिए लागू किये गये विशेष उपाय	Special measures introduced to cut down unproductive expenditure ..	100–101
	श्री आर० एन० गोयन्का, संसद सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shri R.N. Goenka, M.P. ..	103–109
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ..	109–113
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	113
	विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	Assent to Bill ..	113
	सभा का कार्य	Business of the House	113–114
	श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah ..	113
	कार्यमन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee —	114
	50वां प्रतिवेदन – स्वीकृत	Fiftieth Report — Adopted	114
	विधेयक पुर: स्थापित –	Bills Introduced —	
	(1) फसल बीमा निगम विधेयक श्री यमुना प्रसाद मंडल का।	Crop Insurance Corporation Bill by Sh. Yamuna Prasad Mandal ..	117

अता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 तथा 155 का संशोधन), डा० मधु दंडवते का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 124 and 155) by Prof. Madhu Dandavate	117
	पंचायती राज के माध्यम से आयोजन तथा विकास विधेयक —वापस लिया गया	Planning and Development Through Panchayat Raj Bill — *Withdrawn*	
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
	श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	118
	श्री गिरधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomange	118–119
	श्री था किरुत्तिनन	Shri Tha Kiruttinan ..	119–120
	श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	120–121
	श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan ..	121
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	121
	श्री लालजी भाई	Shri Lalji Bhai	121–122
	श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakappa	122–123
	श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan ..	123–124
	श्री शिव नाथ सिंह	Shri Shivnath Singh ..	124
	श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे	Shri Annasaheb P. Shinde ..	124–125
	श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	125–126
	संविधान (संशोधन) विधेयक —	Constitution (Amendment) Bill —	
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
	श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulganambi..	126
	आधे घंटे की चर्चा—	Half an hour Discussion —	
	निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्पत्ति की घोषणा	Declaration of Assets by the Elected Representatives ..	126–128
	प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate ..	126–127
	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy ..	128

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1974/22 अग्रहायण, 1896 (शक)
Friday, December 13, 1974/Agrahayana 22, 1896 (Saka)

सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The House met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

वैस्ट इंडियन क्रिकेट टीम का स्वागत
Welcome to the West Indies Cricket team

अध्यक्ष महोदय : माननीय, सदस्य गण : सर्व प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से वैस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान क्लाइव लायड तथा टीम के अन्य खिलाड़ियों, जो इस समय अध्यक्ष गैलरी में बैठे हुये हैं, का स्वागत करते हुये हार्दिक प्रसन्नता होती है। हम उनके माध्यम से खेल प्रेमी तथा अत्यन्त प्रेमी वैस्ट इंडियन लोगों के प्रति अपनी शुभ-कामनाएं प्रेषित करते हैं।

हमारी संसद में भी संसद सदस्यों का एक क्रिकेट क्लब है।

श्री एस०एम० बनर्जी : मैं भी एक सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैंने उनका अपने कप्तान श्री के० पी० सिंह देव से परिचय कराया है जो बहुत ही युवा सदस्य हैं और जो उनके साथ इस समय गैलरी में बैठे हुये हैं।

हमारी टीम भी विश्व प्रतिष्ठा की टीम है। परन्तु हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर नहीं है। हमें अपनी प्रतिस्पर्धाओं से ही समय नहीं बचता है। मैं उनकी ओर से भी वैस्ट इंडियन टीम का स्वागत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आज हमें 'बोडी लाइन' गैंदबाजी करनी चाहिय।

अध्यक्ष महोदय : कल सभा में कई बार गणपूर्ति नहीं थी क्योंकि सभी सदस्य टेलिविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। अब आप लोग स्वयं उन्हें यहां देख सकते हैं।

श्री बसन्त साठे : हम देख सकते हैं कि यहां बम्पर्स किस प्रकार फैंके जाते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मध्यम दर्जे के और मोटे कपड़े का वितरण और बिक्री पर नियंत्रण·

*454 **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मध्यम दर्जे के और मोटे कपड़े की बिक्री और वितरण पर कड़ा नियन्त्रण रखने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) कन्ट्रोल के कपड़े के नाम से प्रसिद्ध कोर्स तथा मीडियम कपड़े की कतिपय विशिष्ट किस्मों के वितरण पर पहले से ही नियंत्रण है। कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ और उससे सम्बद्ध सहकारी समितियों तथा मिलों की अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जाता है। अब राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे 400 रु० मासिक से कम आय वाले व्यक्तियों को तथा राशन कार्डों/घरेलू सामान के कार्डों के आधार पर कन्ट्रोल का कपड़ा बेचें।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय को उपभोक्ता सहकारी समितियों, जो पूरी ही नामित होती हैं, निर्वाचित निकाय नहीं हैं, द्वारा नियंत्रित किस्म के कपड़े के वितरण में किए जा रहे कदाचारों का पता है। सप्लाई में कमी तथा सप्लाई में अनियमितताओं से ये कदाचार होते हैं। यदि उन्हें इन कदाचारों के बारे में पता है तो इन्हें दूर करने के लिये वे क्या कदम उठा रहे हैं।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : कदाचारों की कुछ रिपोर्टें हमारे ध्यान में लाई गई हैं। ये कदाचार व्यक्तिगत हैं, सहकारिताओं के नहीं। सहकारिताओं के कार्यों अथवा बुरे कार्यों की देख भाल करने का कार्य राज्य सरकारों का है। यदि हमारे ध्यान में वे इसे लाते हैं, तो हम आवश्यक कार्यवाही करते हैं। सहकारिताओं द्वारा कदाचारों के कोई विशिष्ट आरोप हमारे ध्यान में नहीं लाये गये हैं, परन्तु लोगों ने हमें घटिया कपड़ा दिखाया है।

जहां तक कमी की बात है विभिन्न किस्म के कपड़ों, धोती, साड़ियां, लट्ठा, शर्टिंग आदि के बीच असमानता है। कुछ मिलें केवल लट्ठा बनाती हैं, तथा धोती और साड़ियां बहुत कम बनाती हैं। यह असमानता वहां पाई जाती है। यह बात हमारे ध्यान में लायी गयी है। हम प्रत्येक मिल से कह रहे हैं कि वे नियंत्रित किस्म के विभिन्न प्रकार के कपड़ों का अपना अपना नियत कोटा तैयार करें।

श्री हरि किशोर सिंह : मेरा ऐसा विचार है कि नगरीय केन्द्रों को ग्रामीण केन्द्रों की अवहेलना कर अधिक कपड़ा दिया जाता है क्योंकि नगर के लोग कुछ अधिक शोर शराबा कर सकते हैं और उनकी सत्ताधारियों तथा मंत्रियों तक पहुंच भी है। क्या नगर तथा ग्रामीण केन्द्रों के बीच वितरण की असमानता को दूर किया जायेगा।

इस संदर्भ में अंतिम तिमाही में बिहार राज्य को कितना कपड़ा दिया गया है और दिल्ली तथा बम्बई जैसे नगरों को सप्लाई किये गये कपड़े की तुलना में इसकी स्थिति क्या है।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि अब तक नियंत्रित किस्म का कुल कपड़ा नगरों को ही अधिक दिया गया है क्योंकि वितरण प्रक्रिया गांवों तक नहीं फैलाई जा सकी है। परन्तु इस बात का ध्यान रखने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं कि अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में अर्थात् 15,000-20,000 तक आबादी वाले स्थानों पर वितरण प्रक्रिया उपलब्ध हो।

श्री हरि किशोर सिंह : गांवों के बारे में उनका क्या विचार है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अंतर्गत नई फुटकर दुकानें खोलने की संभावना का पता लगायें अत: गांव-गांव, नगर-नगर में दुकानें खोली जा सकें। परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा, यह एक प्रशासनात्मक समस्या है और पैसे की भी समस्या है परन्तु कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Dhanshah Pradhan : I would like to place before you the cloth being given to tribal areas by these societies tribals are being given half-meter piece of Controlled cloth which cannot be utilized properly....

Mr. Speaker : Please, do not do it. If sometimes some truck is defective, you will bring that in the House.

Shri Dhanshah Pradhan : May I know whether the Government propose to supply adequate quantity of controlled cloth to the tribals and what arrangements are being made in this regard? May I also know whether the hon. Minister would look into it as to why controlled cloth in adequate quantity has not been supplied to these people?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि स्टैण्डर्ड किस्म के कुछ कपड़े वास्तव में घटिया हैं और इस विषय में हम एन० टी० सी० से बात कर रहे हैं। मैंने अपने साथी श्री पाई से भी बात की है और हमने दिखाये गये कुछ नमूने देखे हैं, ऐसा ही एक नमूना माननीय सदस्य ने अभी अभी दिखाया है। हम वितरण प्रक्रिया का विस्तार कर रहे हैं और इस तथ्य से कि हम 400 रुपये से कम आय वालों को ही स्टैण्डर्ड कपड़ा देने की बात पर बल दे रहे हैं यही ज्ञात होता है कि हम आदिवासियों सहित निर्धन वर्ग के लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं।

डा० कैलाश : ऐसा अनुमान किस प्रकार लगाया गया है कि एक वर्ष में केवल 10 मीटर कपड़ा, 2 धोती तथा 2 साड़ियां मिलेंगी? यह अपर्याप्त हैं। क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि यह सप्लाई अपर्याप्त है और प्रणाली का उपहास मात्र है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मार्च, 1964 तक केवल 40 करोड़ मीटर उत्पादन हुआ। इस वर्ष अप्रैल से हमने इसे बढ़ा कर 80 करोड़ मीटर कर दिया है जो कुल उत्पादन का 24 प्रतिशत है। यह सच है कि यह भी पर्याप्त मात्रा नहीं है और हम इसमें और वृद्धि करने की बात सोच रहे हैं।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को देखते हुये कि सरकार समस्या से अवगत है मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है जिसे यह सुनिश्चित कराने के लिए प्रयोग किया जायेगा कि कपड़ा देश में काले बाजार में न बिके।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : वर्तमान समय में पांच प्रकार की वितरण प्रणाली है। (1) मिलों की अपनी प्राधिकृत फुटकर दुकान है (2) सरकारी क्षेत्र में सुपर बाजार (3) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्त संघ तथा उनसे सम्बद्ध सहकारी संस्थान (4) राज्य सरकारों द्वारा मंजूर उचित दर दुकान और (5) सरकार द्वारा स्वीकृत कोई अन्य सहकारी एजेंसी। जैसा कि मैंने बताया है हम प्रणाली का और विस्तार करने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government have accepted that number of shops for distribution of coarse cloth in the country is less. May I know the number of shops, statewise, the Government propose to open in order to ensure adequate quantity of cloth to all the Consumers? May I also know whether the Government have received complaints from the retail shops to the effect that the roll of cloth marked 20 metres is found 18 metres? Such a complaint regarding a Gwalior Birla Mill was made. I want to know the action taken thereon as well as the steps taken to ensure that the roll of cloth will not be short in length.

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : हमें एक ऐसी शिकायत मिली है। हमारे एक साथी ने यहां ही एक शिकायत की है। हमने वस्त्र आयुक्त को इस मामले की जांच करने के लिये कहा है। जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलेगी, यदि आवश्यक हुआ तो दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक वितरण यूनिटों का सम्बन्ध है उनकी संख्या के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि इनकी संख्या बढ़ी है और बढ़ रही है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अधिक क्षेत्र में वितरण के लिये हम वस्त्र आयुक्त के ध्यान में शिकायतें लाने तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम और गैर सरकारी क्षेत्र में निकट का सहयोग करने के लिये राज्य सरकारों को अनुमति देने की बात सोच रहे हैं ताकि वितरण के अधिक केन्द्र खोले जा सकें। राष्ट्रीय वस्त्र निगम से बहुत से केन्द्र खोलने के लिये कहा गया है और उन्हें इसकी अनुमति दी गई है। राज्य सरकार की सहायता से सतर्कता भी बरती जा रही है। यही कुछ उपाय कदाचारों को दूर करने के लिये अथवा कम करने के लिये तथा अधिक क्षेत्र में वितरण सुलभ कराने के लिये किये जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked about the enquiry made on the complaint as well as the results achieved ? When will the report be available ? One year has passed. We have been informed that the report is being influenced. May I know the time by which the report will be received ?

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : बिड़ला आदि कोई भी हो, यदि आरोप प्रमाणित हो जाता है तब दंड दिया ही जायेगा।

प्रो० के० गोपाल : मंत्री महोदय ने बताया है कि नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन 400 से बढ़ाकर 800 मिलयन मीटर किया जा रहा है। मेरे विचार से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या यह सच नहीं है जो मिलें नियंत्रित किस्म का कपड़ा बनाती हैं, जब वे नहीं बना पाती हैं, तब केवल 2.50 रुपये प्रति वर्गमीटर का जुर्माना किया जाता है जिसे वे स्वेच्छा से दे देते हैं इसका परिणाम यह है कि केवल राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें ही घाटे से नियंत्रित किस्म का कपड़ा बना रही हैं। क्या इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि मिलें अपना निर्धारित कोटा तैयार करें और यदि न करें तो क्या उन्हें कड़ा दंड दिया जायेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहले नियंत्रित कपड़े के उत्पादन दायित्व के हस्तांतरण की अनुमति दी जाती थी। यदि कुछ मिलें स्टेण्डर्ड कपड़े का उत्पादन करना कठिन अथवा असंभव पाती थी तो वे अपना दायित्व दूसरी मिलों को दे देती थी क्योंकि उनके पास ऐसी मशीने होती थीं जिनसे इस प्रकार का कपड़ा बनाना लाभप्रद होता था। परन्तु इस मामले में, यदि वे अपना दायित्व निभाने में असफल रहीं तो उन्हें 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दंड दिया गया। अब दंड की यह राशि 1 रुपया प्रति मीटर से बढ़ा कर 2 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर कर दी गई है।

जैसा कि मैंने स्वीकार किया है कुछ मिलें अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही हैं। कुछ मिलें घटिया कपड़ा बनाकर दायित्व पूरा कर रही हैं। अब हम हस्तांतरण की अनुमति दिये बिना जिसका बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है सभी मिलों को दायित्व सौपने के बारे में विचार कर रहे हैं। मशीनों को देखते हुये कुछ मिलों को इससे छोड़ा दिया गया है। परन्तु अधिकांशत: हम सभी मिलों को नियंत्रित किस्म का कपड़ा बनाने का दायित्व सौंपने की बात सोच रहे हैं, ताकि वे दायित्व से न बच सकें, इसका हस्तांतरण न कर सकें और घटिया कपड़ा न बनायें।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित किस्म का कपड़ा सप्लाई करने की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ? क्या पिछड़े क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित किस्म का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाएंगे ताकि खेतिहर मजदूर तथा बंटाई-दार इसका लाभ उठा सकें

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि हम वितरण प्रणाली को 15 से 20 हजार तक की आबादी वाले अर्ध नगरीय क्षेत्रों तक विकसित करने का प्रयास करेंगे। इस समय जबकि ऋण सम्बन्धी तथा मूलढांचे सम्बन्धी अन्य कठिनाईयां हैं। इस वितरण प्रणाली को प्रत्येक गांव तक विस्तृत करना संभव नहीं होगा। इस समय ना तो यह वांच्छनीय है और ना ही संभव....

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : वांच्छनीय क्यों नहीं है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये, बैठ जाइये। (व्यवधान)

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं यह बताना चाहता था कि ऋण संबंधी तथा मूल ढांचे सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण जो मात्रा उपलब्ध होती है, कभी-कभी मिलों से नहीं उठाई जाती है। मेरा तात्पर्य यह था कि क्या वितरण प्रणाली का इस स्थिति में विस्तार करना संभव होगा। यदि मेरे शब्द सदस्यों को उचित नहीं प्रतीत हुये, तो मुझे उनके लिए खेद है।

अध्यक्ष महोदय : आप व्याख्या करने तथा अपनी बात को विवाद से बचाने से पूर्व यह कह सकते थे कि यह सुझाव प्राप्त हुआ है और इस पर विचार किया जायेगा और कोई समाधान निकाला जायेगा। कभी-कभी आपको अपने चातुर्य से काम लेना चाहिये। आपमें चातुर्य की कमी है जो मेरे लिये सर दर्द बन जाती है।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has admitted that because of credit squeeze, even the available quantity is not being lifted, it is lying there with the mills. In view

of this may I know, the Minister of Finance is here, whether this credit squeeze will continue in future? Will they make arrangements to see that the controlled cloth is available to weaker sections of the society?

Besides this do they propose to allot fair price shops to unemployed graduates in order to provide employment to them.

अध्यक्ष महोदय : आप कह सकते हैं कि यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : बहुत अच्छा सुझाव है।

एयर इंडिया के विमान चालकों की हड़ताल के कारण हुई हानि

\+
*457. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **पर्यटन और नगर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत अगस्त में हुई एयर इंडिया के विमान चालकों की हड़ताल के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) विमान चालकों की मांगें क्या थीं और व्यवस्थापकों में से कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप लगाये गये थे ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एयर इंडिया को विमान चालकों द्वारा 2 अगस्त से 31 अक्तूबर, 1974 तक की गई हड़ताल तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभावों के कारण अनुमानतः 11.35 करोड़ रुपये की हानि हुई। हानि की अन्तिम गणना राज्यस्व/व्यय के वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो जाने पर की जाएगी।

(ख) और (ग) विमान चालकों ने परिचालनों तथा कर्मीदल विनियोजन प्रणाली को निर्धारित करने के बारे में प्रबंधक वर्ग के अधिकार पर विवाद किया और प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रारम्भ की गई कर्मीदल विनियोजन की स्लिप प्रणाली को रद्द करने की मांग की। प्रबंधकवर्ग के विरुद्ध सामान्यतया लगाया गया आरोप यह था कि प्रबंधकवर्ग इण्डियन पाईलट्स गिल्ड की सहमति के बिना उसके सदस्यों पर कर्मीदल विनियोजन की स्लिप प्रणाली इकतरफा तौर पर थोप रहा था। सरकार को यकीन था कि स्लिप प्रणाली यथोचित सलाह मशविरा करने के बाद चालू को गई थी और यह इकतरफा तौर पर नहीं थोपी गयी थी, अतः इसने परिचालनों तथा कर्मीदल विनियोजन प्रणाली का निर्धारण व चालू करने के प्रबन्धकवर्ग के मूल अधिकार का समर्थन किया।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। मेरे प्रश्न का (ख) भाग था "विमान चालकों की मांगें क्या थी और व्यवस्थापकों में से कुछ के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप लगाये थे।"

आम व्यवस्थापकों के विरुद्ध नहीं। मैंने कहा है कि "व्यवस्थापकों में से कुछ के विरुद्ध।" तथा भाग (ग) में मैंने पूछा था :

"उनमें से प्रत्यक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और उन पर क्या कार्यवाही की गई है।"

उक्त व्यवस्थापक उच्चाधिकारियों की शिकायतों की एक लम्बी सूची मेरे पास है। मैं उन्हें एक एक करके गिना सकता हूं। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मैंने कहा है :

"....व्यवस्थापकों में से कुछ के विरुद्ध...."

"उनमें से प्रत्येक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।"

श्री भागवत झा आजाद : हां, यह गलत ही है। यह तो विमानचालकों के विरुद्ध होना चाहिये, व्यवस्थापकों के विरुद्ध नहीं।

श्री राज बहादुर : मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इसके संदर्भ का प्रश्न है, उसके अनुसार तो हमने प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) का उत्तर उनके (क) भाग के आधार पर ही दिया हैं । उनकी एकमात्र शिकायत यही थी कि स्लिप प्रणाली को एकतरफा ढ़ंग से लागू कर दिया गया है । यदि इसके परिक्षेप अलग अलग थे । और कुछ अन्य आरोप थे, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न और विशिष्ट ढ़ंग से आना चाहिये था । फिर भी यदि माननीय सदस्य का किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध विशिष्ट आरोप है, तो मैं निश्चय ही उसका उत्तर दूंगा ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह तो प्रश्न में पहले से ही है । मैंने कहा है--'व्यवस्थापकों में से कुछ व्यक्तियों' I have got a long list with me. Despite all this, the reply has been eraded, Everytime it happens so.

श्री राज बहादुर : उनमें निदेशक होते हैं, चैयरमैन होता है । प्रश्न विशिष्ट नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैंने यह पूछा है कि "उनमें से प्रत्येक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । जब प्रश्न इतना विशिष्ट है ऊपर भी मैंने पूछा है । कुछ व्यक्तियों के बारे में और नीचे पूछा है प्रत्येक के बारे में" अतः उन्हें विशिष्ट उत्तर देना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो बहुत विशिष्ट है ।

श्री राज बहादुर : प्रश्न तो बहुत विशिष्ट है परन्तु क्या एक ही प्रश्न के दो परिपेक्ष हो सकते है । यहां मेरी समस्या यह थी कि प्रश्न विमान चालकों की हड़ताल के बारे में तथा हड़ताल से होने वाली हानि के बारे में था । प्रश्न के (क) भाग में यही बात पूछी गई थी तथा इसीलिए मैंने प्रश्न के (ख) और (ग) भाग को भी इसी संदर्भ में लिया । मुझे यह भी मालूम है कि नियमों के अनुसार दो भिन्न विषयों को एक ही प्रश्न में नहीं जोड़ा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो आपकी ठीक है । परन्तु फिर भी अब यह आ गया है · · · मैंने मंत्रियों को पत्र में यह लिखा हुआ है कि जब भी वह किसी प्रश्न में कोई त्रुटि अनुभव करें तो वह उस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कर सकते है । परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करते तो इसका तात्पर्य यही है कि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है ।

एक माननीय सदस्य : सम्भवतः उन्हें इसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आई होगी ।

श्री राजबहादुर : मुझे कोई त्रुटि नजर नहीं आई । प्रश्न का परिपेक्ष बहुत स्पष्ट था । प्रबन्ध निदेशक तथा चेयरमेन के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एकतरफा ढंग से उसे लागू कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो उत्तर काफी विशिष्ट है । श्री जोशी जी, मैं समझता हूं अब तो आप संतुष्ट हो गये होगें ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : कुछ विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं । वह मेरे पास यहां मौजूद हैं· · · (**व्यवधान**) मंत्री महोदय को सभी प्रकार की जानकारी से परिपूर्ण वक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Jagannathrao Joshi : Some specific charges have been levelled. I would like to know from the hon. Minister whether due to strike the loss was to the tune of rupees 11.30 crores and the economy was the main cause of this entire episode which started with the introduction of new ship system by the management? Originally the loss was to the tune of rupees 95 lakhs, from which it came down to 80 lakhs and then to 75 lakhs and otherwise this loss of 75 lakhs would have taken 14 years to occur. Whatever has been stated by him about the safety and efficiency of the aircraft, I think the safety and the capacity of the person who will operate that machine, is equally important. Therefore I want to know that why their demand regarding evaluation of their flight hours, and its fatigue, has not been accepted by the Government?

Shri Raj Bahadur : Hon. Member has asked a lengthy question but I will try to answer it briefly. As regards the fatigue, I want to submit that again that their duty time, fight time and rest period was decided 12, 13 years earlier in an agreement arrived at between the management and pilots. On the basis of same agreement posting and slip systems continued on one or other occasions. No change has been effected is the same. That agreement has

not been violated in any way. The Management has always abided this agreement and no such allegation has been levelled by the pilots that there was any deviation from the agreement.

The other question is that why it was started and to this my answer is that whenever the service frequency increases, the management considers that slip system will be more economical. The economy was to be effected because of fuel crises. So under this economy drive, we were not in a position to past some of them in Hong Kang and Beirut which was not liked by those people and that is why they began to say that the Management has no right to change the pattern of operation. That way we suffered the loss, but under their pressure, should we asked the management that it has not got the right to manage or fix the schedule of operations? It is no where in the world or in any country that the management should not have the right to control the pettern of operations. They have gone on strike on this issue, and have demanded the withdrawal of slip system, and management has suffered that much loss. But it involved the question of managements principle. It is my strong belief that the minimum utilization of pilots and aircrafts would have helped us to drive some more benefits from International Air Service.

Shri Jagannathrao Joshi : Mr. Speaker, Sir, it has been accepted by the Minister himself that agreement is 12, 13 years old I want to point out that during the course of these 12, 13 years many vital changes have taken place in the field of air services. Did the pilots know how to operate the Jumbo Jets? That is why a fresh evaluation in the content of changed circumstances has been demanded by them. Nobody has challenged the authority of the management but their demand....

Mr. Speaker : You have started delivering a speech.

Shri Jagannathrao Joshi : There was no jumbo jet 12, 13 years earlier and now with its introduction, the things have changed all together. So why their demand has not been accepted?

Mr. Speaker : Mr. Joshi, Mr. Raj Bahadur is not such a Minister who will conceal the information. He has stated all that was known to him. It is correct that 15 years ago, there was no jumbo jet, then at the same time I may say that our Parliament too was not so. as it is today.

Shri Raj Bahadur : Our rules remain the same and we too are the same. We are not technocrats but I want to state that Rest, Duty and Flight periods remain the same irrespective of the aircraft whether it is jumbo jet or any other aircraft. The agreement was in force and is still in force.

Shri Jagannathrao Joshi : My second supplementary is...... **(Interruption)**

Mr. Speaker : Mr. Joshi, you got up four times and every time you said that your second supplementary was.... it is on the record.

Shri Jagannathrao Joshi : I levelled an allegation which was accepted by you. That was not my supplementary. It has been stated by the hon. Minister it was done to save foreign exchange. I want to know that, if they had stopped operations from the London base, the loss of rupees one crore, which has not occured, could have been saved. So in such circumstances, why London base operations were not stopped?

Shri Raj Bahadur : Had Mr. Joshi heard my reply with due attention, this doubt would not have occurred. I said that when frequency increases, the slip system becomes more useful and when frequency is low, the posting system is considered to be more useful. So our basic object is not slip or posting system but the efficiency.

अध्यक्ष महोदय : आपके पींछे भी झोकर फेण्डशिप खड़ा है। ... **(व्यवधान)**

Shri Swaran Singh Sokhi : It has been accepted by the hon. Minister that he is not a technocrat. So I want to know that when he is not a technocrat, then on whose advice all this is being done and whether their recent decision is final and in future Strike will not be there.

Shri Raj Bahadur: I have stated that I am not a technocrat but I am a man.

Mr Speaker: Are you a man of same category to which hon. member belongs, or you are a different type of man.

श्री एस०एम० बनर्जी : हानि हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण हुई। क्या यह सच है कि सिटी सिविल कोर्ट बम्बई के एक न्यायाधीश द्वारा एयर इंडिया द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम 75 के अन्तर्गत तालाबन्दी की घोषणा के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किये गये है। मेरे कब्जे में एक ऐसी फोटो स्टेट कापी है जिससे यह पता चलता है कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, बम्बई के आंतरिक रजिस्टर में कुछ परिवर्तन किये गये थे। एयर इंडिया के पत्र में कहा गया है : "जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम 73 के अन्तर्गत अपेक्षित है, हम हड़ताल की रिपोर्ट और तालाबन्दी की एक प्रति प्रेषित कर रहे हैं। हमारे नोटिस की एक प्रति भी संलग्न है।" यहां सभी तिथियों में परिवर्तन किया गया है, तीन का चार बनाया गया है और चार का पांच। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के आंतरिक रजिस्टर की यह स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसने माननीय मंत्री महोदय को यह बात बताई है; यह तो श्री जे० आर० डी० टाटा और श्री उन्नी, प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गई जालसाजी।

अध्यक्ष महोदय : बिना नोटिस दिये, आपको इस प्रकार के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहिये। आप तो आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत नामों का उल्लेख करने की अनुमति मैं आपको नहीं दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री टाटा चेयरमेन हैं और श्री उन्नी उसके प्रबन्ध निदेशक।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके पदों का उल्लेख तो कर सकते हैं, नामों का नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे पास फोटोस्टेट काफी हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह फोटोस्टेट कापी का उल्लेख कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध एक गम्भीर मामले से है। यह सभापटल पर रखी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार नोटिस दिया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : तालाबन्दी अवैद्य थी, उस समय हमारे पास कोई सबूत नहीं था। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, बम्बई द्वारा जो आंतरिक रजिस्टर बनाया जाता है, उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है, इस जालसाजी में वह भी भागीदार है·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पूछे पर आइये।

श्री एस०एम० बनर्जी : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा रखे गये दस्तावेज अर्थात् क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के आंतरिक रजिस्टर में प्रविष्टी संख्या 2 को बदल कर 3 और 3 को 4 कर दिया गया है। ऐसा एयर कार्पोरेशन—एयर इंडिया के कुकर्मों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि...

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नामों का उल्लेख करते हैं, तो इसकी सूचना मंत्री को पहले मिलनी चाहिये क्योंकि नियम ऐसा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : किसी की प्रेरणा से हुई इस कथित धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुये क्या यह सारा मामला सरकारी उपक्रम समिति को सौंपेंगे। सरकारी उपक्रम समिति इसका अध्ययन करे। आपकी अनुमति से मैं इस दस्तावेज को आपको भेजना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश श्री राज बहादुर श्री जे०आर० डी० टाटा के प्रभाव में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये इसे सरकारी उपक्रम समिति को भेजने के लिये तैयार हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे एक पूरा भाषण न बनायें। यह प्रश्नकाल है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने उन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं जो इस सभा के सदस्य नहीं है। इस बारे में नियम यह है कि इस बारे में आपको मंत्री को उचित नोटिस भेजना चाहिये।

श्री राज बहादुर : मैं आपका यह कहने के लिये आभारी हूं कि मुझे इस प्रश्न के उठाये जाने के बारे में नोटिस दिया जाना चाहिये था (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राज बहादुर : मैं कुछ तथ्य आप के सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कुछ बातें कही है। इनके पास सिटी सिविल कोर्ट के कुछ आदेश हैं। यह बात स्पष्ट है। इन्होंने इस बात का जिक्र स्वयं किया है। वह कहते हैं कि एयर इंडिया, श्री टाटा और श्री उन्नी के रजिस्टरों में नहीं बल्कि श्रम आयुक्त के आंतरिक रजिस्टर की प्रविष्टियों में परिवर्तन हुआ है। यह मामला अब समाप्त हो गया है। यदि यह जारी रहा, तो श्रम आयुक्त अथवा उस सम्बन्ध में जिसके विरुद्ध विचार प्रकट किये गये थे, न्यायालय में अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेते। मामला अब वापिस लिया जा चुका है अथवा इसे निपटाया जा चुका है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गौडा द्वारा पूछा गया अगला प्रश्न लिया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : ये फोटोस्टैट कापियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको उचित नोटिस देना चाहिये था क्योंकि आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं।

श्री भगवत झा आजाद : इससे देश में एक गलत धारणा फैल जाती है।

श्री जे० बी० चन्द्र गौडा : खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : श्री गौडा आप थोड़ी देर तक बैठे रहें। मैंने अगले वक्ता को बुलाया था। मंत्री के उत्तर के बाद उनके प्रश्न की बारी है।

श्री सेझियान : इस सम्बन्ध में, मैं आपके विचारार्थ एक बात कहता हूं। यदि ये नाम लेते हैं तो इन्हें पहले नोटिस देना चाहिये। मैं किसी प्रकार का तर्क नहीं देना चाहता। चूंकि उनका यह आरोप बहुत गंभीर है कि श्रम विभाग द्वारा बनाये गये सरकारी रिकार्ड में फेर बदल हुआ है, जिसके लिये इनके पास सबूत भी हैं, इस लिये इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना जरूरी है। प्रश्न यह नहीं कि मंत्री इससे सम्बद्ध है अथवा नहीं। लेकिन सरकार इससे अवश्य सम्बद्ध है। यदि वे कुछ रजिस्टरों को स्वयं ही ठीक करें तो मैं चाहता हूं कि सभा इस ओर ध्यान दे। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री राज बहादुर : अदालत के सामने यह मामला था। एक पक्ष ने किसी विशेष मामले के बारे कुछ दलीलें दी उस पक्ष ने मकदमे को वापिस ले लिया है। मेरे विचार में कोई भी प्रविष्टियां प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला जटिल है। इस बारे में नोटिस दिया जाना चाहिये था।

काफी उद्योग पर ग्राम ऋण प्रतिबन्ध का प्रभाव

+

*458. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक प्लांटर्स एसोसियेशन के चेयरमैन ने कहा है कि देश के काफी उद्योग पर ग्राम ऋण प्रतिबन्ध का गम्भीर प्रभाव पड़ने वाला है और जब तक ब्याज की उचित और स्थिर दर पर ऋण नहीं दिया जाएगा तब तक काफी के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में अपनी नीति का पुनर्विलोकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बंगलौर में अक्तूबर, 1974 में हुए कर्नाटक प्लांटर्स एसोसिएशन के 16वें वार्षिक अधिवेशन में एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ काफी उद्योग की ऋण सम्बन्धी समस्या का भी उल्लेख किया।

(ख) तथा (ग) सरकार, निर्यात अभिमुख उद्योगों, जिसमें काफी भी शामिल है, की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं से अवगत है। तथापि, इस पर सरकार की समग्र ऋण नीति के संदर्भ में ध्यान दिया जाता है।

श्री जे० बी० चन्द्रगौडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कौफी एक निर्यातोन्मुखी उद्योग है और इससे 40 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आम ऋण प्रतिबंध नीति के कारण उद्योग को क्षति हो रही है क्योंकि सारा उद्योग ऋणों पर ही आश्रित है; क्या मंत्री महोदय बताएगें कि इस उद्योग के प्राथमिकता प्राप्त उद्योग मानने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि इस उद्योग को ऋण प्रतिबन्ध नीति से बाहर रखा जा सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कौफी बोर्ड के चेयरमैन इस वर्ष सितम्बर मास में स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन से मिले थे। स्टेट बैंक आफ इंडिया कौफी बोर्ड को कौफी का क्रय करने के लिये प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपए देता है। ऐसी आशंका थी कि वर्तमान आम ऋण प्रतिबन्ध का इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कौफी बोर्ड के चेयरमैन इसी सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन से मिले थे। स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन ने कौफी बोर्ड के चेयरमैन को आश्वासन दिया कि बैंक इस बात के लिए पूरा प्रयास करेगा कि वर्तमान आम ऋण प्रतिबन्ध का इस उद्योग पर कोई प्रभाव न पड़े। जहां तक प्राथमिकता दिए जाने का सम्बन्ध है, निर्यातोन्मुखी उद्योग होने के नाते कौफी को वही प्राथमिकता दी जाएगी जो अन्य निर्यातोन्मुखी उद्योग प्राप्त कर रहे हैं।

श्री जे० बी० चन्द्रगौडा : इस उद्योग के बारे में सब से महत्वपूर्ण बात उत्पादन की बढ़ी हुई लागत है। खाद, बीज आदि के मूल्य चार गुणा बढ़ गए हैं और ब्याज के दर भी बढ़ गए हैं। विश्व के कुल उत्पादन में हमारा उत्पादन केवल 2 प्रतिशत है। अतः निर्यात में वृद्धि करने तथा अधिक विदेशी मुद्रा कमाने की काफी सम्भावनायें हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि खाद, बीज आदि कम दर पर सप्लाई करने तथा ब्याज की दर कम करने के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उत्पादन लागत के बारे में इससे पहले न्यूनतम बिक्री मूल्य 3.48 रुपए प्रति प्वांइट निश्चित किया गया था। इसे सरकार ने अस्थायी तौर पर बढ़ाकर 4.25 रुपए प्रति प्वांइट किया, लेकिन कौफी बोर्ड ने 4.60 रुपए प्रति प्वांइट की दर से लागू किया है। उत्पादन लागत की वृद्धि का यह प्रश्न एक समिति के विचाराधीन है, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा कौफी बोर्ड के चेयरमैन हैं और यह लागत सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रही है और इसकी रिपोर्ट आने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। जहां तक 'इन्पुट' का सम्बन्ध है, उर्वरक एक मुख्य 'इन्पुट' है जिसे कृषि मंत्रालय कौफी बोर्ड के माध्यम से भेजता है और अब कृषि मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इसे सहकारी समितियों के माध्यम से भेजा जाये। यह प्रश्न भी विचाराधीन है। यह बात सच है कि बैंक के ब्याज दर 16 से 18 प्रतिशत हैं जिससे क्रय मूल्य तथा कौफी के परचून मूल्य में वृद्धि होती है और इस समस्या को हल करने के लिए दो वर्ष पहले कौफी बोर्ड ने बैंक ग्रुप बनाये जिसके द्वारा कौफी पैदा करने वाले क्षेत्रों में सम्बन्धित बैंकों की शाखाएं खोली गई। इसके कर्मचारी आवेदन पत्रों को बैंक को भेजने हैं और ऋण के उपयोग के बारे में देख-रेख करते हैं। इसके अतिरिक्त कौफी बोर्ड का अपना विकास बोर्ड है जिसे .35 करोड़ रुपए कार्यकर पूंजी के रूप में दिए जाते हैं और 6.50 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाने हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : मंत्री महोदय के उत्तर और नवीनतम प्रेस रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात बोर्ड द्वारा किया जाता है अथवा कर्नाटक प्लांटर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके लिए मुझे पृथक नोटिस हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केवल कौफी बोर्ड के प्रबन्ध द्वारा ही अत्यावश्यक कौफी के उत्पादन की आवश्यकता सम्बन्धी लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या उन्होंने इस पर विचार किया है और इसके लिए कोई अनुदान दिया है। दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कौफी उत्पादकों को दिए गए अनुदानों तथा ऋणों का क्या पूरा उपयोग किया गया है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ परम्परायें तथा रीतियां हैं । आप इन्हें स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऋण सुविधाओं का उचित उपयोग करने सम्बन्धी यह देख-रेख के लिए व्यवस्था की गई है कि क्या इन सुविधाओं का उचित उपयोग किया गया है अथवा नहीं । जिन मामलों में दुरुपयोग हुआ, उनके बारे में कार्यवाही की गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन्हें मैं नहीं चाहता····

डा० कैलास : हम अध्यक्ष महोदय के प्रति आपके व्यवहार को पसन्द नहीं करते **(व्यवधान)** ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'इनस्टेन्ट' कौफी के उत्पादन का कार्य विदेशी एकाधिकारियों को सौंपा जाता है । समिति ने जो सिफारिश की थीं, वह सभा पटल पर रखी जा चुकी है । सरकार हमें बताये कि क्या कौफी बोर्ड को इसे करने के लिए कहा जाएगा, क्या इसे सरकारी क्षेत्र में लिया जायेगा अथवा नहीं ? इस बारे में इतना हल्ला-गुल्ला क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : कृप्या बैठ जायें । यदि सिफारिशें की गई हैं, तो उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उन के पास आ जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं संतुष्ट नही हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ परम्पराएं तथा रीतियां भी हैं । हर काम अपनी इच्छा के अनुसार न करें । श्री लकप्पा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं गवाही के बारे में बात नहीं कर रहा···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । कुछ परम्परायें भी होती हैं, जिनका पालन करना पड़ता है ।

श्री लकप्पा : देश भर में मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए आम ऋण प्रतिबन्ध लागू किया गया है । लेकिन कौफी जैसे उत्पादनोन्मुखी तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों, जिसका उत्पादन दक्षिणी भारत में होता है, पर यह कैसे लागू होता है । इसका इस उद्योग पर कितना प्रभाव पड़ा । इस ऋण प्रतिबन्ध का अनुसंधान पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है और बागान के मालिक अनुसंधान भी नहीं कर सकते । हमारे पास कौफी के लिए विश्व भर में मार्किट है । क्या मंत्रालय इसके बारे वित्त मंत्रालय से बातचीत करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि दक्षिणी भारत के उत्पादनोन्मुखी तथा निर्यातोन्मुखी कौफी के पौदे लगाने के उद्योगों पर इस सिद्धांत को लागू न किया जाए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऋण सुविधाओं तथा ऋण प्रतिबन्धों के प्रभावों के बारे में मैं कह चुका हूं कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने आश्वासन दिया है कि 35 करोड़ रुपये की पहली व्यवस्था जारी रहेगी । निर्यातोन्मुखी वस्तुओं के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया निम्नलिखित सुविधायें देता है : (1) $11\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिकतम ब्याज की दर निश्चित की गई है जबकि अन्य वस्तुओं के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कम से कम दर निश्चित की गई है (2) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंकों को पुनः वित्तीय सहायता दिया जाना । 1973-74 के व्यस्त मौसम के दौरान लगभग 50 प्रतिशत वृद्धिक वित्त पोषण किया गया और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने लगभग 105 करोड़ दिया; (3) बैंकों को निर्यातोन्मुखी वस्तुओं के लिए प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ढील देने की अनुमति दी गई है । कौफी के लिए विशेष रियायत दी गई है जिस में ऋण दिये जाने के मामले में ऋण पत्र तथा निश्चित आर्डर की आवश्यकता छोड़ दी गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रुपये के मूल्य में वृद्धि

*455. **श्री ए०के० किस्कू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों तथा विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 'मांसुका' के अधीन कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप रुपये के मूल्य में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है ; और

5/L.S./75—4

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आशा है कि चालू वर्ष के दौरान रुपये का मूल्य उतना ही पहुंच जायेगा जितना कि वर्ष 1966 में था ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मणयम) : (क) सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि हांगकांग और सिंगापुर के खुले बाजरों में रुपये के मूल्य में अक्तूबर, 1974 से कुछ वृद्धि हुई है। इसका कारण, अन्य बातों के साथ साथ, तस्करों और विदेशी मुद्रा का धन्धा करने वालों के खिलाफ कार्रवाही किया जाना हो सकता है।

(ख) इस सम्बन्ध में विश्वसनीय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

विदेशी फर्मों द्वारा डिस्काउन्ट पर बिलों को कैश कराए जाने पर प्रतिबन्ध

*456. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अधिकांश विदेशी फर्मों द्वारा तत्काल अग्रिम धन राशि लेने के लिए डिस्काउन्ट पर बिलों को कैश कराये जाने पर रोक लगा रखी है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ इस बारे में अन्यथा व्यवहार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

40 प्रतिशत से अधिक विदेशी 'इक्विटी' की भागीदारी वाली फर्मों के लिए भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण/ओवरड्राफ्ट/(अन्तर्देशीय एवम् निर्यात बिलों पर डिस्काउन्ट की सुविधा समेत) ऋण सुविधायें प्राप्त करने के वास्ते, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 26 (7) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने वाणिज्यिक बैंकों को अपनी (भारतीय रिजर्व बैंक की) पूर्वानुमति के बिना ही ऐसी फर्मों को अन्तर्देशीय एवम् निर्यात बिलों पर प्रलेखीय (डाक्यूमेंटरी) डिस्काउन्टिग की सुविधा समेत ऋण सुविधायें मंजूर करने की स्वीकृति दे रखी है, बशर्ते ये ऋण-सुविधायें बैंकों द्वारा दृष्टिबन्धक/रहन (प्लेज) किये गए स्टाक के मूल्य से पूरी तरह आवृत हों तथा सम्बद्ध फर्म को दिये गये ऋणों की कुल राशी उस फर्म की चुकता पूंजी तथा आरक्षित निधियों की रकम के दुगुने से अधिक न हो। इस सीमा से अधिक परिमाण में ऋण देने के प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए भेजने जरूरी होते हैं। ऐसी फर्मों को क्लीन/एकोमोडेशन बिलों पर डिस्काउन्ट उनके बदले ऋण मंजूर करने पर प्रतिबन्ध इस दृष्टि से लगाया गया है कि इन फर्मों को, नयी विदेशी पूंजी लगाकर देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में योगदान देने के बजाए, ऋण से प्राप्त धन के आधार पर अपरिचित मात्रा में अपने व्यापार का विस्तार करने से रोका जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि 'हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड' के बिलों के डिस्काउन्टिग के मामले में बैंक की उक्त नीति के प्रतिकूल कोई व्यवहार नहीं किया गया है।

गुजरात में पर्यटन विकास योजनाएं

*459. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यटन विकास की जो योजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : गुजरात में पर्यटन विभाग की चालू स्कीमें तथा उनके पूरा होने की संभावित तारीखें नीचे दी गई हैं :–

स्कीम का नाम	पूरा होने की तारीख
गांधीनगर में युवाहोस्टल	1975 के मध्य तक
पोरबन्दर में पर्यटक बंगला	1976 के मध्य तक
ससनगिर में वन लॉज	1975 के अंत तक

Fraud in L.I.C.

*460. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the press reports that the Life Insurance Corporation has been defrauded of lakhs of rupees as a result of declaring a living person as dead;

(b) whether this case has been enquired into and if so, the result thereof;

(c) the number of such cases detected in other parts of the country; and

(d) the steps proposed to be taken to check such incidents in future ?

The Deputy Minister of the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Neither the Government nor the LIC has come across the press reports referred to by the hon'ble Member.

(b) Does not arise.

(c) No such case has come to notice.

(d) The LIC's rules are designed to prevent admission of false death claims. A death claim is admitted only after the claimant has furnished independent proof of death of the assured to the satisfaction of the LIC.

प्रतिकर व्यापार जालसाजी

*461. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुख्यात प्रतिकर व्यापार जालसाजी को जो तस्करी के लिए बैंकिंग व्यवस्था का एक मुख्य स्रोत है, समाप्त करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को अनुदेश दे दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 81 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है । मुआवजे के रूप में अदायगियों से सम्बन्धित जालचक्रों को समाप्त करने के प्रयत्न अभी जारी हैं ।

गोबर गैस प्लांटों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

*462. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक गोबर गैस परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए इन बैंकों द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उस पर किस दर से ब्याज वसूल किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) ऋण की रकम सामान्यतः 2000 रुपये से 4000 रुपये के बीच होती है जो कि गोबर गैस संयंत्र के आकार पर निर्भर होती है। बैंक साधारणतः तकनीकी तौर पर व्यावहार्य और आर्थिक दृष्टि से सक्षम सभी प्रस्तावों का वित्तपोषण करते हैं परन्तु इस समय दिये जाने वाले उस ऋण की रकम का अनुमान लगाना कठिन है जो बैंकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किया जाता है।

(ग) ब्याज की दर निर्धारित करने में निधियों को जुटाने की लागत, बैंक दर, जमाओं पर ब्याज की दरें और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी ऋण नीति को ध्यान में रखा जाता है और यह दर समय समय पर बदलती रहती है। गोबर गैस संयंत्रों के वित्तपोषण पर वसूले जाने वाले ब्याज की वर्तमान प्रचलित दरें सामान्यतः 11 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच में है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण क्षेत्र

*463. **श्री के० प्रधानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों पर केवल दस मील दूर तक के क्षेत्रों में ही कार्य करने की पाबन्दी है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे बैंक कितनी दूर तक के क्षेत्रों में इस समय कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) इस राज्य के समूचे क्षेत्र में तथा देश भर में बैंक सुविधायें उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) कृषिक ऋणों के अन्ततः उपयोग का प्रभावकारी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 1970 में बैंकों को जारी किए गए निदेशक-सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक बैंक-शाखा को अपने यहां कर्मचारियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक "कमांड एरिया" निश्चित करना चाहिए, जिसमें वह अपनी सेवायें सुलभ करा सकती हो। मोटे तौर पर यह सुझाव दिया गया था कि ऐसी शाखा का, जिसमें एजेंट के साथ क्षेत्राधिकारी (फील्ड आफीसर)/सहायक तैनात हैं, 'कमांड एरिया' दस मील की परिधि में हो सकता है। यह मापदण्ड किसी भी रूप में प्रतिबन्धात्मक नहीं था। इस विषय में भ्रम को दूर करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 अक्तूबर, 1971 को जारी किए गए स्पष्टीकरण में यह बताया गया कि दस मील की परिधि की व्याख्या बहुत ही कठोरता के साथ नहीं की गई है। इस मापदण्ड का प्रयोजन मात्र यह सुनिश्चित करना है कि कृषि-ऋणों की प्रक्रिया और उनका पर्यवेक्षण प्रभावी न हो जाए।

दरअसल किसी भी बैंक-शाखा के 'कमांड एरिया' का निर्धारण अनेक बातों पर निर्भर रहता है, जैसे--स्थान विशेष की स्थलाकृति (टोपोग्राफी), आवागमन के साधनों की उपलब्धता, ऋण के संवितरण, उपयोग एवम् सामयिक वसूली के प्रभावकारी पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध स्टाफ का आकार एवम् स्वरूप। अतएव, किसी राज्य में बैंक-शाखाओं से आवृत क्षेत्र का ठीक-ठीक मूल्यांकन संभव नहीं होता है।

बैंकिंग सेवायें सुलभ कराने में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने विषयक शाखा-विस्तार की व्यापक नीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे शाखा-विस्तार के अपने त्रिवर्षीय "रोलिंग प्लान" बनाते समय ऐसे जिलों में अधिक बैंक-कार्यालय खोलने की ओर विशेष ध्यान दें जहां जून, 1974 के अन्त में प्रति बैंक-कार्यालय-जनसंख्या 75,000 से अधिक थी। तथापि, बैंकों के समक्ष आने वाली संगठनात्मक एवम् अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह भो अपेक्षित होगा कि 'कृषक सेवा समितियों' जैसी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की जाये और इस प्रकार के बिचौलियों के माध्यम से रैयत को बैंक-ऋण दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के प्रसार की गति और तेज हो सके।

अरण्य निवास होटल (केरल)

*464. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**
श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह अरण्य निवास होटल के विस्तार के दूसरे चरण के निर्माण पर होने वाले वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति करें ;

(ख) उक्त योजना पर कुल कितना व्यय हो चुका है; और

(ग) केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) होटल अरण्य निवास को दूसरी, तीसरी योजना तथा 1968-69 की वार्षिक योजना के दौरान 2.47 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है । और अधिक सहायता के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

Quality of Tea and Snacks served on Delhi-Patna flights

*465. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of Turism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether tea and snacks served on the Delhi-Patna flight for the last four or five months are of very inferior quality; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Dissatisfaction has been expressed by some sections of the passengers travelling by IAC services on the step taken by the IAC in the wake of the hike in oil prices to stop serving full or hot meals and in regard to the quality and quantum of snacks served at present on IAC flights. So far as the Delhi-Patna flight is concerned, Indian Airlines were earlier uplifting snacks from Lucknow and the quality of these items was not found satisfactory. This practice has since been discontinued and the supplies are now being taken from Delhi itself. Indian Airlines have been asked to take due notice of the opinions and feelings expressed by the passengers in this behalf and to take necessary measures to provide the maximum possible degree of satisfaction to the passengers consistently with their objective of minimising their losses.

Loans Advanced by Nationalised Banks to Farmers

*466. **Shri Mulki Raj Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to **state** :

(a) the amount of loans advanced to farmers by the nationalised banks during 1973-74;

(b) the amount of loans advanced to the farmers having upto 6 1/4 acres of land out of the said amount;

(c) the amount of loan advanced to farmers having upto one acre of land out of the said amount; and

(d) the amount of loan advanced to landless agricultural labourers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) to (d) The total outstanding of direct agricultural finance given by the public sector banks as at the end of December, 1973 was Rs. 369.74 crores (provisional)..However, the latest holding-wise data regarding loans advanced to farmers are available as at the end of September, 1973 only. Data are maintained in respect of holdings classified as under : holding upto 2½ acres, 2½ acres to 5 acres, 5 acres to 10 acres and above 10 acres. According tos the data furnished by the Reserve Bank of India, Rs. 33.50 crores (11.57%) and Rs. 75.49 crores (26.07%) were outstanding as at the end of September, 1973 as direct agricultural finance (excluding loans for allied agricultural activities) given by the publicsector banks to farmers having holdings upto 2.5 acres and 5 acres respectively.

The public sector banks are also assisting landless labourers by providing loans for activities allied to agriculture such as poultry, dairy, piggery, fisheries, sheep breeding etc. Statistical data in this regard, *exclusively* for landless labourers, are not being maintained.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 क उपबंधों से कम्पनियों को छूट

*467. श्री शशि भूषण :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों से छूट देने का विचार है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या पूरी तरह विदेशी स्वामित्व वाली फर्मों, कोलगेट पामोलिव, चीजबोरी, पौण्ड्स वार्नर हिन्दुस्तान, कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन तथा अन्य उपभोक्ता उद्योगों ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 28 तथा 29 में निहित शर्तों का पालन किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ख) कालगेट पामोलिव, चीसबोरी पौण्ड्स, वार्नर हिन्दुस्तान कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ने धारा 29 या 28 (उन पर जो भी लागू होती हो) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अपने आवेदन पत्र दे दिये हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया उन कम्पनियों और शाखाओं की सूचि तैयार कर रहा है जिन पर धारा 29 लागू होती है। जब यह सूचि तैयार हो जायेगी तब उपभोक्ता उद्योगों में लगी उन शतप्रतिशत विदेशी कम्पनियों के नामों का या कोई हो, पता लगाना सम्भव हो सकेगा जिन्होंने विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों पर अमल नहीं किया है।

विवरण

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने नीचे दी गई किस्म की कम्पनियों को बिदेशी विनियम विनियमन अधिनियम की धारा 29 (2) के उपबन्धों से आम छूट देते हुए 27 नवम्बर, 1974 को अधिसूचना संख्या एफ० ई० आर० ए० 23/74/आर० बी० जारी की थो।

(i) वे कम्पनियां जो केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जो औद्योगिक लाइसेंस नीति, 1973 के अनुबन्ध 1 में दी गई है या (ii) वे कम्पनियां जो निर्यात प्रधान उद्योगों (अर्थात् जिनके निर्यात का मूल्य उन कम्पनियों के वार्षिक उत्पादन के कुल कारखाना निकलते मूल्य के 60 प्रतिशत से कम न हो) में लगी है। क्योंकि इन कम्पनियों में गैर निवासियों के शेयर कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 74 प्रतिसत से अधिक न हो और इन कम्पनियों को इस काम के लिए औद्योगिक लाइसेंस उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत फरवरी, 1970 के बाद दिया गया हो।

इस प्रकार छूट प्राप्त कम्पनियों को 24 फरवरी, 1975 से पहले-पहले एक निर्धारित फार्म में रिजर्व बैंक के पास एक घोषणा करनी होगी।

अतः ऐसी कम्पनियों के नामों का पता तभी चल सकेगा जब रिजर्व बैंक आफ इंडिया में आवश्यक घोषणाएं प्राप्त हो जाएंगी और उनकी जांच पड़ताल का काम पूरा हो जायेगा।

'आंसुका' के अन्तर्गत तस्करों की गिरफ्तारी का प्रभाव

*468. श्री एस० सी० सामन्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कथित तस्करों के विरुद्ध 'आंसुका' (आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम) लागू करने के परिणामस्वरूप उन देशों में विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई जिनसे विगत वर्षों के दौरान मूलतः तस्करी का माल आता रहा है अथवा जिनके माध्यम से भेजा जाता रहा है ;

(ख) उक्त देशों से वैध मुद्रा के रूप में भेजी जाने वाली अथवा बैंकों के माध्यम से अन्तरित की जाने वाली अथवा अन्यथा भेजी जाने वाली राशि में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) गत कुछ वर्षों में भारत को अनुमानत: ऐसी कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या इस बारे में स्थिति में कोई और परिवर्तन हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश के प्रवर्तन द्वारा जिस सीमा तक तस्करों के गिरोहों का भारतीय सम्पर्क टूटा है और उनकी गतिविधियों में रुकावट पैदा हुई है, उस सीमा तक इससे तस्करी में विदेशी-मुद्रा की खपत हो गई है। परन्तु इस प्रकार हुई बचत का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) उचित बैंकों के माध्यम से धन-सम्प्रेषणों में वृद्धि हुई है।

(ग) इस प्रकार विदेशी-मुद्रा की हानि की मात्रा बताना संभव नहीं है। तथापि, कौल समिति ने 1971 में छपी अपनी रिपोर्ट में, तस्कर व्यापार सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेशी-मुद्रा का बहिर्गमन 240 करोड़ रु० वार्षिक के लगभग आंका था।

(घ) जी नहीं।

Impact of Temporary Restrictions on Dividends

*469. **Shri Madhavrao Scindia :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the upto date impact of the Companies (Temporary Restrictions on Dividends) ordinance issued in July on the general shareholders and on collection of money from general public for companies; and

(b) how the money saved by imposing restrictions on the dividends has been utilized so far ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b) The Companies (Temporary Restrictions on Dividends) ordinance issued on 6th July, 1974 restricts, for a period of two years, the payment of dividends in excess of—

(a) $33\frac{1}{3}\%$ of the net profits after tax of the company ; or

(b) an amount required to pay 12% dividend on the face value of the equity shares of the company and dividend payable on its preference shares; whichever is lower.

Since then there has been a decline in the share prices; but there is no evidence to show that this is coming in the way of raising fresh capital from the public. The funds saved by the companies as a result of dividend restriction, will be available to them for productive investment to finance their modernisation, expansion, and diversification programmes.

Interest paid on Collection under Small Savings Schemes

*470. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount collected by the Posts and Telegraphs Department under the small savings schemes during the last three years, yearwise; and

(b) the minimum rates of interest paid by the Posts and Telegraphs Department for these deposits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) :

(a)	1971—72	Rs.	227.36	Crores
	1972—73	Rs.	354.90	,,
	1973—74	Rs.	450.29	,,

(b) The current rates of interest are as under :

1. Post Office Savings Bank 5% per annum*

2.	7-Year National Savings Certificate (II Issue)	6% per annum
3.	7-Year National Savings Certificate (III Issue)	6% per annum
4.	7-Year National Savings Certificate (IV Issue)	10.25% per annum
5.	7-Year National Savings Certificate (V Issue)	10.25% (compound) or 14% simple.
6.	10-Year Cumulative Time Deposit Account	6.25%
7.	15-Year Public Provident Fund Accounts	7%
8.	Post Office Time Deposits :	
	(a) 1-Year Accounts	8% per annum
	(b) 2-Year Accounts	8½% per annum
	(c) 3-Year Accounts	9% per annum
	(d) 5-Year Accounts	10% per annum
9.	Post Office 5-Year Recurring Deposit Account	9¼% (compound)

*For Public Accounts and Security Deposit Account the rates of interest is 3½% per annum and 3% per annum respectively.

भारतीय रूई निगम को हुआ घाटा

*471. **श्री भालजी भाई परमार :**

श्री बसंत साठे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अपनाई गई विक्रय नीति के कारण भारतीय रूई निगम को भारी घाटा हुआ है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा इस परिवर्तित नीति के लिए कौन उत्तरदायी है ; और

(ग) क्या सरकार पुनः पुरानी नीति को अपनाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

1973-74 में निर्यात से आय

*472. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में निर्यात से कितनी आय हुई और 1973-74 की इसी अवधि की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) निर्यात कार्यक्रम को और तीव्र करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं जिससे कि व्यापार संतुलन में घाटा कम किया जा सके ।

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त, 1974) में हुए 1265.07 करोड़ रु० के निर्यात (पुनर्निर्यातों सहित) पिछले वर्ष की उसी अवधि के मुकाबले 413.45 करोड़ रु० (48.5 प्रतिशत) अधिक रहे।

(ख) निर्यातों का विस्तार करने तथा व्यापार घाटा कम करने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में ये शामिल हैं : निर्यात उत्पादन के लिए आयात नीति का पुनर्भिविन्यास, चुने हुए स्वदेशी कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर सप्लाई, निर्यातों के लिए मदों और बाजारों को अभिज्ञात करना आयात लाइसेंस जारी करने और नकद मुआवजा सहायता देने की क्रियाविधि को सरल तथा कारगर बनाना तथा आयातों को केवल आवश्यक मदों तक सीमित करना एवं आयात प्रतिस्थापन को अधिकाधिक बढ़ाना।

गुजरात में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को दादरा और नागर हवेली के लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ले जाने देने की अनुमति देने के लिए आदेश

*473. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सीमा के शुल्क अधिकारियों द्वारा दादरा और नागर हवेली के लोगों को गुजरात से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को अपने उपयोग के लिए दादरा एवं नागर हवेली में अपने गांवों को ले जाते समय तंग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क अधिकारियों को इन लोगों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुएं ले जाने में लगे प्रतिबंध में छूट देने के आदेश देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की नोटिस में नहीं आया है।

(ख) ऊपर भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में कमी

4330. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान निर्यात व्यापार में काफी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में सरकार का क्या नीति अपनाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। दूसरी ओर अप्रैल-सितम्बर, 1974 की जिस अद्यतन अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके दौरान निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 444 करोड़ रु० अथवा 41.3 प्रतिशत अधिक था।

चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

4331. **श्री निदेश सिंह** : क्य वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की बढ़ती हुई कीमतों और उसकी विश्वव्यापी कमी की वजह से चीनी का निर्यात करके काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं; और

(ग) वर्ष 1974-75 और 1975-76 में चीनी के निर्यात से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा के बारे में सरकारी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) घरेलू आवश्यकताओं के अनुकूल अधिकतम सम्भव मात्रा निर्यातों के लिये उपलब्ध कराई जा रही है और राज्य व्यापार निगमों के विदेश स्थित कार्यालय इसके विपणन के लिये इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

5/Lok Sabha/75—5

(ग) चीनी के निर्यात से 1974-75 में लगभग 285 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है। 1975-76 के सम्बन्ध में चीनी के निर्यातों से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय, उस वर्ष के दौरान निर्यात के लिये उपलब्ध होने वाली चीनी पर निर्भर करेगी।

लद्दाख में पर्टयकों द्वारा यात्रा

4332. **श्री कुशक बाकुला :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख के कुछ भागों को पर्टयकों के लिए खोल देने के बाद वहां कितने पर्यटकों ने यात्रा की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 17 जुलाई, 1974 तथा 22 नवम्बर, 1974 के बीच 541 विदेशी पर्यटकों ने लेह (लद्दाख) की यात्रा की।

रुपये के मूल्य में गिरावट

3333. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के विदेशी व्यापार बैंक द्वारा विदेशी विनिमय दरों में नए संशोधन करने के बाद भारतीय रुपये का मूल्य गिर गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रुपये के मूल्य का क्या सार रहा है तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय रुपयों में रूबल का मूल्य 100 रुपया=12 रूबल है और इन दोनों मुद्राओं का यह मूल्य सोने की मात्रा पर आधारित है। लेकिन, दिसम्बर 1971 से सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का स्टेट बैंक, सोवियत रूस में ही किये जाने वाले अवाणिज्यिक लेन-देनों की विनिमय दर समय-समय पर संशोधित करता रहा है जो कि कुल लेन-देनों का मामूली सा अंश है। पहली नवम्बर, 1974 को 100 रुपया=9.44 रूबल था।

इस मामले पर सोवियत रूस के प्राधिकारियों के साथ बात-चीत की जा रही है।

गोआ को विकास कार्यों के लिये जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

4334. **श्री पुरषोत्तम काकोडकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 में गोआ को इसके विकास कार्यों के लिये जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों को सुलभ कराये गये ऋणों एवम् अग्रिणों के परिणामस्वरूप उद्योगों एवम् कृषि का व्यापक विकास और उस राज्यों के छोटे ऋणकर्त्ताओं का उत्थान हुआ है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गोआ में दिए गए ऋणों और बकाया राशि का सकल योग दिसम्बर, 1972 और दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार को क्रमशः 40.14 करोड़ रुपये और 43.07 करोड़ रुपये था, जिसका ब्योरा नीचे लिखा गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर, 1972	दिसम्बर, 1973
स्टेट बैंक समूह	10.30	10.33
राष्ट्रीयकृत बैंक	29.84	32.74
	40.14	43.07

1972-73 और 1973-74 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गोआ विकास कार्यों के लिए कोई ऋण नहीं दिया था।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा एकाधका र वसूलयोजना के लिये मांगी गई ऋण सुविधायें

4335. **श्री एम० कत्तामुतु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र सरकार की राज्य में पैदा हुई कपास की एकाधिकार वसूली योजना को वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण क्रियान्वित करने में गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो गई हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऋण सुविधायें मांगी हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ के (महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन) के माध्यम से चलाई जाने वाली महाराष्ट्र सरकार की कपास की एकाधिकार खरीद की योजना के लिये धन देने के सम्बन्ध में राज्य के अधिकारियों ने रिजर्व बैंक से चर्चा की है। इस कार्य के लिये रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक को 20 करोड़ रुपये तक की पुर्नवित्त सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। इस योजना के वित्त पोषण के लिए अन्य स्त्रोत होंगे इस संघ (फैडरेशन) और राज्य सहकारी बैंक के साधन महाराष्ट्र सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि संभवत: इस कार्य के लिए उपलब्ध साधन पर्याप्त न हो अत: वाणिज्यिक बैंकों से अतिरिक्त धन तथा रिजर्व बैंक से और अधिक पुर्नवित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके बराबर की प्राथमिकता प्राप्त मांगों के लिए बैंक धन की व्यवस्था करने और ऋण प्रदान में न्यायोचित संयम रखने के व्यापक संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करना होता है, ताकि वस्तु-बाजारों में मूल्यों का बढ़ना रोका जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक और कपास से संबंधित अन्य सरकारी अभिकरण, स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहते हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए धन का विनियोजन

4336. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने 1970–71 और 1971-72 और 1972–73 से नवम्बर, 1974 तक के दौरान राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुल कितना धन विनियोजित किया है; और

(ख) अगामी वर्ष इन क्षेत्रों में कितना धन विनियोजित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा किसी राज्य में किए गए अधिकांश निवेश राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य-स्तर की संस्थाओं को ऋण के रूप में हैं। इस बात का निर्णय राज्य सरकार तथा इन संस्थाओं को करना होता है कि जीवन बीमा निगम द्वारा उन्हें उपलब्ध कराये गए धन में से पिछड़े क्षेत्रों में कितना धन खर्च किया जाना चाहिए।

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74 में और 1-4-1974 से 30-11-1974 तक किए गए कुल सकल निवेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रु० में)

	वित्तीय वर्ष				1-4-74 से 30-11-74 तक
	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	284.59	225.12	611.00	776.68	594.00
बिजली बोर्ड बन्ध-पत्र	419.46	99.75	99.75	99.75	124 69
भूमि बन्धक बैंक ऋण-पत्र	49.69	26.93	23.94	39.90	—
राज्य वित्त निगम बन्ध पत्र	—	14.96	19.95	29.92	—

(लाख रु० में)

	वित्तीय वर्ष				1-4-74 से
	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	30-11-74 तक
ऋण					
आवासीय योजनाओं के लिए राज्य सरकार को	80.00	80.00	85.00	85.00	—
प्रमुख सहकारी आवास वित्त समिति को	—	—	20.00	75.00	—
नगरपालिकाओं को	149.83	26.95	261.97	95.40	31.30
राज्य बिजली बोर्ड को	300.00	300.00	350.00	385.00	—
सहकारी चीनी कारखानों को	2.50	—	2.50	—	—
कम्पनियों को	42.00	—	—	—	—
कम्पनियों के शेयर और ऋण-पत्र	—	—	2.50	2.75	1.62
	1328.07	773.71	1476.61	1589.40	751.61

विशेष : 1-4-1974 से 30-11-1974 तक की अवधि से संबंधित आंकड़े अनन्तिम हैं और इनकी लेखापरीक्षा होनी है।

पिछड़े जिलों में जीवन निगम के सीधे निदेशों के अन्तर्गत सावधिक ऋण तथा ऐसे जिलों में स्थित निजी-क्षेत्रों की कम्पनियों के ऋण-पत्रों और शेयरों में अंशदान के अतिरिक्त नगरपालिकाओं, चीनी सहकारी समितियों तथा सहकारी औद्योगिक बस्तियों को दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं। सीधे-निवेशों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राजस्थान राज्य के लिए जीवन बीमा निगम का वित्तीय वर्ष 1975-76 का निवेश-बजट उस वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर तैयार किया जाएगा।

केरल फ्लाइंग कलब के विमान की दुर्घटना

4357. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल फ्लाइंग क्लब का एक विमान अभी हाल में कोचीन की सड़क पर दुर्घटना-ग्रस्त हुआ था जिस से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या उक्त मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केरल फ्लाइंग क्लब का एक पुष्पक विमान वी०टी०—डी०एल०जे०, जोकि त्रिवेन्द्रम से कोचीन के लिए क्रासकंट्री प्रशिक्षण उड़ान पर था, 14 नवम्बर, 1974 को कालूर, एरनाकुलम के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिस के परिणामस्वरूप विमान में बैठे दोनों व्यक्ति, अर्थात्, विमान चालक तथा यात्री मारे गए। विमान व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ।

(ख) और (ग) विमान दुर्घटना की जांच नागर विमानन विभाग द्वारा की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र में संचालित होटलों को लाभ/हानि

4438. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में संचालित विभिन्न होटलों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के अधिकांश होटलों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन होटलों को लाभप्रद तरीके से चलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, जोकि एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, द्वारा परिचालित विभिन्न होटलों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ अथवा हानि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8748/74]**

(ख) 1973-74 के दौरान चालू 12 होटलों में से चार होटलों ने लाभ कमाया। नई दिल्ली के लोदी तथा रणजीत होटलों को छोड़ कर शेष होटल, जिनको हानि हुई, अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। लोदी तथा रणजीत होटलों को शुरू में होस्टलों के रूप में डिज़ाइन किया गया था तथा उनकी कार्यात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए काफी अधिक पूंजी-निवेश की आवश्यकता थी।

(ग) विभिन्न होटलों की कार्यनिष्पत्ति का आवधिक पुनरालोकन किया जाता है। होटलों की लाभप्रदता में गहन बिक्री प्रयत्नों, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती एवं अधिक प्रभावी बजट तथा वस्तु सामग्री नियंत्रण आदि के द्वारा सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को सूखे तथा बाढ़ के लिए ऋण दिया जाना

4339. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम में चालू वर्ष के दौरान राज्यों को, राज्य-वार, सूखा तथा बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : बाढ़ से ध्वस्त/क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण अथवा मुरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को विशेष ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

राज्य का नाम	स्वीकृत ऋण की रकम
	(लाख रुपयों में)
असम	150.00
बिहार	150.00
कर्नाटक	150.00
उत्तर-प्रदेश	150.00
जोड़	600.00

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 75 व्यापार गृहों को दिए गए ऋण

4340. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1973-74 में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, आई० एफ० सी०, आई० डी० बी० आई० और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारत में 75 उच्चतम व्यापार गृहों (एकाधिकार जांच आयोग द्वारा उल्लिखित) को ऋण, अग्रिम धनराशि तथा अन्य किसी रूप में ऋणों की कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) 31 मार्च, 1974 को अथवा किसी बाद की तिथि को जिसके आंकड़ें उपलब्ध हों ऐसे ऋण की कुल कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट बैंक आफ इण्डिया), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट (दी यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, ने 1979-71, 1971-72 और 1973-74 की अवधि के दौरान 75 बड़े घरानों से सम्बद्ध निकायों को नीचे लिखी आर्थिक सहायता संस्वीकृत एवम् संवितरित की थी:—

(करोड़ रुपयों में)

	1970-71		1971-72		1973-74		
	संस्वीकृत	संवितरित	संस्वीकृप	संवितरित	संस्वीकृत	संवितरित	बकाया राशि
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (जुलाई-जून)	35.8 (39.8)	25.4 (33.4)	40.8 (25.7)	25.7 (29.0)	41.3 (20.9)	33.4 (22.2)	123.7 (30-6-1974 को)
2. भारतीय औद्योगिक वित्त नियम (अप्रैल-मार्च)	14.6 (39.1)	5.2 (28.9)	1.96 (6.00)	4.9 (24.00)	4.23 (9.3)	7.39 (23.1)	52.9 (31-3-1974 को)
3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (अप्रैल-मार्च)	6.43 (अ०)	3.37 (अ०)	5.45 (अ०)	0.35 (अ०)	2.70 (अ०)	3.45 (अ०)	28.19 (30-9-1974 को)

*इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थानों के शेयर एवम् बाण्डों में अंशदान, बंगलादेश को विशेष ऋण और गारंटी सहायता शामिल नहीं है ।

नोट : कोष्ठकों में दी गई संख्या कुल ऋणकत्ताओं को दिए गए सकल ऋण से प्रतिशतता का द्योतक है ।

अ०—अनुपलब्ध ।

2.1 भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1971-72 और 1973-74 के वित्तीय वर्षों में 75 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध निकायों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संस्वीकृत एवम् संवितरित दीर्घावधिक ऋणों (टर्म लोन) के आंकड़े नीचे प्रस्तुत हैं :—

(लाख रुपयों में)

1971-72		1972-73		
संस्वीकृत	संवितरित	संस्वीकृत	संवितरित	31-3-1974 को बकाया राशि
30.00	35.00	295.00	351.00	2060.38

2.2 1970-71 के दौरान दी गई इस प्रकार की सहायता विषयक सूचना एकत्र की जा रही है । यथासुलभ सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

3. सामान्यतः बैंकों द्वारा कार्य-चालन पूंजी सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए दी गई सहायता प्रायः ओवरड्राफ्ट्स, नकद-ऋण (केश क्रेडिट), हुंडियों, गारंटियों आदि के रूप में होती है और ऋणकर्ता से इन सुविधाओं के भीतर कार्य

करने की आशा की जाती है। समय-समय पर इन सुविधाओं की समीक्षा की जाती है और ऋणकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उक्त सुविधा-सीमायें बढ़ाई, घटाई, निरस्त आदि की की जाती हैं। अतएव, किसी विशेष वर्ग के ऋणकर्ताओं को कलावधि विशेष में कितना ऋण दिया गया यह बताना सम्भव नहीं है। तथापि, किसी विशिष्ट तिथि को इन ऋण-सीमाओं के अन्तर्गत बकाया-राशि सम्बन्धी सूचना बैंकों द्वारा रखी जाती है। इन 75 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्ध प्रतिष्ठानों को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि की 18-7-1969, 25-6-1971, 30-6-1972, 29-6-73 और 28-12-73 की स्थिति नीचे दी गई है :–

(करोड़ रुपयों में)

	18-7-1969	25-6-1971	30-6-1972	29-6-1973	28-12-1973
75 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्द्ध प्रतिष्ठानों को दी गई कुल सहायता	440.27 (24.2)	511.26 (19.6)	522.68 (17.7)	·568.79 (16.3)	582.32 (15.2)

नोट :—(1) कोष्ठों में दी गई संख्या कुल ऋणकर्ताओं के सकल अग्रिमों से प्रतिशतता की द्योतक है।

(2) इस उत्तर में प्रयुक्त पदावती "बकाया ऋण" ऋणकर्ताओं द्वारा अपनी मंजूर शुदा ऋण-सीमाओं के भीतर कार्य करते समय निर्दिष्ट तिथियों को निकाली गई राशियों की द्योतक है और इसका अर्थ यह नहीं है कि वे राशियां इन ऋणकर्ताओं से अतिदेय (ओवर ड्यू) हो गई हैं।

जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा को ऋण दिया जाना

4341. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान उड़ीसा को उसके विकास कार्य हेतु कितना ऋण दिया है; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान अन्य राज्यों को दी गई इसी प्रकार की सहायता की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा विदेशी क्रेताओं को व्यापार सम्बन्धी जानकारी देना

4342. **श्री बेकारिया :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार विकास प्राधिकरण को वर्ष 1973 के दौरान विदेशी क्रेताओं से व्यापार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करन के कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) किन-किन उत्पादों के बारे में जानकारी मांगी गई है; और

(ग) किन-किन देशों ने जानकारी मांगी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 482.

(ख) इन पूछताछों में निम्नलिखित मुख्य उत्पादों के बारे में जानकारी मांगी गई थी :

1. इलैक्ट्रानिक्स
2. बाइसिकिलें तथा संघटक

3. मोटर गाड़ी के अनुषंगी उत्पाद
4. औद्योगिक फास्नर्स
5. ढलवां तथा गढ़वां माल
6. छोटे औजार तथा हाथ के औजार
7. चमड़े का माल
8. सिले-सिलाए परिधान
9. हस्तशिल्प की वस्तुएं
10. खेल कूद का सामान आदि ।

(ग) पूछताछें मुख्यतः पश्चिमी यूरोप, सं० रा० अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन तथा जापान द्वारा की गई थी ।

सरकारी क्षेत्र के ऊपक्रमों को रायल्टी तथा अनुग्रह पूर्वक अदायगी जमा कराने के लिए अनुदेश

4343. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अधिकांशतः सभी कलेक्टर रायल्टी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर अनुग्रह पूर्वक अदायगी की बकाया राशि समान रूप से वसूल करते हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रायल्टी तथा अनुग्रह पूर्वक अदायगी की बकाया राशि बड़ी मात्रा में जमा हो जाने के कारण सम्पत्ति की कुर्की करने तथा कार्य को रोक देने में अपने अधिकारों को प्रयोग करने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ठीक समय पर रायल्टी और अनुग्रह पूर्वक अदायगी जमा कराने हेतु उचित आदेश देने का है

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ

4344. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश आयकर विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ, लखनऊ आयकर विभाग उत्तर प्रदेश के नोटिस सर्वरों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है;

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ को आय कर आयुक्त, दिल्ली इन्चार्ज में कार्य कर रहे नोटिस सर्वरों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी भेदभाव पूर्ण नीति बरतने के क्या कारण है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां । यह एक मान्यता प्राप्त संस्था है और इसके विधान में दोनों वर्गों के कर्मचारियों की सदस्यता की व्यवस्था है ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है । इस लिये, इस संस्था को, नोटिस सर्वरों का प्रतिनिधित्व करने से मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ईरान से सहायता

4345. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने तेल खरीदने के लिये भारत को 90 करोड़ डालर की सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नही ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Smuggling of Opium in connivance with Government officials

4347. **Shri Bhagirath Bhanwar :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether in connivance with Government officials, the opium growers keep major part of the produce with them which is smuggled out of India; and

(b) If so, the measures being taken to tighten and strengthen the Government machinery in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No instance has come to the notice of the Government where a cultivator has been able to keep a major part of the opium produced with him through connivance of the Government officials. It is also not correct that large quantities of opium are smuggled out of India. In fact, opium of Indian origin has figured in international seizures very occasionally only.

(b) Measures are continuously taken to ensure proper control in the opium growing areas and to prevent smuggling in close collaboration with various enforcement agencies such as Customs, Central Excise, State Excise and Police, Central Bureau of Investigation, Directorate of Revenue Intelligence, Border Security Force, Railway Protection Force etc.

मार्डन बाजार, वसन्त बिहार, दिल्ली में आयातित माल की बिक्री

4348. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या वित्त** मन्त्री मार्डन बाजार, वसंत बिहार, दिल्ली में आयातित माल की बिक्री के बारे में 19 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 7309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छापे के दौरान पकड़ा गया 12,000 रु० का आयातित माल उक्त फर्म ने किस सूत्र से प्राप्त किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मार्डन बाजार, वसंत बिहार, दिल्ली के परिसरों से पकड़े गये 12,000 रु० मूल्य के आयातित माल में सिगरेट, सौन्दर्य-प्रसाधन सामग्री, खाद्य-वस्तुएं तथा एक संगणक मशीन थी। पार्टी के बयान के अनुसार सिगरेट सुपर बाजार और देश से बाहर जाने वाले विदेशी व्यक्तियों से खरीदे गये थे, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री उसकी पत्नी को विदेशी मित्रों द्वारा भेंट की गई थी, खाद्य-वस्तुएं वही हैं जो उसे पिछले मामले में क्षति-पूर्ति जुर्माने की अदायगी करने पर वापस कर दी गई थी, और संगणक मशीन किसी विदेशी-व्यक्ति द्वारा मामूली फेर-बदल मरम्मत के लिये उसकी दुकान में छोड़ दी गई थी। मामला अभी भी न्यायनिर्णयाधीन है।

सब के लिए पेंशन योजना आरम्भ करना

4349. **श्री वीर भद्र सिंह : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में सब के लिये पेंशन योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) क्या उक्त योजना की मुख्य बातों का अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की वांछनीयता पर विचार किया है और यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस समय केन्द्रीय सरकार के सामने इसके सदृश किसी योजना को अखिल भारतीय आधार पर लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में अमरीकी निजी पूंजी का निवेश

4350. **श्री विश्व नाथ झुंझुनवाला : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रमुख अमरीकी बैंक के प्रेजिडेंट ने हाल ही में भारत में अमरीकी निजी पूंजी निवेश के लिये वातावरण के बारे में वस्तुस्थिति जानने के लिये भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने इस विषय पर वित्त मन्त्री के साथ बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और यदि उनके द्वारा कोई पेशकश की गई थी तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) चेज मेनहट्न बैंक के अध्यक्ष ने भारत का दौरा किया था और वे 9 नवम्बर, 1974 को शिष्टाचार के नाते वित्त मन्त्री से मिले थे। उन्होंने दोनों देशों के आपसी आर्थिक हितों के विषयों पर बातचीत की थी।

ब्रिटेन से ऋण

4351. **श्री राम सहाय पाण्डे :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन हमारे देश को 56.9 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की क्या शर्तें हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) जी हां। 3 करोड़ पौण्ड के एक ऋण करार पर, जो केन्द्रीय दर अर्थात 1 पौण्ड—18.968 रुपये की दर के अनुसार 56.9 करोड़ रुपये के बराबर है, नई दिल्ली में 12 सितम्बर 1974 को हस्ताक्षर किये गये थे। "यू० के०/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974 सं० 8, नामक इस ऋण का उपयोग, भारत के कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में सहायता पहुंचाने के लिये आवश्यक कच्चा माल, फालतू पुर्जे तथा संघटकों जैसी आयोजना-भिन्न वस्तुओं को ब्रिटेन से मंगवाने के लिये किया जायेगा। यह ऋण 7 वर्ष की रियायती अवधि सहित 25 वर्षों में वापस किया जाना है और इस पर कोई ब्याज अथवा अन्य प्रभाग नहीं लगेगा।"

व्यापार योजना तैयार करने के लिए रूमानिया के एक दल द्वारा भारत का दौरा

4352. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूमानिया आर्थिक सहयोग के संयुक्त आयोग की पहली बैठक के पश्चात, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरकृत हुए व्यापार करार के अधीन व्यापार योजना का ब्यौरा तैयार करने के उद्देश्य से रूमानिया के अधिकारियों के एक दल ने नवम्बर, 1974 में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षरकृत उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) रूमानिया का व्यापार प्रतिनिधि-मन्डल वार्षिक व्यापार वार्ताओं के सम्बन्ध में नवम्बर, 1974 में भारत आया। इन वार्ताओं की समाप्ति पर तैयार की गई भारत-रूमानिया व्यापार योजना में 1975 के दौरान दोनों देशों के बीच 113 करोड़ रुपये अर्थात् प्रत्येक देश से 56.5 करोड़ रुपये की राशि के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है।

रूमानिया को किये जाने वाले भारत के निर्यातों में लोह अयस्क, काफी, पटसन निर्मित माल, काली मिर्च खली, कमाई तथा अर्द्ध-कमाई खालें तथा चमड़ियां, सूती वस्त्र, मशीनी औजार, छोटे दस्ती औजार, डीजल इंजन, रेलवे संघटक, ढलवां माल, गढ़वां माल आदि शामिल हैं।

रूमानिया से आयात की जाने वाली प्रमुख मदों में रासायनिक उर्वरक, तेल का पता लगाने के और ड्रिलिंग उपस्कर रोल्ड इस्पात तथा इस्पात उत्पाद इलैक्ट्रानिक तथा टी० वी० संघटक, स्नेहक तेल, कार्बनिक तथा गैर-कार्बनिक रसायन सामग्री आदि शामिल हैं।

उड़ीसा में सूखा राहत कार्यों पर व्यय

4353. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के दल ने, जो उड़ीसा में सूखा स्थिति का मूल्यांकन करने गया था, राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि सूखा राहत कार्यों पर होने वाले व्यय को वह चालू वर्ष के बजट के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत समायोजित करे; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि ली जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने जो जायजा लिया है उसके अनुसार राज्य सरकार अपनी 1974-75 के लिये स्वीकृत आयोजनाओं के अन्तर्गत बड़ी दरमियाने दर्जे की सिंचाई, सड़कें, भू-संरक्षण, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, आदिम जाति विकास आयोजना व्यवस्था आदि के अन्तर्गत कार्यक्रमों का उपयुक्त समायोजन करके श्रम प्रधान निर्माण कार्यों का पता लगा सकती है जिससे कि राहत कार्यों पर किये जाने वाले लगभग 18.45 करोड़ रुपये का खर्च उठाया जा सके। इस जायजे के बारे में राज्य सरकार को बता दिया गया है और उनके परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

निर्यात निरीक्षण परिषद् के क्रियाकलाप

4354. श्री कुमार माझी :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन निर्यात निरीक्षण परिषद् के मुख्य कार्य कलाप क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में, श्रेणीवार, कितने व्यक्तियों को इस संस्था में नियुक्त किया गया; और

(ग) इस संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 में दिये गये अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् के प्रधान कार्यकलाप निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण के प्रवर्तन सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना और उसके लिये कार्यक्रम बनाना है।

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में 45 व्यक्ति नियुक्त किये गये थे। श्रेणीवार सूची निम्नलिखित है :

पद	सरकारी विभागों के कर्मचारियों में से चुने गये।	बाहर से चुने गये
1. अपर निदेशक	2	1
2. उप-निदेशक	2	1
3. सहायक निदेशक	1	1
4. अनुभाग अधिकारी	3	—
5. निजी सचिव	—	1
6. अनुभाग सहायक	6	—
7. वरिष्ठ आशुलिपिक	5	1
8. स्वागत अधिकारी	—	1
9. उच्च श्रेणी लिपिक	5	—
10. अवर श्रेणी लिपिक	1	3
11. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	—	1
12. कनिष्ठ आशुलिपिक	—	5
13. गस्टेटनगर आपरेटर	2	—
14. दफ्तरी	1	—
15. चपरासी	—	2
	28	17

(ग) पद पूर्णतः परिषद के भर्ती नियमों के अनुसार अर्थात् या तो अर्हताओं और अनुभव के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा आवश्यक अर्हताएं आदि पूरी करने वाले विभागीय कर्मचारियों में से भरे जाते हैं। उम्मीदवारों की परख परिषद की चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती है।

मारुति लिमिटेड के अंशधारियों पर करों की बकाया राशि

4355. **श्री राम रतन शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड अथवा मारुति कंसलटेंसी में एक हजार रुपये या इससे अधिक के शेयर लेने वालों में से प्रत्येक अंशधारी पर विभिन्न करों की बकाया राशि कितनी है और उनके नाम क्या हैं जिनके पास आयात अथवा निर्यात या किसी अन्य किस्म के लाइसेंस हैं और उनमें से प्रत्येक के पास लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनमें से किसी व्यक्ति को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है अथवा उनके भवनों में छापे मारे गये हैं :

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) छापों में उनसे किन वस्तुओं को बरामद किया गया कि, वे वस्तुएं अब कहां हैं और इस प्रकार बरामद की गई वस्तुओं की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (घ) ऐसे लगभग 575 शेयरधारियों के बारे में इस प्रकार की विस्तृत सूचना एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा, वह सम्भवतः उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। कोई 180 शेयरधारियों के बारे में, जिनके पास 20,000 रुपये अथवा इससे अधिक मूल्य के शेयर हैं, सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

बजट से पहले तेल कम्पनियों द्वारा टैंकरों को 'डी-बाण्ड' करने के कारण राजस्व की हानि

4356. **श्री विश्व नारायण शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट पेश होने से क्या पैट्रोलियम उत्पादों के आखरी बार मूल्य बढ़ने से कुछ समय पहले कुछ तेल कम्पनियों ने अपने आयल टैंकरों को 'डी-बाण्ड' कर दिया था क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में मिलने वाली बड़ी राशि नहीं मिल पाई थी; और

(ख) यदि हां, तो राशि कितनी थी तथा 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में ऐसा करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए तस्कर

4357. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के प्रयोजन से तस्करों की एक सूची तैयार की थी और क्या इस सूची को कुछ लोगों के दबाव के कारण बदला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई है। तथापि, सरकार के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर तस्करी की गतिविधियों में लगे या विदेशी मुद्रा संरक्षण के प्रतिकूल गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के संबंध में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये हैं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी की वस्तुएं ले जाने वाली अरबी नौकाएं

4358. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1974 में 11 अरबी नौकाएं पकड़ी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इन नौकाओं से पकड़ी गई सामग्रियों का मूल्य तथा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

Special Financial Allocations for Madhya Pradesh

4359. **Shri Krishna Agrawal :**
Shri Narendar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Dr. Laxmi Narayan Pandeya :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to make special financial allocations for Madhya Pradesh in the annual plan for 1974-75 or for the schemes included under the Fifth Five Year Plan (1974-79) in view of the prevailing drought conditions in the State; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) The drought situation in Madhya Pradesh has been assessed by the Centre and the assessment has been communicated to the State Government. They have been requested to indicated the steps being taken on their own to find the resources to tackle the situation. The question of providing advance Plan assistance, if necessary, will be considered on receipt of their reply.

Illegal Factory of Fake Coins in Sambhalpur

4360. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether an illegal factory making fake coins has been detected in Sambhalpur;

(b) if so, the value of the coins seized therefrom; and

(c) the denomination of the coins seized ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House as soon as received.

भारत की स्थिति के बारे में विश्व बैंक की समीक्षा

4361. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने बैंक की और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संयुक्त वार्षिक बैठक में अपने भाषण में भारत को श्री लंका, बंगलादेश और सेहलियन देशों के साथ, तेल के मूल्यों में वृद्धि से अत्याधिक प्रभावित देश बताया है; और

(ख) क्या सेहलियन देशों में बड़े पैमाने पर अकाल और वहां हुई मौतों तथा बंगलादेश से लोगों के संकट बहिर्गमन को ध्यान में रखते हुए भारत की स्थिति का यह उचित और वास्तविक मूल्यांकन है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) श्री मैकनामारा ने हाल की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं, खास तौर से विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि और तेल तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि की समीक्षा करते हुए यह कहा कि इन घटनाओं का सबसे अधिक प्रभाव अधिकतर दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सबसे निर्धन राष्ट्रों पर पड़ा है और इस संदर्भ में उन्होंने इन परिवर्तनों से भारत, श्री लंका बंगला देश और सहेलियन देशों पर पड़े प्रभाव का भी जिक्र किया जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत गंभीर रूप से प्रभावित देशों के रूप में वर्गीकृत किया है।

(ख) इसमें इन देशों के भुगतान-शेष पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उनकी विकास की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का जिक्र था।

औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का अनुपात

4362. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री हाजी लुतफल हक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के पूंजी-निवेश के अनुपात का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुमान लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध हाल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1967, 1968 और 1969 में देश के विभिन्न अंचलों के औद्योगिक क्षेत्रों में लगाई गई पूंजी का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न अंचलों में औद्योगिक क्षेत्र में लगाई गई पूंजी

(करोड़ रुपयों में)

अंचल	1967	1968	1969
उत्तरी अंचल	624.16 (6.9%)	851.81 (8.5%)	975.61 (9.0%)
उत्तर पूर्वी अंचल	165.08 (1.8%)	183.14 (1.8%)	221.38 2.0%)
पूर्वी अंचल	2818.31 (31.0%)	2746.52 (27.4%)	2884.84 (26.5%)
केन्द्रीय अंचल	1410.74 (15.6%)	1548.72 (15.4%)	1736.53 (16.0%)
पश्चिमी अंचल	2151.60 (23.7%)	2545.87 (25.4%)	2703.82 (24.8%)
दक्षिणी अंचल	1901.68 (21.0%)	2155.83 (21.5%)	2360.66 (21.7%)
जोड़	9071.57 100.0%)	10031.89 (100.0%)	10882.84 (100.0%)

राज्यों में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

4363. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में किन किन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया गया है; और

(ख) उनमें से किन-किन परियोजनाओं के लिये सहायता प्राप्त हुई है और प्रत्येक मामले में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें उन परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है जिसके संबंध में उल्लिखित राज्यों के लिये 1971-72 से विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है और प्राप्त कर ली गई है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-8749/74]**

भारत और बंगला देश के बीच पारस्परिक व्यापार के लिए रचनात्मक कार्यक्रम

4364. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के प्रतिनिधि आगामी वर्ष पारस्परिक व्यापार के लिये रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करने पर सहमत हो गये हैं; और

(ख) क्या दोनों सरकारों के बीच इस बीच किसी ऐसे करार को अन्तिम रूप दिया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां।

(ख) पंचांग वर्ष 1975 के लिये व्यापार योजना को चालू मास के दौरान अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

राज्यों को विभिन्न रूपों में दी गई वित्तीय सहायता

4365. **श्री समर गुह :**
श्री लालजी भाई :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में विभिन्न राज्यों को राहत कार्य, पुनर्वास और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अन्य सम्बद्ध समस्याओं के निपटने के लिये विभिन्न रूपों में दी गई वित्तीय सहायता के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1974 में इसी प्रयोजन के लिये इसी प्रकार की सहायता दी गई अथवा देने की मंजूरी दी गई;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों को चालू वर्ष में भयंकर अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा है ;

(ङ) यदि हां, तो अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये इन राज्यों को दिये गये वित्तीय अनुदानों अथवा सहायता अथवा ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो राज्यों को कोई अनुदान अथवा सहायता अथवा ऋण नहीं दिये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-8750/74]**

(ख) जी नहीं, छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दैवी विपत्तियों के बारे में केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी पिछली योजना पहली अप्रैल, 1974 से समाप्त की जा चुकी है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) से (च) पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने राज्यों में बाढ़/सूखा से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये चालू वर्ष में वित्तीय सहायता मांगी है। इस सम्बन्ध में मौजूदा नीति यह है कि केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता जहां नितान्त आवश्यक हो, केवल आयोजनागत सहायता की पेशगी के रूप में अथवा सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम और आदिवासी विकास योजना के लिये की गई व्यवस्था के अन्तर्गत सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। लेकिन इस प्रकार दी गई पेशगी सहायता की रकम उससे अगले वर्ष सम्बद्ध राज्य को देय सामान्य आयोजनागत सहायता में से घटा दी जायेगी। इस प्रकार पेशगी सहायता देने पर तभी विचार किया जायेगा जब इस बात की तसल्ली हो जायेगी कि राज्य सरकारों ने वित्त आयोग द्वारा राहत व्यय के लिये निर्धारित सीमान्तिक धनराशि को पूरी तरह से इस्तेमाल करने, आयोजना सम्बन्धी राशि को विभिन्न क्षेत्रों से और राज्य के अप्रभावित इलाकों पर उपयोग करने के बजाय प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों पर उपयोग करने, प्रभावित जनता को जारी रहने वाली बड़ी और दरमियाने दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं पर और आयोजना में शामिल अन्य निर्माण-कार्यों पर रोजगार प्रदान करने, राहत रोजगार कार्यक्रमों को सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम और आदिवासी विकास योजना के लिये की गई व्यवस्था आदि के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाओं का रूप देने और राहत व्यय की वित्त व्यवस्था करने के लिये यथा संभव सीमा तक अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये कदम उठाये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त राज्यों में सूखा/बाढ़ संबंधी स्थिति का मूल्यांकन कर लिया है और उनके लिये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था के प्रश्न पर वर्तमान नीति की शर्तों के अनुसार विचार किया जा रहा है।

Savings as a Result of Ban on New Recruitment to Central Services

4366. **Shri Bhagatram Rajaram Manhar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) The estimates of savings in the current year as a result of the ban on new recruitment to Central Services by the Central Government for reasons of economy ;

(b) whether there are some exceptions of the ban and if so, what are those and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) It is not possible at this stage to estimate with any degree of accuracy the savings in the current year as a result of the ban on new recruitment, as it depends on several factors the effect of which will be know only as the year progresses. The ban is subject to some exceptions. Filling up of vacancies by transfer, promotion, deputation or adjustment of staff rendered surplus elsewhere is also permissible. The cumulative effect will therefore be known only after the expiry of the current financial year.

(b) The ban on new recruitment does not apply to technical and operational posts, posts of typists and stenographers and posts belonging to constituted cadres to which recruitment is made through the U.P.S.C. These exceptions have been found necessary, as, otherwise, work in certain essential sectors would suffer and public interest will be adversely affected. There is also the need for a proper management of the regularly constituted services.

जीवन बीमा निगम के लाभ में कमी

4367. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में जीवन बीमा निगम के लाभ में भारी कमी हुई है;

(ख) क्या प्रीमियम से होने वाली आय में काफी वृद्धि होने और पूंजी निवेश पर अधिक लाभ होने के बावजूद निगम के कार्यकारी व्यय में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार व्यय में वृद्धि को रोकने के उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय म उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) भारत के जीवन बीमा निगम की बचत (जिसका उल्लेख ग्राम तौर पर लाभ के रूप में किया जाता है) उसके द्विवार्षिक बीमांककीय मूल्यांकनों पर निश्चित की जाती है। 1-4-1973 से 31-3-1975 तक की बचत तब मालूम होगी जब 31-3-1975 तक का बीमांककीय मल्यांकन पूरा हो जायेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कार्यचालन-व्यय में वृद्धिकारी प्रवृत्ति दिखाई देने के कारण ये हैं---बीमा, कारोबार में त्वरित वृद्धि, वेतन-मानों में संशोधन, मूल्य-सूचकांक में वृद्धि, होने के कारण देय मंहगाई भत्ते में त्वरित वृद्धि, तथा मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में सर्वत्र वृद्धि होने के कारण लेखन-सामग्री, यात्रा, डाक, एड्रेमा प्लेटों पंच्ड कार्डों और पंच्ड कार्ड उपकरण के भाटक-व्यय जैसे अन्य खर्चे ।

व्यय को नियंत्रित करने के लिये कठोर बजट नियंत्रण और कार्यविधियों का सरलीकरण जैसे सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

Export of Cotton Textiles to USA

4368. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the Press reports that a substantial fall is apprehended in the export of cotton textiles to USA; and

(b) if so, the reasons therefor and the remedial measures Government propose to take?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Partap Singh) : (a) Government is aware of the declining trend in export of cotton textiles to USA since August this year.

(b) The fall in cotton prices in the USA by nearly 50% within the last one year has made our cotton textiles uncompetitive in that market by 25-40%. This and the general recessionary trends in the USA are the major developments affecting our cotton textile exports to that country. Government have announced a combined Scheme for export and production of controlled cloth with effect from 1-10-1974 which is intended to provide an indirect incentive to exporters of mill-made cotton textiles and garments.

Sale of Holker Palace

4369. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether 25 Members of Parliament have submitted a memorandum to Government demanding an inquiry into the sale deal of the Holkar Palace;

(b) Whether underhand dealings have been resorted to in executing this deal ; and

(c) if so, the reasons why Government are delaying an inquiry into it and in case an inquiry has already been made, the salient features thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, sir,

(b) & (c) : Under the provisions of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961, the Central Government is empowered to acquire in certain circumstances any immovable property of fair market value exceeding Rs. 25,000/-, which is transferred by way of sale or exchange for an apparent consideration which is less than its fair market value by more than 15 % of the apparent consideration. The Competent Authority at Bhopal, who is administering these provisions, has, on the basis of enquiries made by him, issued a notice under section 269 D(1) of the income-tax Act for Publication in the official gazette for commencement of acquisition proceedings.

विभिन्न राज्यों के कपड़ा निगमों के पास सूत का स्टाक जमा हो जाना

4370. **श्री डी०डी० देसाई :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के कपड़ा निगमों को सूत का स्टाक जमा हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या बुनकर निगमों के डिपुओं की अपेक्षा खुले बाजार से सूत खरीदने की तरजीह देते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां।

(ख) टैक्सटाइल यार्न के भंडार जमा होने का मूल कारण टैक्सटाइल वस्त्रों की स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट है।

(ग) स्थिति का अध्ययन करने और अन्य बातों के साथ साथ भंडार जमा होने के उत्तरदायी उपादानों का जायजा लेने और जमा हो गये माल की निकासी के लिये किये जाने वाले उपाय सुझाने के लिये वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है। आगे कार्यवाही करने के लिये अध्ययन दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) हमें बुनकरों की पसन्द के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एक्सेलसियर प्लान्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड में पूंजी निवेश

4371. **श्री डी०के० पंडा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने एक्सेलसियर प्लांटस कारपोरेशन लिमिटेड में पूंजी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम के निदेशक बोर्ड में इन वित्तीय संस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

(घ) क्या उनके निदेशकों को निगम की धनराशि का दुरुपयोग और दुर्विनियोग किये जाने की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो निगम के कार्यों की जांच करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) द्वारा मैसर्स एक्सेल्सियर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड को 30 नवम्बर, 1974 तक मंजूर की गई और दी गई कुल वित्तीय सहायता इस प्रकार थी :—

(लाख रुपयों में)

संस्था	वित्तीय सहायता	
	मंजूर	वितरित
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	27.00*	24.185*
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	24.21†	24.130*
जोड़	51.21	48.315

* वित्तीय सहायता में सावधिक ऋण और शेयरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अंशदान शामिल है।

† वित्तीय सहायता में ऋण, शेयरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अंशदान तथा विलम्बित अदायगी की गारंटी शामिल है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अपने अपने मनोनीत निदेशक उक्त कम्पनी के मण्डल में क्रमशः सितम्बर, 1971 और मार्च, 1971 से हैं।

(घ) और (ङ) कम्पनी के मण्डल में मनोनीत अपने निदेशकों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम दोनों को पता चला कि कम्पनी का कारोबार संतोषजनक रूप से नहीं चलाया जा रहा था। कम्पनी के धन/सम्पत्ति/परिसम्पत्तियों के दुरुपयोग के बारे में कुछ आरोप भी कम्पनी के मजदूर संघ से प्राप्त हुए थे।

उक्त आरोपों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया कि एक स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा जांच कराई जाये। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक और इस कम्पनी की सहायता करने वाले हरियाणा वित्त निगम ने भी संयुक्त रूप से इस कम्पनी का तकनीकी तथा वित्तीय निरीक्षण करने और दुरुपयोग के आरोप सहित कम्पनी के कारोबार की जांच करने के लिये एक चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्म को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इस महीने के प्रथम सप्ताह में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था। ये संस्थाएं चार्टर्ड अकाउटेंट फर्म की नियुक्ति के विषय में आवश्यक कर्रवाई कर रही है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से लेखा बाह्य धन का बरामद होना

4372. **श्री चन्द्र मोहन सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत (राज्यवार) कितने व्यक्तियों को गिफ्तार किया गया और उनसे लेखावाह्य कितनी धनराशि बरामद हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : पिछले तीन महीनों में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की राज्य वार संख्या तथा उनसे बरामद की गई लेखा बाह्य रकम के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, पिछले तीन महीनों में आय-कर प्राधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या और इन तलाशियों के कारण पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य आय-कर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध है। इनका ब्यौरा अनुबद्ध विवरण-पत्र में दिया गया है।

विवरण

अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1974 में आयकर प्राधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य

क्रम सं०	आय-कर आयुक्त का अधिकार-क्षेत्र	अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1974 में ली गई तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य रु०
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	10,30,000
2.	असम	7	—
3.	बिहार	11	20,56,000
4.	बम्बई	96	1,63,85,837
5.	दिल्ली	23	28,41,924
6.	गुजरात	78	60,75,070
7.	कानपुर	67	16,69,745
8.	केरल	34	2,87,095
9.	लखनऊ	8	13,53,877
10.	मध्य प्रदेश	50	5,02 251

1	2	3	4
11.	मद्रास	29	26,74,839
12.	कर्नाटक	17	9,43,126
13.	उड़ीसा	7	6,70,000
14.	पूना	47	31,73,352
15.	पटियाला	199	72,79,765
16.	अमृतसर	72	89,12,292
17.	नागपुर	22	2,43,158
18.	राजस्थान	19	47,30,170
19.	पश्चिम बंगाल	55	45,62,808
	जोड़	845	6,53,91,310

गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों को भेजे गये केन्द्रीय दलों के निष्कर्षों पर निर्णय

4373. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में सूखे की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए भेजे गये तीन केन्द्रीय दलों के निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त प्रत्येक राज्य में राहत कार्य के लिये कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) केन्द्र ने गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की स्थिति का जायजा लिया है और इसे सम्बद्ध राज्यों को बता दिया गया है। राजस्थान और उड़ीसा के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। गुजरात से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

Trips arranged by Indian Airlines for Press Parties

4374. **Shri R.V. Bade :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of times the Indian Airlines arranged trips for Press parties to various places during the last two years;

(b) the names of the journalists included in those trips and the criteria followed in selecting them;

(c) whether none of the representatives of any way of the news agencies of Indian languages was included in these trips; and

(d) if so, the reasons for neglecting Hindustan Samachar and the Samachar Bharti ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d) Indian Airlines did not arrange any trips for journalists at Indian Airline's cost during the last two years. However, in November last, the Corporation issued complimentary passages to representatives of national newspapers and tourism journals, who regularly write on aviation matters, to travel in the newly introduced Boeing service to Trivandrum on the Bombay/Goa/ Trivandrum route and to Imphal on the Delhi/Calcutta/Gauhati/Imphal services. The group to Imphal consisted of 9 Journalists and to Trivandrum 10. It was not possible for the Corporation to include the representatives of all the news agencies and newspapers on these trips.

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा जमानत के रूप में प्राप्त धन राशि

4375. **श्री सरजू पांडे :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने हाल ही में अपने वितरकों से बिना ब्याज के जमानत के रूप में लगभग 12 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की है ;

(ख) क्या इस संबंध में इस फ़र्म को कोई अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण और मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग) किसी गैर-बैंकिंग कम्पनी द्वारा, अपने वितरकों अथवा विक्रय एजेंटों अथवा अन्य ऐजेंटों से या कम्पनी के कारोबार के प्रयोजन के लिये प्राप्त रकम को भारत रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख के उपबन्धों के अधीन गैर-बैंकिंग कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के प्रयोजन के लिये, "जमा" के रूप में नहीं माना जाता है । इस प्रकार से प्राप्त रकमों को, भारतीय रिजर्व बैंक, 11 जनवरी, 1974 की अपनी अधिसूचना के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 26(7) के उपबन्धों से सामान्य छूट की मंजूरी भी दे चुका है। इस लिये इस विषय में बैंक के उक्त विदेशों अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की शर्तों के संदर्भ में किसी गैर-बैंकिंग कम्पनी को, रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1973 को हिन्दुस्तान लीवर लि० के तुलन-पत्र में वितरकों से प्राप्त जमाओं के विषय में कोई मद नहीं है और न ही उस के पास ऐसी कोई सूचना है कि उक्त कम्पनी ने हाल ही में अपने वितरकों से प्रतिभूति जमाओं के रूप में लगभग 12 करोड़ रुपये की रकम एकत्र की है ।

बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमैन द्वारा कम्पनियों को ऋण

4376. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमेन ने ऐसी पांच कम्पनियों को लगभग 50 लाख रुपये का ऋण दिया है जिनसे उनकी पुत्री और दामाद साझेदार और/अथवा निदेशक के रूप में सम्बन्धित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ऋणों को निदेशक बोर्ड ने मंजूरी दी थी ; और

(ग) क्या उक्त धनराशि की मंजूरी देने में उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचना दी है कि उसने कतिपय ऋण सीमाएं ऐसी कुछ कम्पनियों और ऐसी एक फर्म को संस्वीकृत की हैं, जिनसे बैंक के वर्तमान अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक की पुत्री और/अथवा उनके जामाता, निदेशक अथवा भागीदार की हैसियत से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार की ऋण-सीमाएं संस्वीकृत करने के वास्ते सक्षम विभिन्न प्राधिकारियों ने ये ऋण-सीमाएं बैंक की प्रचलित प्रणाली के अनुरूप संस्वीकृत की थी। इनमें से कोई भी ऋण-सीमा अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वयं संस्वीकृत नहीं की गई है। विद्यमान पद्धति के अनुसार इस प्रकार की ऋण सीमा संस्वीकृत करने के वास्ते निदेशक-मण्डल की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं होती है। चूंकि इन ऋण-कर्ताएककों के कुछ निदेशक/भागीदार संयोगवश अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक के रिश्तेदार थे, अतएव उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाओं से निदेशक-मण्डल की प्रबन्धकारिणी समिति/निदेशक-मण्डल को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है। निदेशक-मण्डल को इन सुविधाओं की सूचना जुलाई, 1974 में दी गई थी। क्योंकि मांगी गई सूचना का संबंध एक राष्ट्रीयकृत बैंक के ग्राहक विशेष के खातों से है अतः बैंकरों में प्रचलित वर्तमान प्रथा एवम् परम्परा के कारण तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को विनियमित करने वाली संविधियों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार यह सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

दमन में तस्करों की गतिविधियों का फिर से शुरू होना

4377. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय की खबरों की ओर दिलाया गया है कि तस्करों ने दमन में, जो किसी समय तस्करों के लिये स्वर्ग था, अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) कुछ समाचार-पत्रों में छपे ये समाचार सरकार के नोटिस में आये हैं कि तस्करों ने दमन में अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं।

(ख) तथापि, इस संबंध में की गई जांचपड़ताल से प्रकट होता है कि उपर्युक्त समाचारों का कोई आधार नहीं है। वस्तुत: आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1974 के प्रख्यापन के अनुसरण में हाल ही में बड़े पैमाने पर तस्करों के नजरबन्द किये जाने के बाद इस क्षेत्र में निषिद्ध माल का उतारा जाना लगभग बन्द हो गया है।

Formation of International Iron Ore Club

4378. **Shri Banmali Babu** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India propose to form an international iron-ore club in association with other iron-ore producing countries; and

(b) if so, the likely composition and functions thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b). A Minister level meeting of the Group of Iron Ore Exporting Countries was held in Geneva early in November 1974 under India's chairmanship, where the participating countries agreed that there was need for closer co-operation amongst them and it was desirable to set up a Permanent mechanism to continue and further the work which had been carried on by the Group. It was decided to set up a preparatory committee of senior officials of the participating countries to examine in depth the form and detailed provisions for an Association of Iron Ore Exporting Countries for consideration at the next Ministerial meeting to be held in March/April 1975.

विष्णु शूगर मिल्स लिमिटेड, गोपालगंज द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुत किया जाना

4379. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिल मजदूर यूनियन, हरखना, गोपालगंज (बिहार) के सचिव ने दिनांक 2 सितम्बर, 1974 के पत्र द्वारा मैसर्स विष्णु शूगर मिल्स लिमिटेड, हरखना, गोपालगंज (बिहार) के प्रबन्धकों के विरुद्ध गलत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के बारे में शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी जांच के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है।

पाकिस्तान के साथ विमान सम्पर्क बहाल करना

4380. **श्री गजाधर मांझी :**
श्री के० मालन्ना :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के देश से होकर उड़ाने भरने तथा एक दूसरे के देश से विमान सम्पर्क पुनः स्थापित करने के मामले में कोई सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) जनवरी, 1971 में भारतीय विमान का अपहरण करके लाहौर ले जाये जाने के बाद पाकिस्तान के ऊपर से विमानों की उड़ानें बन्द किये जाने के कारण कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) इकाओ (आई० सी० ए० ओ०) में दायर 1971 केस तथा विमान सेवाओं को, जिन में "ओवर फ्लाइट्स" भी शामिल हैं, पुनः प्रारंभ करने के संबंध में रावलपिंडी में हुई बातचीत अनिर्णायक थी तथा उसे दिल्ली में होने वाली एक और बैठक में जारी रखा जायेगा। जनवरी, 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने के समय से पाकस्तान के ऊपर से उड़ानें स्थगित करने के कारण हुई हानि के बारे में इस समय चर्चा करना जनहित में नहीं होगा।

राष्ट्रीय पर्यटक योजना

4381. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अनुसंधान ब्यूरो ने सरकार से सिफारिश की है कि पर्यटन विभाग तथा देश में यात्रा उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय पर्यटक योजना बनाई जानी चाहिए ;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग) यह सिफारिश भारतीय मार्केट अनुसंधान ब्यूरो ने भारतीय यात्रा अभिकर्ता संगठन को उस सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट में की है जिसके लिये उन्हें उपरोक्त संगठन ने नियुक्त किया था। पर्यटन विभाग ने 1978 तक 800,000 पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे यात्रा उद्योग के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है। अतः विभाग द्वारा तैयार की गई पर्यटन के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना इन पर्यटकों की आवश्यकता पूर्ति पर आधारित है और पर्यटक आवकों के उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जब कभी आवश्यक होता है यात्रा उद्योग से परामर्श किया जाता है।

Udaipur Aerodrome

4382. **Shri Laljibhai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether works at Udaipur aerodrome in Rajasthan have not yet been completed and if so, the reasons for delay; and

(b) whether tourists are experiencing great difficulty due to the landing difficulty of various kinds of aeroplanes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The work on expansion of the terminal building at Udaipur aerodrome has already been completed and the development work for making the runway etc. suitable for Boeing 737 operations is in progress and is expected to be completed by September, 1975.

(b) No such difficulty experienced by tourists has been reported. At present Indian Airlines are operating air services through Udaipur with HS-748 aircraft with a load factor of 50%. Thus in terms of aircraft capacity no inconvenience seems to be caused to passengers. The present runway is suitable for HS-748 aircraft operation.

तस्करों के साथ मिलीभगत वाले अधिकारी

4383. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिन्हें 1971 के बाद तस्करों से निपटने में अपना कर्त्तव्य न निभा सकने या उन के साथ मिलीभक्त करने के लिये आरोप-पत्र दिए गए हैं; और

(ख) उपरोक्त दोषी अधिकारियों में से प्रत्येक को क्या दंड दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

बैंकों में अस्थायी नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव

4384. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में सभी अस्थायी नियुक्तियों को रद्द करने तथा संघ लोक सेवा आयोग को उचित नियुक्तियां करने का अनुरोध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा कम्पनी की जमाराशियों के बारे में जारी किए निर्देश

4385. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 15 मार्च, 1974 को अपनी विवरणिका में कम्पनी की जमाराशियों के बारे में कुछ निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मारुति लिमिटेड, हरियाणा ने व्यापारियों से जमा राशि के रूप में 2,18,00,000 रुपये प्राप्त करके उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया है जबकि उसकी प्रदत्त पूंजी केवल 1,54,00,000 रुपये है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 मार्च, 1974 को जारी की गई पुस्तिका में गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा, जमाएं स्वीकृत करने विषयक रिजर्व बैंक के निदेशों की मुख्य मुख्य बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तिका इस विषय में कोई नए निदेश प्रस्तुत नहीं करती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये उपर्युक्त निदेश इस प्रकार हैं :-

(1) छः महीनों से कम की अवधियों के लिये अल्पावधिक जमा की रकमें स्वीकार करने की मनाही (गैर वित्तीय कम्पनियों की दशा में, तीन महीनों से कम की अवधि के लिये निम्नलिखित (ii) में वर्णित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत, उनकी चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि के 10% तक की जमा की रकमें स्वीकार की जा सकती हैं) ।

(2) किराया खरीद कम्पनियों और आवासन वित्त कम्पनियों से भिन्न सभी कम्पनियों की दशा में चुकता पूंजी और शुद्ध निर्बाध प्रारक्षित निधि के योग के 25% की अधिकतम सीमा तक जमा रकमों की स्वीकृति सीमित रखना;

(3) ऐसे अप्रतिभूत ऋणों के सम्बन्ध में (इसके निदेशकों के ऋणों को छोड़कर जिनकी गारंटी निदेशकों/अभिकर्ताओं या सचिवों और कोषाध्यक्षों ने दी हो), बकाया राशियों को उस राशि तक सीमित रखना जो कम्पनियों की चुकता पूंजी और शुद्ध निर्बाध प्रारक्षित निधि के योग के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। यह अधिकतम सीमा, उपर्युक्त (2) में वर्णित जमा की रकमों के सम्बन्ध में प्रायोज्य अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगी। पहली जनवरी, 1972 को जिन कम्पनियों के ऋण अधिकतम सीमा से ज्यादा हों, उन्हें इस प्रकार की अधिक राशियों को विभिन्न चरणों में समायोजित करने के लिये 31 मार्च, 1975 तक का समय दिया गया है (यदि सरकारी या गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के निदेशक अथवा गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के शेयर होल्डर लिखित रूप में यह घोषित करें कि यह धन अन्य व्यक्तियों के ऋणों या जमा रकमों से प्राप्त नहीं किया गया है तो उनसे प्राप्त ऋणों को छूट होगी) ।

(4) अपने क्षेत्राधिकार से पारस्परिक लाभ पहुंचाने वाली ऐसी कम्पनियों को मुक्त रखना जो केवल अपने सदस्यों से जमा की रकमें स्वीकार करती हैं और जिनकी अधिसूचना कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 'क' के अधीन दी जाती हैं;

(5) गैर बैंकिंग कम्पनी के वास्ते यह अनिवार्य बनाना कि वह ऐसे विज्ञापनों में, जिनके द्वारा वह जमा की रकमें आमंत्रित करे, अपने प्रबन्ध, व्यापार, लाभ, लाभांश, पूंजीगत प्रारक्षित निधियां, जमा की राशियों और दायित्वों की घोषणा करें ;

(6) यह व्यवस्था करना कि 1-4-1973 से जमा की रकमें, रकम जमा कराने वालों से केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाये जो कम्पनी द्वारा मुहैया किये गये फ़ार्मों पर दिये गये हों। इन फ़ार्मों में भी वे सब ब्यौरे होने चाहियें जो जमा की रकमें आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये गये हैं।

(7) यह व्यवस्था करना कि जमाकर्ताओं को उचित रसीदें दी जाएं और निर्धारित न्यूनतम ब्यौरों सहित जमा रकमों के रजिस्टर रखे जायें।

(8) यह व्यवस्था करना कि वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी अतिदेय जमा की राशियों से सम्बन्धित ब्यौरे शामिल किये जायें जो लगातार जारी हैं;

(9) यह व्यवस्था करना कि वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी अतिदेय-जमा की राशियों के सम्बन्ध में, ब्यौरे शामिल किये जायें जिनकी अदायगी अभी शेष हो। (शर्त यह है कि यह अतिदेय राशि कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से अधिक हो)।

(10) यह व्यवस्था करना कि, किराया खरीद और आवासन वित्त कम्पनियों के मामले में नकदी या नकदी जैसे परिसम्पत्तियों को, बकाया जमा राशियों के 10 प्रतिशत के बराबर रखा जाए।

(11) यह व्यवस्था करना कि किराया खरीद व्यवसाय करने वाली कंपनियों के मामले में किराया-खरीद ऋण उचित अवधि में एकत्रित किये जाएं ;

(12) ये व्यवस्था करना कि वित्तीय कम्पनियों द्वारा अपने क्रियाकलापों के सम्बन्ध में तथा गैर वित्तीय कम्पनियों द्वारा अपनी जमा राशियों और किराया खरीदने के लेन देनों के संबंध में पर्याप्त ब्यौरों सहित सूचना प्रदान की जाएं और तुलन-पत्र तथा हानि और लाभ के लेखे प्रस्तुत किये जाएं; और

(13) समय से पूर्व दुबारा चुकायी गई जमा की राशियों पर अदा किये जा सकने वाले ब्याज के लिये अधिकतम दरें निर्धारित करना ;

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक यह स्पष्ट कर चुका है कि 'डीलरशिप डिपाजिटस' 'नान-बैंकिंग नान-फाइनेंसियल कम्पनीज (रिजर्व बैंक) डिरेक्शनज 1966" के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (9) के अधीन "जमाओं" (डपाजिटस) की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतएव उक्त निदेशों के अनुच्छेद 3(2) में विहित प्रतिबन्धात्मक सीमा उक्त जमाओं पर लागू नहीं होती है। इसलिये, इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक अपराधों के लिए विदेशियों की गिरफ्तारी

4386. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर अपवंचन, तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किये गये अथवा जिन पर ऐसे कार्यों में अन्तग्रस्त होने का सन्देह था, ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की कुल संख्या तथा उनके देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा नई प्रोपोजल, पालिसियों का जारी किया जाना

4387. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम को किसी प्रोपोजल की पालिसी जारी करने में सामान्यतया कितना समय लगता है ;

(ख) जीवन बीमा निगम के विभिन्न जोनों में कितने नये प्रोपोजल स्वीकार किये गए हैं जिन पर अभी तक पालिसियां जारी नहीं की गई हैं ।

(ग) इतने अधिक समय तक पालिसियां जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पालिसियां शीघ्रता से जारी करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और जमा हो गई पालिसियों का निपटान कब तक किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) पालिसी दस्तावेजों को तैयार करने का काम जो बीमा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बाद आरम्भ किया जाता है, आमतौर पर, ऐसी स्थिति को छोड़कर थोड़े ही समय में पूरा कर दिया जाता है जब बीमा-कारोबार के मौसम में कार्याधिक्य के कारण कुछ विलम्ब हो जाता है।

(ख) क्षेत्र	30-9-1974 तक जारी नहीं की गई पालिसियों की संख्या
उत्तरी	32,049
केन्द्रीय	59,402
पूर्वी	1,00,490
दक्षिणी	65,339
पश्चिमी	62,921

(ग) जिंक प्लेटों के उपलब्ध न होने, बिजली में कटौती किये जाने आदि के कारण पालिसियों के समय पर जारी किये-जाने में बाधा पड़ती है ।

(घ) जीवन बीमा निगम, छपाई के काम की अपेक्षाकृत आधुनिक मशीनों पर करने और साथ ही पालिसी फार्मों के सरलीकरण के प्रश्न पर विचार कर रहा है ताकि पालिसियां जारी करने में लगने वाले समय को कम से कम किया जा सके

हथकरघा उद्योग के लिये पृथक आयुक्त की नियुक्ति

4388. **श्री एच०एन० मुकर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री पृथक आयुक्त के बारे में 16 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग के लिये पृथक आयुक्त नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग) हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में उच्च अधिकार प्राप्त अध्ययन दल द्वारा की गई सभी सिफारिशें, जिनमें हथकरघा उद्योग के लिये पृथक आयुक्त की सिफारिश भी शामिल है, विचाराधीन हैं। अन्तिम विनिश्चय अभी किये जाने हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिए मांगी गई अतिरिक्त सहायता

4389. **श्री रानेन सेन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये केन्द्र सरकार से वर्ष 1975-76 के लिये 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 करोड़ रुपये की लागत की एक आपाती योजना तैयार की है जो राज्य में मौसमी बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये 1975-76 की वार्षिक योजना में शामिल की जायेगी। इस विषय पर, राज्य सरकार योजना आयोग के साथ वार्षिक आयोजना के बारे में विचार विमर्श करते समय विचार करेगी।

आयात/निर्यात व्यापार में आर्थिक अपराधों की घटनाएं

4390. **श्री आर०एन० बमन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में आयात तथा निर्यात व्यापार में "आर्थिक अपराधों" के कितने मामले पाये गये ;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) भविष्य में आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 408.

(ख) इस अवधि के दौरान 361 मामलों में फ़र्मों को वारित कर दिया गया है। फ़र्मों के नाम और वारित किये जाने की अवधि आदि वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज में किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। बाकी 47 मामलों में से, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिये रजिस्टर किये गये थे, 8 मामलों पर मुकदमा चल रहा है, 14 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और मामला विचाराधीन है। शेष 25 मामलों में जांच चल रही है।

(ग) जैसे और जब अपराधों की सूचना मिलती है, उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

मूल्य निर्धारण नीति का पुनर्विलोकन

4391. **श्री एम०बी० कृष्णप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मूल्य निर्धारण नीति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्विलोकन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मणियम) : (क) और (ख) अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें तय और वितरण करना भी सरकर की आर्थिक नीतियों में शामिल है और इसकी लगातार समीक्षा की जाती है। खास-खास वस्तुओं की कीमतें तय करने में कृषि मूल्य आयोग, आयात-निर्यात शुल्क आयोग और औद्योगिक लागत और मूल्य कार्यालय जैसी विशेषज्ञ संस्थाएं सरकार को सलाह देती हैं। समय समय पर तदर्थ समितियां, भी नियुक्त की जाती हैं जैसी कि पैट्रोलियम उत्पादों के लिये नियुक्त की गई थीं।

जहां तक सरकारी वितरण प्रणाली के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई अत्यावश्यक वस्तुओं और आम खपत में आने वाली वस्तुओं के लिये बनी समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। हाल ही में राज्य के नागरपूर्ति संगठन को उनके क्रियाकलाप का समन्वय करने और उन्हें अधिक कारगर ढंग से आवश्यक माल उपलब्ध कराने और उसकी ढुलाई और उनकी सहायता करने के लिये एक केन्द्रीय नागर पूर्ति विभाग स्थापित किया गया है।

आंसुका के अन्तर्गत तस्करों की नजरबन्दी

4392. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के अभियानों में तस्करों के विरुद्ध कुल कितने छापे मारे गये;

(ख) उन छापों में कितनी विदेशी मुद्रा बरामद हुई; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की मुअत्तिली

4393. **श्री एस०ए० मुरुगनन्तम :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री प्रसन्ना भाई मेहता :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ़ इन्डिया के दिल्ली कार्यालय में दो कर्मचारी पुराने नोटों के विनिमय में कथित कदाचार करने के कारण मुअत्तिल कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई हैं और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) 8 जुलाई 1974 की भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के एक नोट परीक्षा अनुभाग में ऐसा देखा गया है कि वहां के कार्यभारी सहायक ट्रेजरार ने, अपने अधिकारों से अधिक कटेफ़टे और खराब नोट पास किये हैं। बाद में की गई जांच पड़ताल से पता चला कि कुछ और दिनों में बड़ी संख्या में कटे फ़टे और खराब नोट अच्छा कह कर पास किये गये हैं। यह कार्य निर्धारित हिदायतों के खिलाफ़ था। सम्बन्धित सहायक ट्रेजरार को 19 अक्तूबर, 1974 से और उसी अनुभाग में काम करने वाले एक सिक्का/नोट परीक्षक (तृतीय श्रेणी का कर्मचारी) को 2 नवम्बर 1974 से मुअत्तिल कर दिया गया। काम निर्धारित तरीके पर अमल करने के कारण उसी अनुभाग के कुछ अन्य कर्मचारियों (सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी) से भी जवाब तलबी की गई है।

Construction Work of Revolving-Tower Restaurant in Ashoka Hotel

4394. **Shri M.C. Daga :**

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) when was the construction work of revolving-tower restaurant in Ashoka Hotel started and when would it be completed;

(b) the total amount of the original estimates of expenditure, the amount of expenditure incurred so far and the total amount to be spent thereon in future; and

(c) the reasons for taking such a long time in its construction and for incurring such a large amount of expenditure thereon?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) As a part of its annexe project, the erstwhile Ashoka Hotel Limited undertook the construction of a Revolving Tower Restaurant at an estimated cost of Rs. 25 lakhs in April 1967. The work on the tower block was completed upto third-floor level and thereafter it was suspended as the delegates to the February 1968 UNCTAD Conference had to be accommodated in the annexe. The value of the work completed by then was approximately Rs. 10.28 lakhs. In June 1969, the Board of Directors of Ashoka Hotel decided that in view of the pressing need for renovation of Ashoka Hotel, available funds should be utilised for that purpose, and the construction of the tower could be kept in abeyance.

After the transfer of the Hotel to ITDC in 1970, the question of resuming the work on this project was taken up for examination. A feasibility report including the preliminary economics of the project was prepared for the consideration of the Board of Directors. The Board considered it in November 1972 and decided that the cost-estimates and the design of the tower should be re-examined. This study has since been completed and the matter is being submitted to the Board for a decision.

निर्यात गृहों की सहायता

4395. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माता निर्यातकों द्वारा प्रतिबन्धित वस्तुओं के प्रयोग पर लगाई गई रोक के बारे में माल भेजने के बाद धन देने, आसान शर्तों पर ऋण देने, मूलभूत ढांचे, निर्यात सम्बन्धी दायित्व और मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों को नकद सहायता देने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) आयात नीति में पहले ही ऐसी व्यवस्था है जिससे कि विनिर्माता निर्यातक, उनके द्वारा अपेक्षित गैर-अनुमत कच्चे माल/संघटकों के आयात हेतु अपनी आयात प्रतिपूर्ति हकदारी के विनिर्दिष्ट भाग का उपयोग कर सकें। जहां तक लदानोत्तर वित्त, सुलभ ऋणों, अवस्थापना, निर्यात दायित्वों और नकद सहायता का सम्बन्ध है, ऐसे कोई विनिश्चय नहीं किये गए हैं जिनका सन्बन्ध केवल मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों से हो।

बड़े ऋणों की सीमाओं पर और आगे रोक लगाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया द्वारा जारी किये गये निर्देश

4396. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया के बड़े ऋणों की सीमाओं पर और आगे रोक लगाने के उद्देश्य से 23 अगस्त, 1974 को कुछ निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निर्देशों का सारांश क्या है; और

(ग) अन्य क्या निर्देश जारी किये गये थे तथा बैंकों ने उन्हें किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जून 1970 से लागू की गई वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक है कि बैंकिंग प्रणाली से किसी एक ऋणकर्ता को एक करोड़ अथवा उससे अधिक की सीमा मंजूर करने के सभी प्रस्तावों को, वाणिज्यिक बैंक ऋण-प्राधिकरक के निमित्त, ब्यौरेवार प्रपत्र के रूप में रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें, ताकि ऐसे प्रस्तावों की जांच करना रिजर्व बैंक के लिये सुविधाजनक हो जाये। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे 25 लाख और उससे अधिक के प्रस्तावों के संबंध में (जोकि रिजर्व बैंक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं) वैसी ही जांच सुनिश्चित करने के लिये उसी प्रपत्र को अपनायें। 4 जुलाई, 1974 को (न कि 23 अगस्त, 1974 को, जैसाकि प्रश्न में कहा गया है) रिजर्व बैंक ने 25 करोड़ से अधिक की जमा रखने वाले बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की पूरी-पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि ऋणकर्ताओं द्वारा ली गई राशियां वही हों जो उनकी तात्कालिक न्यायसंगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नितांत आवश्यक हो। साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि सब से पहले, बैंकों को चाहिए कि प्रत्येक बैंक के 50 बड़े ऋण खातों के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया का पालन करने के साथ साथ ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे खाते में ना डाली गई बड़ी बड़ी रकमें, पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष खाते में अधिकतम और न्यूनतम बकाया राशियां, पिछले दो वर्षों में प्रतितिमाही किया गया लेन-देन, माल की सूचियों के स्तर का उत्पादन और बिक्री से सम्बन्ध, लेनदारों और देनदारों की मुख्य मदें, अन्त: निगमित ऋण और निदेश, अन्य सतों के सम्बन्ध में बैंकधन पर आश्रितता की सीमा, लक्षित उद्देश्य के लिये बैंक द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य मदें/रिजर्व बैंक इन अनुदेशों के पालन में बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई पर निगरानी रखता है।

नई दिल्ली से मैक्सिको के लिए हवाई जहाज द्वारा बुक किया गया सामान

4397. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री बी० सायावन :

क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से मैक्सिको के लिये 24 जून, 1974 को एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के हवाई जहाज द्वारा बुक करके भेजा गया सामान 16 दिन में पहुंचा था ;

(ख) यदि हां, तो इस सामान की विलम्ब से डिलीवरी के कारण भारत सरकार को 80 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच से क्या निष्कर्ष निकले और इस हानि के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) प्रेशित माल जिसमें, एक 'ड्राफ्ट कांट्रेक्ट' तथा पैन अमेरिकन एयरवेज के माध्यम से 24 जून, 1974 को बुक किया गया था और मेक्सिको में 2 जुलाई, 1974 को प्राप्त किया बताया जाता है। विदित हुआ है कि मेक्सिकन एयरलाइंज ने, जो इसे लास एंजलस से मेक्सिको ले गई, 10 जुलाई, 1974 तक प्रेषिती को इसकी सूचना नहीं दी।

(ख) क्योंकि मामला बातचीत का स्थिति में था हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के क्षेत्र में भाग लेने पर ऋण संबंधी सीमाओं को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्त

4398. **श्री रामेशखर प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने अगस्त, 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के क्षेत्र में भाग लेने पर ऋण-सीमाओं को बढ़ाने के बारे में एक अध्ययनदल की सिफारिशों के आधार पर कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन सिद्धान्तों को कितने बैंकों ने स्वीकार तथा क्रियान्वित किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा सहयोग/साझेदारी के सिद्धांत पर ऋण सीमायें लागू करने के विषय में नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर उसने 8 अगस्त, 1974 को बैंकों को एक परिपत्र जारी करके कहा था कि बड़े-ऋणकर्ताओं को अग्रिम मंजूर करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें :—

(1) गैर सरकारी अथवा बिजली बोर्ड सहित सरकारी क्षेत्र के किसी एक ऋणकर्ता को, उसकी जमा के 1.5% से अधिक की बड़ी ऋण-सीमाएं, बैंकों द्वारा, आमतौर पर साझेदारी के आधार पर ही स्वीकार की जायें। यह मापदण्ड मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में ही है जिसपर लचीले ढंग से कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। और तर्कसंगत परिस्थितियों में इसके अपवाद किये जा सकते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे यथासमय अपने वर्तमान आग्रमों की समीक्षा इस सिद्धान्त के अनुसार करें और जहां आवश्यक समझा जाये वहां साझेदारी व्यवस्था में भाग लें।

(2) जब ऋणकर्त्ता की कार्य चालन सम्बन्धी पूंजी-आवश्यकताओं के लिये, परस्पर सहयोग व्यवस्था (कन्सोर्शियम अरेंजमेंट) के बगैर ही कई बैंकों द्वारा ऋण दिया जाये तो उस मामले में धन देने वाले बैंकों में आपस में समन्वय के लिये निम्नलिखित नीति के अनुसार उचित प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिए :—

(क) धन देने वाले बैंकों द्वारा आपस में आवश्यक सूचना का आवधिक आदान प्रदान करना;

(ख) आवधिक अंतः संस्थागत बैठकों में, ऋणकर्ता के व्यापार की समीक्षा करना; और

(ग) जब सीमाओं का नवीकरण किया जाना हो अथवा जब सीमा में काफी वृद्धि के लिये अनुरोध किया गया हो अथवा ऋण लेने वाले के व्यापार में गिरावट के चिन्ह दिखाई दें तो ऋण लेने वाले की ऋण आवश्यकताओं की संयुक्त रूप से समीक्षा करना।

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं। उनके लिये जब आवश्यकता अधिक बढ़ी हो तो उनके वित्त पोषण के लिये साझेदारी के आधार पर ऋण दिया जाये। अच्छा हो यदि यह ऋण उन बैंकों द्वारा दिया जाये जिनकी शाखाओं का जाल परियोजना के क्षेत्र में काफी फैला हो। साथ ही, यह ऋण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और/अथवा कृषि बित्त निगम के सहयोग से दिया जाना चाहिए।

(4) बैंकों को चाहिए कि वे अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर, मूल्यांकन, प्रलेखन और अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी अपनी प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाएं, ताकि ऋणकर्ता को कई बैंकों से कारोबार करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(5) जब ऋणकर्ता को सहयोग (कंसोशियम) के आधार पर धन देने का निर्णय किया जाये तो सामान्यतः ऋणकर्ता की सारी वित्तीय आवश्यकताओं और उसके अन्य आनुषांगिक कारोबार का ध्यान रखा जाना चाहिए किन्तु सम्बन्धित कारोबार की कार्याचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

(6) जहां विभिन्न बैंकों ने एक ही कम्पनी के विभिन्न एककों को धन दिया हो और उनमें से एक एकक की हालत खस्ता हो जाये तो अच्छी हालत वाले एककों को धन देने वाले बैंकों की उस कम्पनी को धन देने वाले अन्य बैंकों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।

(ग) रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का विवरण मालूम करने के विचार से उसने 25 नवम्बर, 1974 को उन्हें एक दूसरा परिपत्र भेजा है :—

(क) धन देने वाले बैंकों द्वारा आपस में आवश्यक सूचना का आवधिक आदान प्रदान करना;

(ख) आवधिक अंतः संस्थागत बैठकों में ऋण लेने वाले के व्यापार की समीक्षा करना; और

(ग) जब सीमाओं का नवीकरण किया जाना हो अथवा जब सीमा में काफी बड़ी वृद्धि के लिये अनुरोध किया गया हो अथवा ऋण लेने वाले के व्यापार में गिरावट के चिन्ह दिखाई दें तो ऋण लेने वाले की ऋण आवश्यकताओं की संयुक्त रूप से समीक्षा करना।

रिजर्व बैंक, बैंकों से अपने उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

काली-सूची में उल्लिखित निर्यातकर्त्ता

4399. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के उन निर्यातकर्ताओं के क्या नाम हैं जिनको गत दो वर्षों के दौरान उनके कदाचारों के कारण काली सूची में रखा गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : देशके उन निर्यातकर्ताओं के नाम एकत्र किये जा रहे हैं जिनको विगत दो वर्षों के दौरान उनके कदाचारों के कारण काली सूची में रखा गया है और इस सम्बन्ध में जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करना

4400. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन छिप्पुओं को देश में वापस लाने के लिये कोई कार्यवाही की है जो 3 मार्च, 1974 को एयर इन्डिया की बम्बई से लन्दन की उड़ान द्वारा छिपकर चले गये थे;

(ख) क्या इस मामले में पुर्तगाल की नई सरकार को बता दिया गया है ;

(ग) सरकार ने आम तौर पर देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तथा विशेष रूप से बम्बई हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(घ) क्या 4 मार्च, 1974 से अब तक छिप्पुओं के चले जाने के कोई नये मामलों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने लिसबन में मैक्सिको के दूतावास को, जोकि वहां हमारे हितों की देखभाल कर रहा है, तीन बिना टिकट सफर करने वाले भगोड़ों के बारे में नयी पुर्तगाल सरकार से पूछताछ करने को कहा है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय कड़े कर दिये गये हैं। सभी यात्रियों की शारीरिक तलाशी ली जाती है और उनके हाथ के सामान की जांच पड़ताल की जाती है। अन्य सभी सुरक्षा अनुदेशों को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

एल्यूमिनियम के आयात में विलम्ब के कारण विदेशी मुद्रा को हानि

4401. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1974 के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एल्यूमिनियम आयात में विलम्ब से विदेशी मुद्रा की हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बाजार में ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम की कीमतों में हाल के महीनों में गिरावट का रुख दिखाई दिया है और हाल की कीमतें अप्रैल-जून, 1974 में प्रचलित कीमतों से काफी कम हैं। अतः समाचार में बताई गई स्थिति सही नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में आयकर की बकाया राशि

4402. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आज आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में वहां से आयकर की कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) पंजाब में 30 सितम्बर, 1974 को वसूली के लिये बकाया, निगम-कर को शामिल करके, आयकर की सकल और शुद्ध बकाया रकमें निम्नलिखित हैं :—

रकम (करोड़ रु० में)

सकल बकाया	शुद्ध बकाया
18.02	15.66

(ख) गत तीन वर्षों में पंजाब राज्य में वसूल की गई, निगम-कर सहित, आयकर की कुल रकम निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष	रकम (करोड़ रु० में)
1971—72	22.97
1972—73	24.62
1973—74	30.61

राशन कार्डों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में नियन्त्रित कपड़े का वितरण

4403. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ग्रामीण लोगों की ओर छोटे नगरो में निम्न आय समूहों को राशन कार्डों पर कपड़े का वितरण करने के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण के बारे में निम्नलिखित मार्गदर्शी नियम राज्य सरकारों को जारी किये गये हैं ;

(1) 15,000 से 20,000 की आबादी वाले अर्ध-नगरी केन्द्रों में कन्ट्रोल का कपड़ा पहुंचाने के उपाय किये जायें ।

(2) कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री के लिये राशन कार्डों/घरेलू कार्डों आदि को आधार बनाया जाये।

(3) कपड़ा उन लोगों को बेचा जाये जिनकी मासिक आय 400 रुपये मासिक से कम हो।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऋण लेना

4404. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष में अपने वित्तीय दायित्वों की पूर्ति के लिये 10 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिये अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का उस पर क्या निर्णय है; और

(ग) यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सरकारी ऋण लेने के कार्यक्रम को चलाने के लिये उपलब्ध साधन इतने नहीं हैं जिनसे चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारें अथवा उनके अभिकरण कोई और बाजार ऋण ले सकें। इसलिये, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुरोध को माना नहीं जा सकता।

जीवन बीमा निगम के बम्बई स्थित कार्यालय का स्थान

4405. **श्री ईश्वर चौधरी :**
श्री राम रत्न शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री जीवन बीमा निगम कार्यालय और 'ब्लिट्स' बम्बई के बीच सौदे के बारे में 30 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 4100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौरोजी रोड, बम्बई स्थित जीवन बीमा निगम कार्यालय का स्थान जिस समय 'ब्लिट्स' साप्ताहिक को दिया गया था उस समय उसके किराये की बाजार दर क्या थी;

(ख) इस सरकारी स्थान को गैर-सरकारी पार्टियों को किराये पर देने के बारे में किस किस समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया गया अथवा निविदाएं मांगी गई ;

(ग) क्या 1 जून, 1973 के पश्चात् 'ब्लिट्स' के अंक में जीवन बीमा निगम की कड़ी आलोचना की गई थी और यदि हां, तो किस तिथि के अंक में; और

(घ) जीवन बीमा निगम द्वारा जो जो स्थान/मकान बिना निविदाएं मांगे अथवा विज्ञापन किये बिना बेचे गये हैं अथवा किराये पर दिए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है और उक्त स्थान/मकान जिन जिन पार्टियों को बेचे व किराए पर दिए गए हैं, उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उस समय ऐसे स्थान के लिये प्रचलित बाजार किराया 16 रु० से 20 रु० प्रति वर्ग मीटर के बीच था।

(ख) सामान्यतः जीवन बीमा निगम यदा-कदा खाली रहने वाले परिसरों को किराये पर चढ़ाने के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं देता।

(ग) 1 जून, 1973 के बाद, ब्लिट्स ने अपने 13 अप्रैल, 1974 तथा 11 मई, 1974 के अंकों में जीवन बीमा निगम के कार्यचालन की आलोचना की थी।

(घ) जीवन बीमा निगम द्वारा बिना निविदा आमन्त्रित किये अथवा विज्ञापन दिये कोई आवासीय या कार्यालय भवन नहीं बेचा गया है। कार्यालय अथवा आवासीय-स्थान को किराये पर देने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन केवल नव-निर्मित भवनों के बारे में दिया जाता है अथवा तब दिया जाता है जब कभी बहुत बड़ा स्थान उपलब्ध हो।

मध्य प्रदेश में अल्कालायड परियोजना

4406. श्री नाथूराम अहिरवार :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने युगोस्लाविया के सहयोग के साथ पोस्त की भूसी पर आधारित एक अल्कालायड परियोजन स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने योजना की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि को भी इस जांच से सम्बद्ध किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) चीरा लगाये हुए पोस्त के डोडे के चूरे से एल्कालायड निकालने के प्रश्न पर भारत सरकार कुछ समय से विचार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने, उस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया जो उसे एल्कालायड कारखाना स्थापित करने के लिये यूगोस्लाविया की एक फ़र्म से प्राप्त हुआ था।

(ख) यूगोस्लाविया के प्रस्ताव के अतिरिक्त, कुछ अन्य देशों की फर्मों से भी भारत सरकार को चीरा लगाये हुए पोस्त डोडे से एल्कालायड निकालने के लिये संयंत्र की स्थापना करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की सभी दृष्टिकोणों अर्थात प्रौद्योगिक मूल्यांकन, वित्तीय सक्षमता, विदेशी मुद्रा की आय आदि के आधार पर जांच करने के लिये एक अन्तर-मंत्रालयी दल कायम किया गया है।

(ग) पोस्त की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है और पोस्त के डोडे का छिलका इन तीनों राज्यों में उपलब्ध होता है। इस अवस्था में किसी भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि को उपर्युक्त दल के ऊपर बताये गये तकनीकी मूल्यांकन आदि के कार्य से सम्बद्ध नहीं किया गया है। इसके अलावा, अफ़ीम तथा अफ़ीम से निकाली जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और निर्यात की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और इसे ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों तथा इकरारनामों के जरिये विनियमित किया जाता है जिसमें भारत भी एक पार्टी है।

चाय उद्योग का विस्तार

4407. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने चाय उद्योग के विस्तार के लिये कार्यक्रम तैयार नहीं किया है जबकि इस समय चाय की 50 प्रतिशत झाड़ियां साठ वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी हैं और ह्रास की स्थिति में पहुंच गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक बनाये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) 31 मार्च, 1971 को भारत में कुल चाय क्षेत्र के लगभग 34 प्रतिशत क्षेत्र में चाय की ऐसी झाड़ियां हैं जो 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। सामान्तया, 60 से 80 वर्षों से भी अधिक पुरानी झाड़ियों के पुनर्रोपण की आवश्यकता होती है परन्तु इनमें कुछ भागों को नवीकरण, कांटछांट, खाद डालना, भराई करना आदि समुचित कृष्य प्रक्रियाएं अपनाकर भी सुधारा जा सकता है।

क्वालिटी चाय के उत्पादन और निर्यातों के योजना लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से चाय बागानों को चाय बोर्ड की तीन मुख्य स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये स्कीमें हैं : चाय रोपण वित्त स्कीम, चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद स्कीम और पुनर्रोपण उपदान स्कीम। जिन चाय बागानों को इन स्कीमों के अन्तर्गत सहायता दी जाती है वे बागान पुनर्रोपण, बदल रोपण और/अथवा रोपण का विस्तार कर सकते हैं। चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद परिवहन स्कीम अन्तर्गत मशीनरी और उपस्करों से चाय बागानों को अपनी फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करने और सिंचाई तथा परिवहन सुविधाओं का सृजन करने में मदद मिलेगी।

इन तीनों स्कीमों के प्रारम्भ से (31-3-74 तक) चाय बागानों को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

	लाख रुपये
1. चाय रोपण वित्त स्कीम (1961-62 से)	510.96
2. चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद स्कीम (1960-61 से)	963.05
3. पुनर्रोपण उपदान स्कीम (1968-69 से)	107.21

भारत में चाय का उत्पादन बढ़कर 1973 में 4719.52 लाख किग्रा० हो गया है जबकि 1971 में 4354.68 लाख किग्रा० और 1960 में 3210.77 लाख किग्रा० था।

अहमदाबाद, पोरबन्दर और केशोड से गुजरात स्थित गीर फोरेस्ट को विमान सेवा

4408. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में गीर फोरेस्ट लायन्स और गेम्स सैंक्चुअरी में पर्यटन को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से अहमदाबाद, पोरबन्दर और केशोड के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइन्स की फ़िलहाल अहमदाबाद, पोरबन्दर तथा केशोड के बीच कोई सेवा परिचालित करने की कोई योजना नहीं है। मामले का कारपोरेशन द्वारा लगातार पुनरालोकन किया जा रहा है तथा ज्यूं ही यातायात तथा अन्य कारणों से यहां विमान सेवा का औचित्य सिद्ध होगा इण्डियन एयरलाइन्स इस मार्ग पर परिचालन प्रारम्भ कर देंगे।

तथापि, एक निजी परिचालक, सवारी एयरवेज को अहमदाबाद, केशोद तथा पोरबन्दर होकर दैनंदिन आधार पर विमान सेवाएं परिचालित करने के लिये एक अनुसूचित परमिट जारी किया गया है।

पटसन श्रमिकों द्वारा हड़ताल

4409. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन श्रमिकों का जनवरी, 1975 में अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय पटसन मजदूर संघ ने 6-1-75 से अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का नोटिस दिया है यदि उपभोक्ता कीमत सूचकांक की संगणना सम्बन्धी भट्टाचार्य समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन तथा कार्यान्वयन, बिजली का राशन होने पर मंजूरी सुरक्षित करने, बदली मजदूरों के लिए राहत से सम्बन्धित श्रम मन्त्री के फैसले के क्रियान्वियन, 20 प्रतिशत बोनस के भुगतान, समझौतों, आश्वासनों और बन्दोबस्ती का पूर्ण कार्यान्वियन, उचित दाम की दुकानें खोलने, उपजकर्ताओं से 100 रु० प्रति मन की दर से कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद, पटसन माल के विदेश व्यापार तथा पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती।

(ग) सरकार द्वारा कच्चे पटसन के व्यापार में सरकारी क्षेत्र के रोल का विस्तार करने के लिये पहले से ही उपाय किये गये हैं। खरीद की कीमतें बाजार-शक्तियों पर निर्भर करती हैं परन्तु सरकार ने उपज-कर्ताओं के लिए न्यूनतम कीमत सुनिश्चित करने के लिये उपाय किए हैं। पटसन उद्योग तथा व्यापार का

राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार तथा श्रम मंत्रालय का ध्यान ट्रेड यूनियन विवाद के स्वरूप वाली इन मांगों से सम्बन्धित समस्या की ओर है।

उत्पादकों से कच्चे पटसन की खरीद

4410. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उत्पादकों से प्रति मन 100 रु० की दर पर कच्चे पटसन की खरीद के अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) यद्यपि भारतीय पटसन निगम ने, सीधे पटसन उपज-कर्ताओं से कच्चा पटसन खरीदने के उपाय किये हैं, किन्तु जिस कीमत पर खरीदारियां की जाती हैं, वह बाजार स्थितियों पर निर्भर होती हैं। तथापि, पटसन निगम के लिये यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कीमत सांविधिक न्यूनतम कीमत से, जोकि देहाती बाजारों में असम बाटम किस्म के लिये 125 रुपये प्रति क्विंटल है, नीचे न जाये।

हिन्द साईकिलों का विभिन्न देशों को निर्यात

4411 **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द साईकिल कम्पनी को विभिन्न देशों को साईकिलों का निर्यात करने के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त किए गए क्रयादेशों का व्यौरा क्या है और कितनी साईकिलों का निर्यात किया गया है तथा इन साईकिलों का निर्यात किन किन देशों को किया जाना है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी; और

(घ) अन्य देशों से साईकिलों के निर्यात के लिये अधिकाधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स हिन्द साईकिल लि०, बम्बई ने साईकिलों के निर्यात के लिये निम्नोक्त क्रयादेश प्राप्त करने की सूचना दी है :—

उस देश का नाम जिनसे क्रयादेश प्राप्त हुए हैं	निर्यात की जाने वाली साईकिलों की संख्या	क्रयादेश का मूल्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
लागोस	1000	2.76 लाख रु०	750 साईकिलें निर्यात की गई जिनका मूल्य 2.07 लाख ठहरता है।
ईरान	9000	19.46 लाख रुपये	5000 साईकिलें निर्यात की गई जिनका मूल्य 10.89 लाख रु० ठहरता है।
दुबाई	280	0.74 लाख रुपये	180 साईकिलें निर्यात की गई जिसका मूल्य 0.48 लाख रु० ठहरता है।

(1)	(2)	(3)	(4)
पोर्ट हरकोर्ट	2000	5.51 लाख रुपये	—
सं०रा० अमरीका	45000	86.00 लाख रुपये	3600 साईकिलें निर्यात की गई।
इण्डोनेशिया	60000	85 लाख रुपये	11280 साईकिलें निर्यात की गई।

(घ) अपनी साईकिलें बेचने के लिये फर्म ने मध्यपूर्व देशों, द० पू० एशिया तथा नाइजीरिया के लिये एजेन्ट नियुक्त किये हैं।

Conducting of a competitive test by R.B.I. for appointment of 'A' and 'B' class officers

4412. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India Services Board, Bombay is conducting a competitive test for the appointment of 'A' and 'B' class officers at 14 important centres in the country during February or March, 1975;

(b) if so, the names of these centres;

(c) whether not even a single centre from Madhya Predesh has been included for these competitive examination; and

(d) if so, reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) Yes, Sir.

(b) Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Gauhati, Hydrabad, Jaipur Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum.

(c) & (d) : Reserve Bank of India has reported that the bank has not selected a centre in each State for holding the examination. It is being held at only those centres where the bank has offices with necessary administrative personnel for conducting it. As the bank has only small Regional Offices of certain of its departments at Bhopal and Indore which do not have the necessary complement of staff for conducting an examination, the bank is not holding it at either of these places Candidates from Madhya Pradesh have the choice to take the examination either from Nagpur which is the nearest centre or from other centres notified by the bank.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाई गई पूंजी का प्रतिलाभ

4413. **श्री शंकर राव सावन्त :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने निदेश जारी किये हैं कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को पूंजी-निवेश पर कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिलाभ कमाना चाहिए ;

(ख) गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र की कितनी परियोजनाओं ने इस दर से प्रतिलाभ कमाया है और कितनी परियोजनाओं ने इस स्तर से कम प्रतिलाभ कमाया है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा कम प्रतिलाभ कमाये जाने के सामान्यतया क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं। तथापि, उद्यमों को लाभकारिता बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि समुचित प्रतिलाभ प्राप्त हो सके।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :--

	1971-72	1972-73
लगी पूंजी पर कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिलाभ अर्जित करने वाले सरकारी उद्यमों की संख्या	28	31
लगी पूंजी पर 10 प्रतिशत से कम प्रतिलाभ अर्जित करने वाले या घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	73	72

(1973-74 के सम्पूर्ण परीक्षित लेखे उपलब्ध नहीं हैं)

(ग) इन में से कुछ परियोजनाओं के पनपने की अवधि लम्बी होना, क्षमता का कम उपयोग होना, सामान और हिस्से पुर्जों की लागत बढ़ जाना; और तैयार उत्पादों की कीमतें अलाभकर होना ही सामान्यतः इसके कारण हैं।

आयकर अधिकारियों द्वारा मेरठ एवं कानपुर में छापे

4414. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने नवम्बर, 1974 में मेरठ और कानपुर से लाखों रुपयों के जेवरात और प्रोनोट तथा संदेहास्पद दस्तावेज पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय पटसन निगम की पटसन मिलों से बकाया राशि

4415. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिलों के कुछ महत्वपूर्ण प्रबन्धकों ने भारतीय पटसन निगम को अभी तक अपनी पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) कलकत्ता की मेकलायड कम्पनी तथा नेशनल जूट मिल पर अभी तक कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) पटसन मिलों के प्रबन्धकों ने भारतीय पटसन निगम को अभी तक कितनी बकाया धनराशि का भुगतान करना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 30-11-1974 तक मेकलायड ग्रुप आफ जूट मिल्स तथा नेशनल कम्पनी लि० से क्रमशः 28.64 लाख रु० तथा 33.51 लाख रु० की धनराशियां बकाया थीं।

(ग) 30-11-1974 तक मिलों से बकाया कुल धनराशि 658.74 लाख रु० थी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त उपलब्धियों का भुगतान

4416. **श्री बीरेन एंगती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश तथा अधिनियम की घोषणा के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि दिये गये थे ;

(ख) इस अध्यादेश तथा अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त उपलब्धियों की कितनी राशि रोक ली गई है;

(ग) क्या इसके बाद भी जीवन निर्वाह सूचकांक में और वृद्धि हुई है और यदि हां, तो ये वृद्धि कितने अंकों की है ; और

(घ) सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 6 जुलाई 1974 को अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के पश्चात 6 अगस्त, 1974 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1974 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की एक किश्त स्वीकृत की गई थी ।

(ख) अध्यादेश तथा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत 6 जुलाई 1974 के बाद मंजूर किये गये अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की आधी राशि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा खाते में जमा करानी होती है ।

(ग) मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)––आधार वर्ष 1960–100) जो 1 अप्रैल 1974 को 275 था वह 1 नवम्बर 1974 को बढ़कर 335 हो गया, जोकि नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं । 12 महीनों के तदनुरूपी औसत सूचकांक क्रमशः 249.91 तथा 292.00 हैं ।

(घ) सरकार ने मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिये अनेक उपाय किये हैं । मूल्य वृद्धि के परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचरायों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाना

4417. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण के रूप में दिये जाने वाले सरकारी धन की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह वांछनीय समझा है कि इस प्रयोजन के लिये जीवन बीमा निगम से कुछ धन दिया जायें ;

(ख) जीवन बीमा निगम ने 1973 और 1974 के दौरान इस प्रयोजन के लिये अब तक कुल कितनी राशि दी है; और

(ग) 1975 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जीवन बीमा निगम के धन को सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण देने से संबंधित प्रयोजन में लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, जीवन बीमा निगम, विभिन्न सामाजिक आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ (i) मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना, (ii) किराये की आवासीय योजना तथा (iii) निम्न आय वर्ग आवासीय योजना शामिल हैं, विभिन्न राज्य सरकारों को धन आबंटित करने के संबंध में प्रत्येक वर्ग निर्माण तथा आवास मन्त्रालय को धन देता है । इन योजनाओं से, अन्य लोगों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ होता है । इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम सहकारी आवास योजनाओं तथा अपने मालिकी के घर बनाओ योजना के अधीन ऋण देता है, जिसका लाभ सरकारी कर्मचारी भी उठा सकते हैं ।

(ख) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में प्रत्येक वर्ष निगम ने निर्माण तथा आवास मन्त्रालय की मार्फत 15 करोड़ रुपये दिये ।

(ग) सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अनुसूचित जाति के कर्मचारिओं की संख्या

4418. **श्री हरी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध वाले होटलों में काम कर रहे अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है ;

(ख) क्या इस संख्या से अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित समूचा कोटा पूरा हो जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका कोटा भरने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अनुसूचित जातियों के 900 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) श्रेणी I तथा श्रेणी II वर्ग के पदों में इनकी भर्ती में कमी है। इन वर्गों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

जिला कटक (उड़ीसा) में पर्यटन केन्द्रों (टूरिस्ट काम्पलैक्स) का विकास

4419. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले में रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या बालीचन्द्रपुर में पर्यटक लाज बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है जिसका शिलान्यास तत्कालीन केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री ने 1961 में किया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं योजना में उड़ीसा में भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी में सुविधाओं का विकास करने पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है। अतः फ़िलहाल रत्नगिरी उदयगिरी तथा ललितगिरि में पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने अथवा बालीचन्द्रपुर में एक पर्यटक लाज के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन स्थानों पर सुविधाएं प्रदान करने पर विचार भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी में प्रारम्भ की गई स्कीमों की प्रगति का मूल्यांकन करने के पश्चात तथा धन उपलब्ध होने पर ही किया जाएगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की ढुलाई

4420. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम हाल ही में अठारबंकी, जो पत्तन का रेल टर्मिनस है, के बजाय धानमंडल रेलवे स्टेशन के पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क की ढुलाई करने में व्यस्त रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह):(क) तथा (ख) पारादीप पतन से लोह अयस्क के निर्यातों को अधिकाधिक बढ़ाने के उद्देश्य से लोह अयस्क के निर्यात एक पूरक आधार पर अठारबंकी और धानमण्डल दोनों से होते हैं क्योंकि अठारबंकी साइडिंग समस्त लौह अयस्क यातायात की व्यवस्था के लिये अभी पूर्णतः विकसित नहीं है।

(ग) इस प्रबन्ध को सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

मैसर्ज राम बहादुर ठाकुर द्वारा कम राशि के बीजक बनाये जाने का आरोप

4421. **श्री अजीत कुमार साहा** :
श्री जयोर्तमय बसु :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्ज राम बहादुर ठाकुर नामक फ़र्म, जिसने हाल ही में अपने ठेके का नवीकरण किया है तथा विशाखापत्तनम, पत्तन से निर्यात के लिए मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड के अधिक फास्फोरस वाले बढ़िया किस्म के 50,000 टन मैंगनीज अयस्क की ढुलाई के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुमति प्राप्त की है, 25 प्रतिशत तक कम राशि के बीजक बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस फर्म द्वारा कम राशि के बीजक बनाने का कोई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि ऐसा होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती, क्योंकि :—

(1) विदेशी ग्राहकों के साथ बिक्री कीमतों पर बातचीत करने तथा उसको तय करने का काम खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है।

(2) विदेशी ग्राहकों द्वारा प्रमाणित साख पत्र सीधे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नाम में प्राप्त किये जाते हैं और नौवहन दस्तावेजों का परक्रामण खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है।

(3) विदेशी बीजक बनाने का कार्य खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अहमदाबाद में हवाई अड्डे का निर्माण

4422. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में नए हवाई अड्डे का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ख) इस नये हवाई अड्डे के निर्माण पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अहमदाबाद में एक नया हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, साधन उपलब्ध होने की हालत में पांचवीं योजनावधि में हवाई अड्डे पर एक नये स्थान पर साथ लगे हुए एप्रन तथा टैक्सी-ट्रैक सहित एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है जिस पर 35 लाख रुपये की लागत आने की संभावना है।

कानपुर में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

4423. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने सितम्बर, अक्तूबर, 1974 के दौरान विभिन्न फर्मों पर कितने छापे मारे ;

(ख) ऐसे छापों में कितना धन तथा कितने मूल्य का सोना बरामद किया गया और उनसे कौन-कौन व्यक्ति सम्बद्ध हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) सितम्बर और अक्तूबर 1974 के दो महीनों के दौरान, कानपुर के आयकर आयुक्तों द्वारा जारी किए गए प्राधिकारों से आयकर प्राधिकारियों द्वारा 61 तलाशियां ली गई।

(ख) जिन व्यक्तियों के मामलों में उपर्युक्त तलाशियां ली गई, उनके नाम तथा प्रत्येक मामले में पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-8751/74]**

(ग) पकड़े गए माल की जांच पड़ताल की जा रही है। जिन मामलों के बहुमूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं, उनमें अघोषित आय का अनुमान लगाने और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों में से कर-दायित्वों को पूरा करने योग्य परिसम्पित्तयां रोक रखने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अधीन सरसरी तौर पर आदेश पारित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। जांच-पड़ताल पूरी होने पर कानून के अन्तर्गत यथावश्यक आगे कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिम योरुप को चमड़े से बने सामानों की सप्लाई

4424. **श्री भोला मांझी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी योरुप भारत से चमड़े से बने सामानों को खरीद है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम यूरोप को चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं, जिसमें जूते भी शामिल हैं, के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

(लाख रुपये)

वर्ष	चमड़े की वस्तुएं तथा चमड़ा निर्मित माल	चमड़े के जूते तथा संघटक	योग
1971–72	31.53	84.76	116.29
1972–73	76.78	79.65	157.43
1973–74	173.79	149.54	323.33

पश्चिम यूरोपीय देशों में बढ़ती हुई श्रम लागतों की वजह से चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन अलाभकर हो गया। अतः भारत के लिये, पश्चिम यूरोप को इन मदों के निर्यातों के अपने वर्तमान स्तर में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के अन्तगर्त कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

4425. **श्री एस०एम० सिद्दय्या :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालयों को मन्त्रालय से सम्बद्ध तथा अधीनस्थ, कार्यालयों तथा मन्त्रालय के अधीन सम्बन्धित सांविधिक, स्वायत्त तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इन कार्यालयों की सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के समुचित प्रतिनिधित्व पर निगरानी रखने के लिये समय-समय पर आंकड़े मिलते हैं ;

(ख) यदि ऐसे विवरण मिलते हैं तो क्या उनकी उन कार्यालयों में इन समुदायों का भर्ती सम्बन्धी कमियों का पता लगाने के लिए ध्यानपूर्वक जांच की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है कि जिन कमियों का पता लगा हैं उन्हें भली भांति दूर किया जाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच पड़ताल करने पर ध्यान में आई कमियों के लिए अनुवर्ती उपचारी कार्यवाही की जाती है।

जापान से अखबारी कागज का आयात

4426. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान से अखबारी कागज का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हाल में किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी 1975 से जून 1975 के दौरान फिलहाल 20,000 मे० टन अखबारी कागज आयात करने की प्रस्थापना है और साथ ही यह विकल्प भी रखा गया है कि इसे बढ़ाकर 30,000 मे० टन भी किया जा सकता है।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में अभी हाल में हुई कमी का निर्यात पर प्रभाव

4427. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की जाने वाली अनेक वस्तुओं की कीमतों में अभी हाल में हुई कमी का हमारे निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) निर्यातोन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिससे वे अपने उत्पादन को बनाए रख सकें ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यातों (पुनर्नियातों सहित) से संबंधित नवीनतम आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान निर्यात पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक थे। 1974-75 के पूर्वार्द्ध में तेलों, खली और समुद्री उत्पादों के इकाई मूल्य में गिरावट के बावजूद 1974-75 के लिए नियत 2600 करोड़ के निर्यात लक्ष्य से अधिक निर्यात होने की सम्भावना है।

(ख) सरकार द्वारा उठाये गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:—

(1) निर्यात अभिमुख एककों को पूंजीगत माल के आयात के संबंध में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे एककों से प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर कार्यवाही प्राथमिकता आधार पर की जाती है और उन्हें विदेशी मुद्रा के आबंटन में अन्य एककों की अपेक्षा तरजीह दी जाती है।

(2) जो एकक निर्यात के लिए उत्पादन के 60 प्रतिशत अथवा अधिक की पेशकश करते हैं उनसे औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पर कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक की जाती है और उनके निपटान पर निगरानी रखी जाती है।

(3) बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विदेशी अधिकांश कम्पनियों से उत्पादन की अन्य लाइनो में विविधीकरण के लिए अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है बशर्ते कि वे 60 प्रतिशत का निर्यात दायित्व स्वीकार करें, जो उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित हैं, उनके मामले में निर्यात दायित्व 75 प्रतिशत है।

(4) निर्यात उत्पादन हेतु चालू आयात नीति के पुनर्विन्यास के अलावा, चुनिन्दा स्वदेशी कच्चे माल की सप्लाई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर की जाती है और प्राथमिकता प्रदान की जाती है और पूंजीगत माल के लिए अपेक्षित फ़ालतू पुर्जों और संघटकों के आयात हेतु प्रक्रियात्मक सुधार कर दिये गए हैं।

गोआ के अयस्क निर्यातकर्त्ताओं द्वारा बीजकों में कथित गड़बड़

4428. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के अयस्क निर्यातकर्त्ता बीजकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ कर रहे हैं तथा कम मूल्य पर अयस्क बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस व्यापार को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कदाचारों को समाप्त करने हेतु क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) बीजक में गड़बड़ी का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। तथापि, गोआ के निर्यातकों से अपने लौह अयस्क की बिक्री के लिए विद्यमान संविदाओं को पुनः तय करने और अपेक्षाकृत ऊंची कीमतें प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Heavy Industries in Public Sector

4429. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of heavy industries being run in the public sector;

(b) the number of companies among them that earned profits during 1973-74 and the number of those which suffered loss during that period; and

(c) the total amount of profit earned by these companies during 1973-74 and the loss suffered by them in that year ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranabh Kumar Mukherjee) : (a) There were 36 such companies as on 31-3-1974 and they included enterprises manufacturing steel, fertilizers, petroleum and petroleum products, basic chemicals, drugs, insecticides, paper,, cement and heavy engineering items including transportation equipments.

(b) & (c) 13 companies made a profit of Rs. 94.34 crores, whereas 11 companies made a loss of Rs. 34.40 crores during 1973-74. The audited accounts for 1973-74 in respect of two companies, namely, Goa Shipyard Limited and Mandya National Paper Mill Limited, are not yet available.

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा 20 बड़ी कम्पनियों/व्यक्तियों को मंजूर किए गए ऋण

4430. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी 20 कम्पनियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1974 के प्रथम छः महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया से अधिकतम ऋण प्राप्त हुए ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया ;

(ग) इन ऋणों के लिये आवेदन-पत्र इन बैंकों को किस-किस तारीख को पेश किये गये और किस-किस तारीख को उक्त ऋण मंजूर किये गये;

(घ) इस अवधि के दौरान इन बैंकों ने कुल कितनी राशि के ऋण दिये; और

(ङ) इस अवधि में कुल कितने आवेदन पत्र या तो अस्वीकार किये गये अथवा निर्णयाधीन रखे गये ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मे (ग) बैंक साधारणतः कार्यचालन पूंजी प्रयोजन के लिए ऋण सहायता मंजूर करते हैं जिसे सामान्यतः ओवर ड्राफ्टों, नगद ऋणों, हुण्डियों गारंटियों आदि की सीमाओं के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और ऋणकर्त्ता को इस सीमा के भीतर कार्य करना पड़ता है। इस सीमा की समय समय पर समीक्षा की जाती है और ऋणकर्त्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें घट-बढ़ या उन्हें रद्द आदि करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा बैंकरों में प्रचलित प्रणाली और परम्परागत व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार बैंकों के लिए अपने किसी ग्राहक अथवा उसके कार्य सम्बन्धी सूचना प्रकट करना सम्भव नहीं है।

(ख) जून, 1974 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि कुल मिलाकर 6624 करोड़ रुपये थी।

(ङ) ऋण लेने के इच्छुक विभिन्न व्यक्ति, सारे भारत में फैली बैंकों की अनगिनत शाखाओं में से अपने कारोबार के स्थान के निकट वाली शाखा से विभिन्न प्रकार की सीमाओं की मंजूरी के लिए अनुरोध करते हैं, इसलिए बैंकों के पास आंकड़ों सम्बन्धी उस प्रकार की सूचना मौजूद नहीं रहती जिसकी अपेक्षा की गई है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की इमारतें

4431. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी अपनी इमारतें हैं; और

(ख) ऐसे बैंकों की संख्या कितनी है जिनकी अपनी इमारतें नहीं हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में इस समय पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कार्मशियल बैंक और यूनियन बैंक के कार्यालय हैं। इन बैंकों ने सूचना दी है कि उक्त राज्य में उनके निजी भवन नहीं हैं।

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं

4432. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय बैंकों के क्या नाम हैं जिनकी विदेशों में शाखायें/कार्यालय हैं तथा इन देशों के क्या नाम हैं; और

(ख) इन बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारत में अपने मुख्यालयों को बैंकवार कितनी-कितनी राशि भेजी गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत की गई है ।

(ख) यथासंभव सूचना एकत्र की जा रही है, जो सभापटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

भारतीय वाणिज्य बैंकों की भारत से बाहर अवस्थित शाखाओं का वितरण—30 सितम्बर, 1974 की स्थिति

क्रम संख्या	बैंकों का नाम	देश का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	(i) श्री लंका	1
		(ii) ब्रिटेन	3
		(iii) संयुक्त राज्य अमेरीका	1
		(iv) मालदीव द्वीप समूह	1
2.	सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया	(i) ब्रिटेन	1
3.	बैंक आफ इण्डिया	(i) जापान	2
		(ii) ब्रिटेन	6
		(iii) केन्या	2
		(iv) हांगकांग	1
		(v) सिंगापुर	1
		(vi) फ्रांस	1
4.	बैंक आफ बड़ौदा	(i) फिजी द्वीप समूह	8
		(ii) गुयाना	2
		(iii) केन्या	7
		(iv) मारिशस	5
		(v) ब्रिटेन	4
		(vi) डुबाई	1
		(vii) अबू धाबी	1
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	(i) हांगकांग	2
		(ii) सिंगापुर	3
		(iii) ब्रिटेन	1
6.	इंडियन बैंक	(i) श्री लंका	1
		(ii) सिंगापुर	1
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	(i) हांगकांग	2
		(ii) सिंगापुर	1
		(iii) श्री लंका	1
8.	भारत ओवरसीज बैंक लि०	थाईलैंड	1

नोट : इसके अतिरिक्त नीचे लिखे भारतीय वाणिजिक बैंकों के प्रतिनिधिक कार्यालय भारत से बाहर के देशों में कार्यारत हैं :–

1.	भारतीय स्टेट बैंक	(i) लेबनान	1
		(ii) पश्चिमी जर्मनी	2
2.	बैंक आफ इंडिया	इंडोनेशिया	1

किन्तु, ये कार्यालय बैंकिंग व्यापार का सम्पादन नहीं करते हैं ।

ब्याज की बढ़ायी हुई दरों के परिणामस्वरूप बैंक की जमाराशि में वृद्धि

4433. **श्री एस० आर० दामणी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमा राशि पर ब्याज की दरों को बढ़ाने की घोषणा करने के बाद बैंक की जमाराशि में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशील रोहतगी) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाएं (अन्तर बैंक जमाओं को छोड़कर) 19 जुलाई, 1974 को 10870 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 29 नवम्बर, 1974 को 11313 करोड़ रुपये हो गई । (जमाओं पर संशोधित ब्याज दर 23 जुलाई 1974 से लागू हुई थी) तथापि, यह भी उल्लेखनीय है जमा वृद्धि को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं जैसे समाज की बचत-क्षमता, अन्य तुलनीय परिसम्पत्तियों पर आवर्तन की दर, बचत के उपयोग के लिए वैकल्पिक साधन, मुद्रा-विस्तार का परिमाण, ऋण-नीति आदि । ब्याज दर में परिवर्तन भी इस प्रकार के तत्वों में से केवल एक तत्व है ।

कपड़ा निर्यातकों की बैंक-ऋणों सम्बन्धी आवश्यकतायें

4434. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों पर प्रतिबन्ध का ऊंचे कपड़ा-निर्यातकों पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या कपड़ा-निर्यातकों को अधिकृत ऋण-पत्र भी अपने बैंकों से ऋण प्राप्त करना कठिन हो रहा है ;

(ग) क्या निर्यात ऋण पर ब्याज दरों में बार-बार वृद्धि होती रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कपड़े के निर्यात के संबंध में वर्ष 1974-75 के लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे; तथा अपेक्षित विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी; और यदि नहीं, तो कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 29 अक्तूबर, 1974 को रिजर्व बैंक द्वारा चालू व्यस्त मौसम के लिए घोषित की गई ऋण नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्यात सम्बन्धी प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढील नहीं आने देनी चाहिए तथा निर्यात ऋण के लिए दी गई उच्च प्राथमिकता को जारी रखा जाना चाहिए । इस पहलू को रिजर्व बैंक ने प्रत्येक बड़े वाणिज्यिक बैंकों के साथ हुई ऋण आयोजना सम्बन्धी अपनी चर्चा में दोहराया है । किसी मद, जैसे सूती वस्त्र, के सम्बन्ध में निर्यात कार्य विभिन्न तत्वों पर आधारित होता है । इन में से दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं : विदेशों में मांग की मात्रा तथा भारतीय निर्यातकों के साथ ही साथ अन्य प्रतियोगियों द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों की प्रतियोगिता इस प्रकार निर्यात-कार्य को प्रभावित करने वाले समूचे सम्मिश्रित तत्वों में से ऋण की एक सीमान्तिक भूमिका ही होती है ।

(ग) निर्यात ऋण पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की अधिकतम सीमा को अप्रैल, 1974 में 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत, जुलाई, 1974 में 10.5 प्रतिशत और सितम्बर, 74 में 11.5 प्रतिशत कर दिया गया है । ब्याज की दरों को इस लिए बढ़ाया गया है ताकि ब्याज दर के ढांचे की समग्र नीति के अनुरूप, बनाया जा सके तथा जो ब्याज-कर अदा किया जाना है उसका भी प्रबन्ध हो जाये ।

(घ) 1974-75 में सूती वस्त्र के लिए 235 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वित्तीय वर्ष के प्रथम सात महीनों में लगभग 162 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है । इस समय आशा की जाती है कि कुल मिलाकर लक्ष्य की प्राप्ति हो जायेगी ।

बड़े पैमानें पर सार्वजनिक पर्यटन

4435. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पर्यटन से देश में स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो रहा है तथा इस के फलस्वरूप देश में वायु-दूषण हो रहा है तथा जलवायु में अवांछित परिवर्तन होते जा रहे हैं ;

(ख) क्या पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा का दो तिहाई भाग होटलों, सड़कों तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए अदायगियों एवं पर्यटकों के आराम के लिये ऐश्वर्य की वस्तुओं के आयात पर ही खर्च हो जाता है ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(घ) बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पर्यटन के कुप्रभावों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) और (ख) भारत के लिए पर्यटक यातायात अभी विकासशील अवस्था में है। प्रश्न में उल्लिखित पर्यटन के ऐसे "कु-प्रभावों" का अभी हमें अनुभव नहीं है। तथापि, एहतियात के तौर पर पर्यटन विभाग ने प्राकृतिक सौंदर्य तथा पुरातात्विक रुचि के स्थानों पर लूट खसोट को रोकने की दृष्टि से चुने हुए पर्यटक केन्द्रों और क्षेत्रों के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

(ख) और (ग) व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्, नई दिल्ली, द्वारा भारतीय पर्यटन के बारे में हाल ही में किये गये अध्ययन के अनुसार पर्यटन से होने वाली कुल विदेशी मुद्रा की आय का 5.10 प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुओं, सामग्री तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात, विदेशी तत्वों को (टैक्स निकाल कर) भुगतान तथा विदेशों में पर्यटन की अभिवृद्धि, विज्ञापन एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर खर्च होता है। इस आधार पर 1972 तथा 1973 के दौरान क्रमशः 48.3 करोड़ रुपये तथा 67.5 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित विदेशी मुद्रा की आय में से इन मदों पर क्रमशः 2.46 करोड़ रुपये तथा 3.44 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋणों पर लागू किए गये प्रतिबन्धों से प्रभावित उद्योग

4436. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा हाल ही में ऋणों पर लगाये गये प्रतिबन्धों का उत्तरी क्षेत्र के 68.8 प्रतिशत उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या ऋणों पर प्रतिबन्धों से उन उद्योगों की विस्तार योजनाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है जिन्हें बीच में ही विस्तार को रोकना पड़ा ;

(ग) क्या ऋणों के उपयोग में कदाचार होते रहे थे और ईमानदार व्यापार गृहों को परेशानी उठानी पड़ी थी ;

(घ) क्या ऋण संबंधी सीमा को उपयोग में लाई गई सामग्री की मात्रा को देखते हुए निर्णय किया जाता है अथवा कि मूल्यों में वृद्धि का विचार किये बिना धनराशि का अन्तिम सीमा के आधार पर; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशील रोहतगी) : (क) से (घ) सरकार ने उत्तर क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य और उद्योग संघ (फेडरेशन) द्वारा किये गये ऋण आयोजना विषयक हाल के सर्वेक्षण का विश्लेषण देखा है। सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत इसी की ओर है।

ऋण प्रतिबन्ध की नीति की व्यापक सीमाओं के अन्तर्गत, जोकि समग्र राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति तथा बैंक ऋण को प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण-प्रदान के कारण आवश्यक हो गई है, वाणिज्यिक बैंकों ने उत्पादन और व्यापार की यथार्थ आवश्यकताओं के लिए दी गई ऋण सहायता को जारी रखा है। साधनों के समूचे नियंत्रण के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने, बैंकों को सलाह दी है कि ऋण की उचित आवश्यकताओं को ऋण की शीघ्र वसूली करके पूरा किया जाना चाहिए। ऋण भी उन तत्वों में से एक तत्व है जो औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों के स्तर का निर्धारण करता है। कच्चे माल की उपलब्धि, बिजली, परिवहन, बाजार की स्थिति आदि जैसे अन्य तत्व भी हैं जो किसी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन के स्तर पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं।

रिजर्व बैंक पहले ही एक अध्ययन दल की स्थापना कर चुका है जो बैंक ऋण के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएगा।

वर्ष 1974-75 में गोआ के लिए मन्जूर की गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

4337. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 में गोआ के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं मंजूर की गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, जिनमें 14 राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं, पहली जनवरी, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 की अवधि के दौरान संघ शासित प्रदेश गोवा, दमण और दीव में 2 कार्यालय खोले थे। इस संघ शासित क्षेत्र में नए कार्यालय खोलने के वास्ते बैंकों को 5 लाइसेंस और भी दिए जा चुके हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा गोआ के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निवशित की गई राशि

4438. **श्री पुरुषोतम काकोडकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने 1970-71, 1971-72 और 1973-74 में नवम्बर 1974 तक गोआ के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि का निवेश किया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशील रोहतगी) : गोआ में, जिसे समग्र रूप में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान तथा 1-4-74 से 30-11-74 तक किये गये कुल सकल निवेश इस प्रकार हैं :—

वर्ष	निवेश की रकम (लाख रुपयों में)
1970—71	कुछ नहीं
1971—72	107.45
1972—73	0.16
1973—74	कुछ नहीं
1—4—1974 से 30—11—1974 तक	कुछ नहीं

गोआ के बुनकरों द्वारा धागे की मांग

4439. **श्री पुरुषोतम काकोडर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के बुनकरों ने पहले कभी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि उनकी धागे की मांग को पूरा करने के लिए सहायता की जाये; और

(ख) क्या नवम्बर, 1974 में गोआ सरकार ने इस प्रकार का कोई अनुरोध किया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

वर्ष 1974-75 में राजस्थान के लिए मंजूर की गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

4440. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में राजस्थान के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं मंजूर की गई हैं; और

(ख) ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि 1 जनवरी, 1974 से 31 जुलाई, 1974 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, जिन में से 14 राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं, राजस्थान में 13 शाखाएं खोली गई। जिन स्थानों पर ये कार्यालय खोले गए हैं उनके नाम अनुबन्ध I में दिए गए हैं।

इस राज्य में शाखायें खोलने के वास्ते जुलाई, 1974 के अन्त में 62 लाइसेंस अलाटमैंट सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अनिष्पादित पड़े थे। ये लाइसेंस/अलाटमैंट जिन स्थानों के संबंध में उनके नाम अनुबन्ध-II में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—8752/74]

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1 जनवरी, 1974 से 31 जुलाई, 1974 तक की अवधि में राजस्थान में खोले गए कार्यालयों की सूची ।

जिले का नाम	कार्यालय-स्थान
अजमेर	अजमेर
	अजमेर–दरगाह बाज़ार
अलवर	अलवर
चित्तौड़गढ़	बस्सी
	निभोरा
गंगानगर	श्री गंगानगर
जयपुर	जयपुर–होटल क्लार्क अमेर जयपुर 'सी' स्कीम
झालवाड़	झालवाड़
झुनझुनू	उदयपुरवटी
जोधपुर	जोधपुर–शास्त्रीनगर
	जोधपुर–तीजा मंताजी का मन्दिर
सिरोही	मन्दर

जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान को विकास कार्यों के लिए दिए गए ऋण

4441. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1972-73 और 1973-74 में राजस्थान को अपने विकास कार्यों के लिए कितनी राशि के ऋण दिए ; और

(ख) 1972-73 और 1973-74 में अन्य राज्यों को दी गई सहायता के तुलनीय आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान के बुनकरों द्वारा धागे की मांग

4442. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बुनकरों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी धागे संबंधी मांग को पूरा करने में सहायता की जाये;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने नवम्बर 1974 में ऐसा कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान के साथ विमान-सेवा सम्बन्धों को पुनः स्थापित करना

4443. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के क्षेत्रों के ऊपर से उड़ानों तथा विमान-सेवाओं को पुनः चालु करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु ही भारत-पाक विशेषज्ञ समितियां गठित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) शिमला समझौते तथा 14 सितम्बर, 1974 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसरण में भारत तथा पाकिस्तान ने नागर विमानन सम्बन्धी मामलों पर 18 से 22 नवम्बर, 1974 तक रावलपिंडी में बातचीत की।

ये विचार-विमर्श विशेषरूप से इकाओं (आई०सी०ए०ओ०) में दायर 1971 केस के द्विपक्षीय समझौते के लिए शर्तें तथा दोनों देशों के ऊपर से उड़ानों तथा दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए सिद्धान्तों को तै करने के लिए किये गये थे।

ये विचार-विमर्श एक-दूसरे के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझने के लिए लाभदायक थे तथा यह तै हुआ कि बातचीत को आगे एक और बैठक में जारी रखा जाए जोकि परस्पर सुविधा-अनुसार एक सहमत तारीख को नई दिल्ली में हो।

22 नवम्बर, 1974 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति का मूलपाठ संलग्न है।

विवरण

14 सितम्बर, 1974 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में घोषित किये गये भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के निर्णयों के अनुसरण में, दोनों देशों के शिष्टमंडलों ने उनके भूभागों के ऊपर से होकर की जाने वाली उड़ानों के संबंध में 1971 के मामले, तथा दोनों देशों के ऊपर से होकर तथा उनके बीच की जाने वाली उड़ानों को पुनः चालू करने के प्रश्न पर से बातचीत करने के लिए 18 से 22 नवम्बर, 1974 तक रावलपिंडी में बैठक की।

2. भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के सचिव, परम श्रेष्ठ श्री नरोत्तम सहगल ने किया था। इस शिष्टमंडल में पर-राष्ट्र मन्त्रालय तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी तथा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

3. पाकिस्तानी शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के रक्षा तथा विमानन सचिव, मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) फजल मुकीम खान ने किया था। इस शिष्टमंडल में पर-राष्ट्र मन्त्रालय, नागर विमानन प्रभाग तथा नागर विमानन विभाग के अधिकारी तथा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

4. दोनों शिष्टमंडलों के नेताओं ने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए शिमला समझौते के उपबन्धों के कार्यान्वयन की दिशा में अब तक हुई प्रगति का संतोषजनक दृष्टि से प्रत्यवलोकन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नागर विमानन संबंधी मामलों पर भी बातचीत इसी प्रकार सफल होगी।

5. दोनों पक्षों ने 1971 के इकाओ (आई० सी० ए० ओ०) मामले के निपटारे के लिए शर्तें तै करने की दृष्टि से विस्तृत विचार-विमर्श किया। दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं पुनः स्थापित करने तथा उनके भूभागों के ऊपर से होकर उड़ानों को पुनः चालू करने के लिए आपस में स्वीकार्य सिद्धान्त खोजने के लिये भी बातचीत की गई।

6. बातचीत मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई तथा दोनों पक्षों ने विचारों का खुल कर आदान प्रदान किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि बातचीत ने एक दूसरे के दृष्टिकोणों को अधिक अच्छी तरह समझने में सहायता की है। उन्होंने निर्णय किया कि बातचीत को आगे एक और बैठक में जारी रखा जाए जोकि परस्पर सुविधा-अनुसार एक सहमत तारीख को नई दिल्ली में की जाए।

पाकिस्तान से रुई का आयात

4444. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान से रुई आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) पूर्ति और मांग के बीच अन्तर और वस्त्रों के प्रत्याशित निर्यात परिमाण को देखते हुए निर्यात उत्पादन के लिए मीडियम स्टेपल रुई के कुछ आयातों का किया जाना आवश्यक हो सकता है। पाकिस्तान हमारे द्वारा अपेक्षित मीडियम स्टेपल रुई की पूर्ति कर सकता है और पाकिस्तान /अथवा अन्य स्रोतों से आयात करने का प्रश्न विचाराधीन है।

1 नवम्बर, 1974 को इण्डियन एयरलाइंस के विमान की विलम्ब से उड़ान

4445. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1974 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 188, जिसे 12.30 बजे मध्याह्न पश्चात् जाना था, बिना सम्बन्धित यात्रियों को सूचित किए 11.30 बजे मध्याह्न पूर्व की गई थी;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस की इस गलती के बारे में यात्रियों ने कोई शिकायतें की हैं; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) 1-11-1974 से प्रभावी प्रकाशित शीतकालीन समय-सारिणी के अनुसार, उड़ान आई०सी०-188 को दिल्ली से 12-30 बजे रवाना होना था तथा 14.25 बजे बम्बई पहुंचना था । इंडियन एयरलाइंस ने 30/31 अक्तूबर, 1974 को इस उड़ान के प्रस्थान समय में संशोधन करके 11.30 बजे करने का निर्णय किया क्योंकि उसी विमान द्वारा परिचालित एक और उड़ान के प्रस्थान समय को एक घंटा पहले कर देना पड़ा था । समय की कमी के कारण संशोधित प्रस्थान समय को 1 नवम्बर, 1974 के प्रातःकाल में दिल्ली के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रदर्शन-विज्ञापन के रूप में घोषित किया गया । 1 नवम्बर को उक्त उड़ान में 10 मिनट की देरी की गई ताकि उन पांच यात्रियों को भी, जिन्होंने विमान क्षेत्र काउंटर पर 11.30 बजे रिपोर्ट किया था, स्थान दिया जा सके । जब विमान 42 यात्रियों को लेकर टैक्सी-पथ से निकल चुका तो 10 और यात्री आ गये, परन्तु उन्हें उस उड़ान पर स्थान नहीं दिया जा सका । तथापि, उन्हें उसी दिन उड़ान आई० सी०-405 द्वारा यात्रा करने के लिए पुनः बुक कर दिया गया ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस ने उन माननीय सदस्य महोदय से, जिन से कि उनको हुई असुविधा के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, हार्दिक क्षमा-याचना की है ।

अमरीका को विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करने वाले निर्यातकों को वीजा

4447. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल के बने व हथकरघा सूती कपड़े, बनी हुई वस्तुएं तथा सिले सिलाए कपड़ों सहित अन्य भारतीय वस्तुओं को अमरीका निर्यात करने वाले निर्यातकों को वीजा लेनी की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा कपड़ों, सिले सिलाए कपड़ों तथा अन्य भारतीय वस्तुओं आदि जिन चीजों को यात्रा संबंधी प्रतिबन्धों से छूट दी गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को सूती वस्त्रों के निर्यात पर लागू मात्रा संबंधी सीमाओं से जिन मदों पर छूट दी गई है वे हैं :—

(1) सभी 100 प्रतिशत हथकरघा वस्त्र जिनमें तैयार कपड़े तथा परिधान शामिल हैं; और

(2) "भारत मदें" अर्थात जो मदें अनन्य तथा ऐतिहासिक तौर पर परम्परागत भारतीय उत्पाद हैं और जो ऐसे एककों में हाथ से कटे, सिले अथवा अन्यथा बनाए गए हैं जो कुटीर उद्योग के एकक हैं ।

स्कूल बैंक योजना

4448. **श्री ए० के० किस्कू :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में बचत की भावना पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई स्कूल बैंक योजना अधिकतर असफल रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो नगरीय क्षेत्र-वार एवं ग्रामीण क्षेत्र-वार प्रत्येक राज्य में प्राप्त सफलता का सारांश क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, नहीं ।

(ख) जैसा कि निम्नलिखित से पता चलता है स्कूल बचत बैंक (संचायिका) योजना ने अच्छी उन्नति की है :—

राज्य	संचायिकाओं की कुल संख्या	सदस्य	संग्रह (हजार रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	196	28,995	94
असम	48	5,227	20
बिहार	96	7,280	54
दिल्ली	118	20,015	1,88
गोआ	34	8,160	43
गुजरात	156	20,067	93
हिमाचल प्रदेश	62	7,082	11
जम्मू और कश्मीर	34	4,272	8
केरल	83	36,320	123
तमिल नाडु	326	54,750	251
मध्य प्रदेश	660	86,152	475
महाराष्ट्र	2333	105,031	1,252
कर्नाटक	154	10,909	103
उड़ीसा	80	12,246	36
पंजाब	134	29,764	325
राजस्थान	146	19,275	217
उत्तर प्रदेश	409	126.199	475
पश्चिम बंगाल	90	11,852	24
हरियाणा	487	108,525	957
	5,640	9.62.051	4,749

संचायिका के माध्यम से किये जाने वाले संग्रह के आंकड़े शहरी और देहाती क्षेत्रों के अनुसार नहीं रखे जाते।

उड़ीसा में 1974-75 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की मंजूर की गई शाखाएं

4449. श्री पी० गंगादेब:

श्री के० प्रधानी:

श्री अनादि चरण दास:

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में 1974-75 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं मंजूर की गई हैं;

(ख) ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी;

(ग) वर्ष 1973-74 में वहां पर कितनी शाखाएं खोली गईं; और

(घ) अग्रणी बैंक ने उक्त शाखाएं खोलने के संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 1973 में 31 कार्यालय और जुलाई 1974 के अन्त तक 9 कार्यालय खोले थे। जहां ये कार्यालय खोले गए थे उन स्थानों के नाम अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं? [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-8753/74]

रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उड़ीसा में नए कार्यालय खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 82 लाइसेंस/आबंटन पत्र थे। इन लाइसेंसों/आबंटन पत्रों से संबंधित केन्द्रों की सूची अनुबन्ध-2 में दी गई है।

(घ) शाखाओं के विस्तार की अपनी व्यापक नीति के एक अंश के रूप में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे कम बैंक वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर अधिकाधिक ध्यान दें। वस्तुत: शाखा खोलने के लिए केन्द्रों का चयन करते समय बैंक कई बातों पर विचार करते हैं वे हैं : जमाएं जुटाने और उत्पादनकारी उद्योगों के लिए ऋण देने की सम्भाव्यता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि, 'लीड' बैंक के रूप में अपनी जिम्मेदारी, विद्यमान बैंक-शाखाओं का जाल आदि।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई धनराशि

4450. श्री पी॰ गंगादेब :
श्री अनादि चरण दास :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1973-74, नवम्बर, 1974 तक, के दौरान जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि लगाई है ;

(ख) उसमें से कितनी धनराशि इन क्षेत्रों में लगाये जाने का विचार है; और

(ग) उस परियोजना का नाम क्या है जिसमें यह पूंजी लगाई गई है तथा कितनी पूंजी लगाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम द्वारा किसी राज्य में किये गये अधिकांश निवेश राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य-स्तर की संस्थाओं को ऋण के रूप में है। इस बात का निर्णय राज्य सरकार तथा इन संस्थाओं को करना होता है कि जीवन बीमा निगम द्वारा उन्हें उपलब्ध कराये गये धन में से पिछड़े क्षेत्रों में कितना धन खर्च किया जाना चाहिए।

जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा राज्य में वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74 में और 1-4-1974 से 30-11-1974 तक किये गये कुल सकल निवेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1-4-74 से 30-11-74 तक
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	354.96	311.65	337.42	313.76	712.80
बिजली बोर्ड बंधपत्र	24.69	68.33	19.90	24.94	69.83
बिजली बोर्ड ऋण	150.00	175.00	250.00	300.00	
भूमि बंधक बैंक ऋण-पत्र	47.73	23.94	28.93	104.74	—
राज्य वित्त निगम बंधपत्र	—	19.55	—	29.92	—
ऋण					
आवासीय योजनाओं के लिए राज्य सरकार को	110.00	110.00	310 00	110.00	—
नगर स्थानीय निकायों को		17.99			—
सहकारी चीनी कारखानों को		28.00	11.00		
कम्पनियों को	—	—	75.00		40.00
कम्पनियों के शेयर और ऋणपत्र	4.31	5.10	1.21	28.05	—
	691.69	740.91	1053.41	911.41	822.63

विशेष : 1-4-1974 से 30-11-1974 तक की अवधि से संबंधित आंकड़े अनन्तिम हैं और इनकी लेखापरीक्षा होनी है।

पिछड़े जिलों में जीवन बीमा निगम के सीधे निवेशों के अन्तर्गत सावधिक ऋण तथा ऐसे जिलों में स्थित निजी क्षेत्रों की कम्पनियों के ऋण-पत्रों और शेयरों में अंशदान के अतिरिक्त नगरपालिकाओं चीनी सहकारी समितियों तथा सहकारी औद्योगिक बस्तियों को दिये जाने वाले ऋण शामिल हैं। सीधे निवेशों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के बुनकरों द्वारा यार्न की मांग

4451. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री अनादिचरण दास :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बुनकरों ने अपनी यार्न की मांग की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने नवम्बर 1974 में उस प्रकार का कोई अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यार्न की सप्लाई उनकी मांग के अनुरूप की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के सहकारी विभाग से कच्चे पटसन की खरीद

4452. **श्री जयोतर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगला के एक दैनिक समाचार-पत्र के 17 नवम्बर, 1974 के अंक में प्रकाशित हुआ है कि पश्चिम बंगाल के सहकारी विभाग ने भारतीय पटसन निगम तथा पटसन मिलों के बेचने के लिये उत्पादकों से एक करोड़ रुपये के मूल्य का कच्चा पटसन खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पटसन निगम तथा पटसन मिल सहकारी विभाग से पटसन लेने से इन्कार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) रिपोर्ट तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है। भारतीय पटसन निगम तथा सहकारी सोसाइटियों के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार भारतीय पटसन निगम प्रेषण अनुदेश जारी करता रहा है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कोयला कंपनियों द्वारा पूंजी का एकत्रित किया जाना

4453. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वित्त** मन्त्री कोयला उद्योग में नये पूंजी निवेश के बारे में 21 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5735 तथा 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के लिये (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक) विश्व बैंक से ऋण प्राप्त होने के बाद से अब तक उन कम्पनियों में से प्रत्येक ने कितनी पूंजी एकत्रित की है जिनके शेयरों का मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में क्रय विक्रय होता है ;

(ख) भारतीय पुनर्वित निगम, औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक ऋण तथा निवश निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इन कम्पनियों को मध्यम अवधि/लम्बी अवधि के कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये;

(ग) 17 अक्तूबर, 1972, 30 अप्रैल, 1972, 30 जनवरी, 1973 तथा 30 अप्रैल, 1973 को इन कम्पनियों ने कितनी बकाया राशि अदा करनी थी; और

(घ) उपरोक्त तिथियों को भारत सरकार/अधिकार में ली गई खानों के प्रबन्धों तथा अदायगी आयुक्त के पास शुद्ध जमा/भुगतान संबंधी कितनी बकाया राशि थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गैर निगमित क्षेत्र में साझेदारी और पूर्ण स्वामित्व वाली फर्मों के लिए अनिवार्य लेखा परीक्षा सामाप्त करने का प्रस्ताव

4454. **श्री एम० कतामुतु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-निगमित क्षेत्र में साझेदारी और पूर्ण स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में अनिवार्य लेखा-परीक्षा को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 39 में यह व्यवस्था की गई है कि कम्पनियों के अलावा व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाले ऐसे सभी कर-दाताओं को, जिनकी किसी वर्ष में कुल बिक्री, क्रय-विक्रय अथवा सकल प्राप्तियां 5 लाख रु० से अधिक हैं, अथवा जिनके लाभ 50 हजार रु० से अधिक हैं, अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा करायेंगे तथा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किये जाने वाले फार्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अपनी आय विवरणियों के साथ संलग्न करेंगे। उक्त विधेयक फिलहाल संसद की प्रवर समिति के विचाराधीन है।

Realisation of amount advanced by Nationalised Banks to farmers of Madhya Pradesh

4455. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the amount of loans advanced to farmers by nationalised banks in Madhya Pradesh during 1971-72 has not yet been realised; and

(b) if so, the total amounts outstanding at present and the measures proposed to be taken by Government to realise it immediately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) & (b) The agricultural advances (direct) of the nationalised banks to the farmers in Madhya Pradesh outstanding as at the end of December, 1973 were Rs. 946.66 lakhs (Provisional).

The recovery position of the agricultural advances (direct) by nationalised banks in Madhya Pradesh as at the end of June 1972 and June 1973 was as follows :

(Amount in lakhs of Rupees)

	Demand	Recovery	Percentage of recovery to demand
June, 72	319.9	156.92	49.2
June, 73	380.37	150.77	39.6

The banks follow the normal procedure available to them for recovery of their advances as per agreed terms of repayments between the bank and the farmer. In case of recalcitrant defaulters, legal action is also resorted to, where necessary. Recently Madhya Pradesh Government have passed a legislation on the lines of the recommendations of the Expert Group on State Enactments having a bearing on commercial banks' lending to agriculture which *inter-alia* contains provisions relating to arrangements for recovery of dues by banks. With this, the process of recovery is expected to be expedited.

Tourist Centres in Madhya Pradesh

4456. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state the names of tourists centres developed as tourist spots in Madhya Pradesh with the Central assistance in 1973-74.

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendrapal Singh) : The Central Department of Tourism undertook the following schemes in Madhya Pradesh during 1973-74 :—

Name of Centre & type of scheme	Amount sanctioned	Present position
	(Rs. in lakhs)	
Bhopal-youth hostel	Rs. 2.50	Structure complete. Expected to be commissioned shortly.
Khajuraho-water supply scheme	7.46	Work in progress.
Sanchi-water supply scheme	1.92	nearing completion.
Kahnakisli-water supply scheme	1.00 (as subsidy)	complete.

Recommendations of Somanathan Committee on Handloom Industry

4457. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether some States have, after accepting the recommendations of the Somanathan Committee on handloom industry, sought Central approval for enacting required legislation on the subject; and

(b) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Partap Singh) : (a) & (b) Neither the Government are aware of any Somanathan Committee on handloom industry nor any State Government has sought Central approval for enactment of any legislation following acceptance of the recommendations of such a Committee.

कोरापुट जिला उड़ीसा में कृषकों को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

4458. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले के कितने कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में उनकी संख्या में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो कितनी?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिला में दिसम्बर, 1973 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम देकर 1500 खातों का वित्तपोषण किया तथा उक्त तिथि को 16 लाख रुपये की रकम बकाया थी।

(ख) यद्यपि पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों के रूप में कुछ बताना संभव नहीं है फिर भी सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि क्षेत्र की अपनी व्याप्ति को अधिकाधिक विस्तृत कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की ऋण नीति के अधीन कृषि उत्पादन के वित्तपोषण को अपेक्षया अधिक प्राथमिकता दी गई है।

दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ के "नोटिस सर्वरों" द्वारा अभ्यावेदन

4459. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ, जयपुर इनकम-टैक्स क्लास फोर एम्पलाईज एण्ड नोटिस सर्वर एम्पलाईज यूनियन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश आयकर विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ लखनऊ आयकर विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और नोटिस सर्वरों की एकीकृत यूनियनें हैं ;

(ख) क्या दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ को आयकर विभाग दिल्ली के नोटिस सर्वरों के प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की दोहरी नीति के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) यह सच है कि राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ, जयपुर, आयकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और नोटिस सर्वर्स यूनियन, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ और उ० प्र० आयकर विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ, लखनऊ अपने अपने आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और नोटिस सर्वरों की समन्वित यूनियनें हैं । ये मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं और उनके अपने अपने विधानों में दोनों वर्गों के कर्मचारियों की सदस्यता के लिए व्यवस्था है ।

दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है । अतः इस संस्था को, नोटिस सर्वरों का प्रतिनिधित्व करने से मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Delegations visited Foreign Countries

4460. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the various delegations which visited foreign countries during the current year;

(b) the number of political, cultural and industrial delegations among them; and

(c) the expenditure incurred on such deligations during the year 1972-73 and 1973-74, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों को भोजन देना

4461. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों को भोजन देने की प्रक्रिया को फिर से आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं पर पूर्ण भोजन देने की प्रथा से काफी अपव्यय होता था तथा संभवतः यात्रियों की भोजन संबंधी अलग-अलग तथा भिन्न-भिन्न रुचियों के कारण दिये जाने वाले भोजन के प्रकार एवं क्वालिटी के बारे में यात्रियों से बार-बार शिकायतें भी प्राप्त होती थीं । संसार भर में अधिकतर अन्तर्देशीय उड़ानों पर, पूर्ण भोजन नहीं दिया जाता है । तदनुसार इंडियन एयरलाइंस ने तालाबन्दी की अवधि के दौरान केवल कामचलाऊ सेवाएं चलाना प्रारम्भ करते हुए विमान पर पूर्ण भोजन देना बन्द कर दिया । 15 अप्रैल, 1974 से, कारपोरेशन 1½ घन्टे अथवा अधिक की अवधि वाली ऐसी उड़ानों पर जोकि भोजन के समय पड़ती हैं यात्रियों को स्नेक दे रही हैं ।

इंडियन एयरलाइंस से कह दिया गया है कि इस संबंध में यात्रियों द्वारा व्यक्त की गई राय तथा भावनाओं की ओर उचित ध्यान दें तथा अपने घाटे को यथासंभव कम करने के उद्देश्य की उपेक्षा न करते हुए यात्रियों को यथासंभव अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के आवश्यक उपाय करें ।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

4462. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित भारतीय व्यापारियों को भारत में पूंजी निवेश करने के लिये आकर्षित करने हेतु कोई प्रयत्न किया है ; और

(ख) क्या कुछ व्यापारियों ने, जो अब निराश हो गये हैं, लाल फीताशाही तथा अन्य कठिनाइयों के कारण वापस आने का निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मणयम): (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है।

न्यू इंडिया ऐशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड में प्रशिक्षणार्थी क्लेम इन्सपेक्टरों के लिए निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव

4463. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू इंडिया एशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड में 1972 तथा 1974 के प्रशिक्षणार्थी क्लेम एसेसरों के लिए क्या अर्हताएं तथा अनुभव निर्धारित हैं ;

(ख) 1972 तथा 1974 में भर्ती किए गए क्लेम एसेसरों की तकनीकी अर्हताओं व पुराने अनुभव सहित पूरी सूची क्या है ;

(ग) क्या 1974 में भर्ती किए गए क्लेम एसेसरों की तकनीकी अर्हतायें तथा अनुभव 1972 में भर्ती किए गए क्लेम एसेसरों से किसी भी रूप में उत्तम हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) वर्ष 1972 और 1974 के दौरान भरती किये गये दावा-निरीक्षकों के लिये निर्धारित अर्हताएं और अनुभव इस प्रकार था :—

1. 1972 **के प्रशिक्षार्थी दावा निरीक्षक**

आटोमोबाइल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। किसी प्रसिद्ध गैरेज में अथवा आटोमोबाइल निर्माता के साथ दो वर्ष अथवा उससे ज्यादा का व्यवहारिक अनुभव और आकस्मिक मरम्मतों का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जानी थी।

2. 1974 **के प्रशिक्षार्थी दावा-निरीक्षक**

राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आटोमोबाइल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। किसी प्रसिद्ध गैरेज में अथवा आटोमोबाइल निर्माता के साथ अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जानी थी।

(ख) से (घ) 1972 और 1974 में चुने गये व्यक्तियों के नाम, अर्हताएं और अनुभव बताने वाला विवरण-पत्र संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8774/74]**

जीवन बीमा निगम के निवेशों की लाभप्रदता की दर

4464. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तब से जीवन बीमा निगम की लाभप्रदता की दर का पता लगाने के लिए क्या कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में पहली दस मदों की लाभप्रदता की दर और लाभ वाली अधिक दर कितनी-कितनी रही है; और

(ग) क्या इन वर्षों में लाभ बढ़ रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

जीवन बीमा निगम का धन विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, शेयरों, ऋण-पत्रों (डिबेंचरों), सम्पत्ति और ऋणों में लगाया गया है । एक फार्मूले के आधार पर इन सभी निवेशों से प्राप्त आय अर्थात् (क) प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों, ऋण और बैंकों में जमा रकम से प्राप्त व्याज, (ख) विभिन्न प्रकार के शेयरों से प्राप्त लाभांश और (ग) गृह सम्पत्ति तथा भूमि से प्राप्त किराये को निगम की कुल निधियों पर प्राप्त प्रत्येक वर्ष की आय की दर में परिवर्तित किया जाता है । जीवन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद प्राप्त प्रत्येक वर्ष की आय की दर नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष	औसत जीवन-बीमा निधि पर वसूल किये गये ब्याज की सकल दर	औसत जीवन बीमा निधि पर वसूल किये गये ब्याज की शुद्ध दर
31—12—57	अप्राप्त	3.74
31—12—58	4.52	3.52
31—12—59	4.54	4.08
31—12—60	4.58	3.55
31—12—61	4.80	4.68
31—12—63	4.76	4.68
31—3—64	5.11	4.07
31—3—65	5.27	4.90
31—3—66	5.51	4.76
31—3—67	5.76	5.29
31—3—68	5.88	5.18
31—3—69	5.94	5.31
31—3—70	6.06 *	5.57
31—3—71	6.25	5.73
31—3—72	6.39	5.65
31—3—73	6.56	5.97
31—3—74	6.79	6.34

दाऊदी बोहराओं के डाई द्वारा कथित आर्थिक अपराध

4465. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह अभ्यावेदन दिया गया है कि दाऊदी बोहराओं के वर्तमान डाई (52वां उत्तराधिकारी) डा० एम० बुर्हानुद्दीन और उसके परिवार के सदस्यों ने कई आर्थिक अपराध किए हैं जिनमें विदेशी मुद्रा की जालसाजी, कर अपवंचन और तस्करी भी सम्मलित है ;

(ख) क्या दाऊदी बोहरा समुदाय के उक्त आध्यात्मिक और नैतिक मुखिया को तनजानिया ने विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के आरोप में उस देश से उसके वहां पहुंचने के 24 घंटे के अन्दर निकल जाने का आदेश दिया था ,

(ग) यदि हां, तो डा० बुर्हानुद्दीन और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप

(घ) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिये आदेश दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) डा० एम० बुर्हानुद्दीन के बारे में विदेशी मुद्रा विनियम कानूनों की उपेक्षा, आय-कर अपवंचन और सीमाशुल्क कानून का उल्लंघन करने में ग्रस्त होने की सूचना मिली थी ।

(ख) डा० सैयदना मोहम्मद बुर्हानुद्दीन साहब 12 अगस्त 1968 का शाम को तन्जानिया में दारेस्सलाम पहुंचे। तन्जानिया सरकार के मुख्य उत्प्रवासन अधिकारी ने 14 अगस्त 1968 को डा० सैयदना को उत्प्रवासन विनियम 1964 के अन्तर्गत 24 घंटे के अन्दर तन्जानिया छोड़ने के लिए एक नोटिस तामील किया। "तन्जानिया छोड़ने" के नोटिस में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन, तन्जानिया सरकार द्वारा जारी किये गये बयान में यह बताया गया था कि उनके पास इस बात का अकाट्य प्रमाण उपलब्ध है कि डा० साहब के तन्जानिया आने में उनके देश के विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानूनों की प्रवंचना अथवा उपेक्षा की गई है।

(ग) (घ) और (ङ) इस बात की जांच की गई थी कि भारत के विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों का कोई उल्लंघन किया गया था अथवा नहीं, लेकिन जांच-पड़ताल से ऐसा कोई उल्लंघन प्रकट नहीं हुआ। आय-कर अपवंचन के सम्बन्ध में मुख्य आरोप बोहरा धर्माध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भारत में और भारत के बाहर आय को छिपाने का है। इस बारे में जांच-पड़ताल चल रही है। सीमाशुल्क पक्ष की जांच-पड़ताल से यह पता नहीं चला कि बोहरा धर्माध्यक्ष किसी तस्कर-व्यापार में ग्रस्त है।

उत्तर भारत के रूई उत्पादकों द्वारा दिया गया ज्ञापन

4466. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री मधु दण्डवते :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के रूई उत्पादकों ने मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनसे भारतीय रूई निगम द्वारा लाभप्रद मूल्य पर रूई खरीदे जाने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उक्त उत्पादकों ने क्या विभिन्न मांगें की हैं; और

(ग) क्या इन पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी, हां।

(ख) उपजकर्त्ताओं ने आग्रह किया है कि रूई की कीमतों के गिरने से रोकने के लिये भारतीय रूई निगम को तुरन्त कपास की खरीद आरम्भ कर देनी चाहिए।

(ग) सरकार ने नोट किया है कि जबकि रूई की कीमतें अगस्त-सितम्बर, 1974 में उच्चतम स्तरों तक पहुंची हुई कीमतों की तुलना में हाल के सप्ताहों में गिरी हैं, वे अब भी गत वर्ष की उसी अवधि की कीमतों की तुलना में चल रही हैं। रूई के बाजार में भारतीय रूई निगम के प्रवेश का प्रश्न कई बातों पर निर्भर करता है जिनमें अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता के अनुरूप बैंक ऋण की उपलब्धि शामिल है।

न्यायालयों द्वारा रिहा किये गए तस्करों के विरुद्ध आर्थिक अपराधों के मामले

4467. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आसुका' के अन्तर्गत पकड़े गये बहुत से तस्करों को न्यायालयों के आदेशों के अधीन रिहा कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके विरुद्ध देश के आयकर अथवा बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत आर्थिक अपराधों के आरोप में कोई मामला दर्ज किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) आय-कर कानूनों के अधीन उनकी रिहाई के बाद अभी तक इस्तगासे की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि कोई बिक्री कर के मुकदमे होंगे तो उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जिन कारणों से इस्तगासे की कार्यवाही नहीं की गई है, उनका सही रूप से पता लगाया जा रहा है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की नियुक्ति

4468. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में प्रति विमान कितने कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं ;

(ख) क्या दोनों ही निगमों में कर्मचारियों की संख्या विश्व के निगमों की तुलना में सब से अधिक है ;

(ग) क्या इन एयरलाइनों में प्रति विमान न्यूनतम आवश्यकता का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया गया है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(घ) उक्त दोनों एयरलाइनों में कर्मचारियों के रख-रखाव के खर्च को (मेनटिनैन्स कास्ट) किराये के रूप में कित प्रतिशत दिखाया गया है; और

(ङ) इस प्रतिशतता को कम से कम आवश्यकता तक कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) प्रत्येक विमान पर कर्मचारियों की नियुक्ति विषयक आवश्यकता की गणना कर्मचारियों की संख्या और विमान बेड़े में विमानों की संख्या के आधार पर की जाती है ।

एयर इण्डिया	830
इण्डियन एयरलाइंस	336

'सैंड स्कीइंग' को प्रोत्साहन देने की योजना

4469. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में "सैंड स्कीइंग" को प्रोत्साहन देने की सम्भावनाओं का पता लगाया है जो विदेशी पयटकों में सहारा में बहुत लोकप्रिय हो गई है;

(ख) क्या ऐसी योजना आरम्भ करने के लिये भारत में पर्याप्त प्रतिभा और स्थल उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये गुलमर्ग में एक 'स्की रिजार्ट' का विकास किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए गुलमर्ग में कुछ सुविधाओं की, जिनमें प्रशिक्षित स्की प्रशिक्षक भी सम्मिलित हैं, व्यवस्था की गई है । अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये फिलहाल देश में एक प्रोत्साही उपाय के रूप में "सैंड स्कीइंग" का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण भारत के तम्बाकू उत्पादकों द्वारा दिया गया ज्ञापन

4470. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के तम्बाकू उत्पादकों ने इस उद्योग में विद्यमान संकट का मुकाबला करने के लिए सहायता हेतु भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं, तम्बाकू उपजकर्ताओं द्वारा कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

4471. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाएं और सहायक कम्पनियां साम्यपूंजी भागिता के भारतीयकरण के मामले को यह कहकर टालने का प्रयत्न कर रही हैं कि उनकी गतिविधियां भारतीय सरकार और जनता के शत प्रतिशत हित में हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मणयम): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत विदेशी निगमित कम्पनियों की भारतीय शाखाओं तथा उन भारतीय कम्पनियों को जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक शेयर और गैर आवासियों के हैं, भारत में अपना मौजूदा कारोबार जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए आवेदन पत्र देने की अन्तिम तारीख 31 अगस्त, 1974 थी। उक्त कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है। इन आवेदन पत्रों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के संबंध में जारी किये गये निर्देशकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा। इन निर्देशकों की एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

इन निर्देशकों में यह कहा गया है कि विदेशी कम्पनियों की सभी शाखाओं तथा उन भारतीय कम्पनियों को, जिनमें 74 प्रतिशत से अधिक शेयर गैर आवासियों के पास हों, सम्बद्ध कम्पनियों के कारोबार की किस्म के अनुसार 26 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक के बीच भारतीय पूंजी शामिल करनी होगी।

विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और सहायक कम्पनियों के संबंध में जिन्होंने उक्त नियमों से इस आधार पर रियायत मांगी है कि उनका व्यवसाय भारत सरकार और भारत की जनता को 100 प्रतिशत लाभकर है, सूचना इस समय तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Production of Coarse Cloth by Cottage Industries

4472. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the total production of coarse cloth during the last three years, separately:

(b) the percentage of the coarse cloth produced by the cottage industries to the total production thereof; and

(c) further facilities provided to these cottage indurtries this year so that production of coarse cloth could be increased?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishewanath Pratap Singh): (a) & (b) The production of coarse cloth in the mill sector, during the last three years was :

Year	*Production in million metres*
1971	503
1972	590
1973	605

The production figures of coarse cloth in the decentralised sector are not available.

(c) The Sivaraman Committee's recommendations to increase production and productivity of the Handloom sector is under consideration.

कुली मस्तान के साथ एक मुख्य मंत्री की कथित भेंट

4473. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री का ध्यान 15 अक्तूबर, 1974 के 'महाराष्ट्र टाइम्स' में प्रकाशित कश्मीर के संसद सदस्य श्री शमीम अहमद शमीम के वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि बम्बई में एक 'रैली' में एक मन्त्री कुली मस्तान से मिले थे और रात को एक मुख्य मन्त्री की मस्तान के साथ भेंट हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की किसी जांच एजेंसी ने उक्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री के नाम जानने के लिए संसद सदस्य की सहायता मांगी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) सरकार का ध्यान 15-10-1974 के 'महाराष्ट्र टाइम्स' में छपे उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

(ख) तथा (ग) मामले की जांच की जा रही है।

अमरीका को ढलवे लोहे का निर्यात

4474. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ फर्मों ने अमेरिका को ढलवे लोहे का निर्यात करने के आर्डर प्राप्त कर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त किये गये आर्डर की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विभिन्न देशों को इस प्रकार के ढलवे लोहे के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा ऐसी फर्मों को क्या सहायता दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) इससे विदेशी मुद्रा सहित अन्य लाभ क्या होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1974-75 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात हेतु 1.00 करोड़ रु० मूल्य के सैनिटरी कास्टिंग्स के और 1.70 करोड़ रु० मूल्य के अन्य कास्टिंग्स के निर्यात आर्डर बकाया हैं। संयुक्त राज्य अमरीका से कास्टिंग्स के लिए कुछ और आर्डर हो सकते हैं।

इस वर्ष मुख्य बात यह है कि कुछ भारतीय फर्मों ने सामान्य कास्टिंग्स और औद्योगिक कास्टिंग्स हेतु आर्डर बुक किये हैं जबकि इसके विपरीत पिछले वर्षों में मुख्यत: सैनिटरी कास्टिंग्स का निर्यात किया गया था।

आयरन कास्टिंग्स सहित इंजीनियरी माल के निर्यातों को बढ़ाने के उपाय ये हैं :

आयातित तथा स्वदेशी कच्चे माल की सप्लाई, सीमा शुल्क उत्पादन शुल्कों की वापसी, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों तथा अध्ययन दलों का भेजा जाना, विदेशों में बाजार सर्वेक्षणों का किया जाना, प्रचार तथा प्रोपेगेन्डा, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना आदि।

प्राकृतिक रबड़ के निम्नतम समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण

4475. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रबड़ ग्रोअर्स एसोसियेशन ने सरकार द्वारा निर्धारित प्राकृतिक रबड़ के निम्नतम समर्थन मूल्य के निरीक्षण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) सरकार को केरल की कुछ ग्रोअर्स एसोसियेशनों द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियां प्राप्त हो गई हैं, जिनमें प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमतों के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध किया गया है। यद्यपि प्राकृतिक रबड़ की विद्यमान बाजार कीमतें न्यूनतम अधिसूचित कीमतों से काफी ऊंची हैं, तो भी सरकार स्थिति पर निगरानी रखती रहेगी।

कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

4476. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कलकत्ता के और विकास के लिये ऋण देने के बारे में कलकत्ता स्थित कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण से हाल में बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के सब से बड़े नगर का विकास किये जाने की आवश्यकता के बारे में विश्व बैंक ने क्या विचार व्यक्त किये हैं;

(ग) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (घ) कलकत्ता शहरी विकास परियोजना के लिए, जो कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, 350 लाख डालरों के ऋण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास

संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। विश्व बैंक ने कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही कलकत्ता शहरी विकास परियोजना में सक्रिय दिलचस्पी दिखायी है। इन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक समूह से और अधिक सहायता लेने की संभावना पर विश्व बैंक के साथ बातचीत की जा रही है।

Effect of Shortage of Yarn on Power-loom Industry in Burhanpur

4477. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether shortage of yarn has adversely affected the powerlooms industry in Burhanpur city (M.P.);

(b) whether more than 50 per cent powerlooms are lying closed in Burhanpur city as a result of which financial condition of several thousand persons has become miserable and it has also become difficult for them to make both ends meet ; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) No, Sir.

(b) Government have no such information, but some information has been received regarding difficulties faced by powerloom industry in marketing their products.

(c) The situation is being watched.

विश्व बैंक विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था का अध्ययन

4478. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री राम सहाय पांडे
श्री प्रबोध चन्द्र
श्री यमुना प्रसाद मण्डल
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विकास अनुसंधान केन्द्र तथा सुस्सेक्स विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट आफ डैवलपमेंट स्टडीज द्वारा किये गये अध्ययन का यह निष्कर्ष निकला है कि प्रगति के लिए सम्पत्ति के पुनर्वितरण के बारे में भारत की योजना सैद्धान्तिक रूप से सही है किन्तु इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) इस निष्कर्ष में व्यक्त किये गये विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं न कि विश्व बैंक अथवा इंस्टीट्यूट आफ डैवलपमेंट स्टडीज के। सरकार सामाजिक न्याय के आधार पर विकास की नीति पर अमल करने के लिये वचनबद्ध है और उसके विकास सम्बन्धी सभी प्रयासों का लक्ष्य इसी उद्देश्य को पूरा करना है।

कपड़ों के उत्पादन के लिए सतत दायित्व की योजना

4479. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित किस्मों के कपड़े तथा निर्यात के लिए कपड़े के उत्पादन के सतत दायित्व की योजना पर अंतिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1 अक्तूबर, 1974 से प्रत्येक मिल पर यह दायित्व डाला गया है कि वह अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत नियंत्रित कपड़ा तैयार करे। 5 रु० एफ० ओ० बी० मूल्य के थानों वाले कपड़े का निर्यात किये जाने पर और 7.50 रु० एफ० ओ० बी० मूल्य के परिधानों का निर्यात किये जाने पर उस दायित्व में एक मीटर की दर से कटौती की जायेगी।

फिल्म उद्योग में उपयुक्त काला धन

4480. **श्री मधु दण्डवते :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चल चित्र निर्यात निगम के भूतपूर्व चेयरमैन ने 40 व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की है जिनपर फिल्म उद्योग में काले धन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने यह मांग की है कि फिल्म तैयार करने वाली प्रयोगशालाओं के कार्यकरण तथा फिल्म और होटलों के बड़े मालिकों के क्रियाकलापों की पूरी-पूरी जांच कराई जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) जी हां ।

(ख) उन्होंने फिल्म तैयार करने वाली कार्यशालाओं के कार्यचालन के बारे में तथा फिल्म वित्त-पोषकों के मामलों में जांच की मांग की थी ।

(ग) तथा (घ) इस सम्बन्ध में, बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के कारोबार के स्थानों तथा रिहायश के स्थानों की तलाशियां ली गई थीं । पकड़े गये माल की जांच-पड़ताल की जा रही है । इस सम्बन्ध में कुछ प्रशासनिक उपाय किये गये हैं जिनमें फिल्म वित्त-पोषकों के मामलों का केन्द्रीयकरण करने, फिल्म वित्त-पोषकों की आय के सम्बन्ध में आवश्यक गुप्त सूचना एकत्र करने और अपरिष्कृत फिल्म की बरबादी से सम्बन्धित दावे की ठीक ठीक जांच करने के उपाय भी शामिल हैं ।

भारतीय रुई निगम का बाजार में प्रवेश न करना

4482. **श्री वसन्त साठे :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में काफी कमी के बावजूद रुई की मुख्य किस्मों के मूल्य 400 रुपयों से 500 रुपया प्रति क्विंटल से घटकर 300 रुपया से 325 रुपया हो गये हैं और भारतीय रूई निगम ने बाजार में प्रवेश न करने का निर्णय किया है जिससे गैर-सरकारी व्यापारी गिरते हुए मूल्यों का लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रूई निगम द्वारा अपनाई गई इंडेन्ट बिक्री की नई प्रणाली निजी व्यापारियों के लिये अधिक लाभप्रद है तथा रूई निगम के हितों के प्रतिकूल है; और

(घ) यदि हां, तो रुई निगम के कार्यकरण को व्यवस्थित तथा पुनर्गठित करने तथा इसकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) हालांकि, कुछ बाजारों में रूई की कीमतों में अगस्त, 1974 में उच्चतम स्तरों तक पहुंची हुई कीमतों की तुलना में गिरावट आई है फिर भी वे विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अब भी औसतन अधिक हैं । इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने रुई बाजार में हस्तक्षेप करने का अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय फिल्मों की तस्करी में सरकारी अधिकारियों की कथित सांठ-गांठ

4483. **श्री बी०के० दासचौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान भारतीय चल चित्र निर्यात निगम के भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा बार-बार दिये गये इन वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि देश से बड़ी संख्या में भारतीय फिल्मों की तस्करी में केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों की सांठ-गांठ है ;

(ख) क्या उन्होंने इन आरोपों की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय फिल्मों का विदेशों में तस्कर-निर्यात किये जाने की रिपोर्टें सरकार को समय-समय पर मिलती रही हैं । तथापि, इस मामले में विभाग के चोटी के अधिकारियों की सांठ-गांठ के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । यदि कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होगी तो उसकी जांच की जायेगी ।

विमान यात्री जालसाजी में एयरलाइनों का हाथ होना

4484. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हाल में पता लगायी गई विमान यात्री जालसाजी में चार एयरलाइनों का कथित हाथ है ;

(ख) यदि हां, तो उन एयरलाइनों के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं तथा प्रत्येक मामले में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) सम्बद्ध एयरलाइनों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) इस मामले में कोई विमान कम्पनी ग्रस्त नहीं है । एक यात्रा अभिकर्ता के विरुद्ध जिसने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है ।

एयर इंडिया एम्पलाईज गिल्ड को मान्यता

4485. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दि एयर इंडिया एम्पलाईज गिल्ड" की सदस्यता के सत्यापन की कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सत्यापन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) क्या एयर इंडिया एम्पलाईज गिल्ड को सदस्यों की संख्या की सत्यता के आधार पर मान्यता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) एयर इण्डिया एम्पलाईज गिल्ड ने दावा किया है कि वह उन सब तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका अब तक दो अलग अलग यूनियन/एसोसिएशनों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता रहा । जब कि उनमें से एक की मान्यता मार्च, 1975 तक वैध है, दूसरे की मान्यता की अवधि सितम्बर, 1973 में समाप्त हो गई । गिल्ड की मान्यता के लिए प्रार्थना पर तभी विचार किया जा सकेगा जब श्रम मन्त्रालय द्वारा इसके सदस्यों का आवश्यक प्रमाणन का काम पूरा हो जायेगा ।

सिकन्दराबाद में जेवरातों का पकड़ा जाना

4486. **श्री जी०वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने अक्तूबर, 1974 में सिकन्दराबाद के पाट बाजार क्षेत्र में एक क्विटल से अधिक वजन के लगभग 50 लाख रुपयों के लेखा बाह्य जेवरात पकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सिकन्दराबाद में एक स्वर्ण-व्यापारी के परिसर से अक्तूबर 1974 में 125 किलोग्राम वजनी सोने के जेवरात पकड़े गये जिनका मूल्य लगभग 35 लाख रुपये है ।

(ख) स्वर्ण-व्यापारी और उसकी पत्नी उस स्थान में गिरवी का कारोबार कर रहे थे, जिसके लिए केवल स्वर्ण के व्यापार का लाइसेंस था । पकड़े गये आभूषणों में कुछ ऐसे भी थे जो गिरवी के खातों में दर्ज नहीं थे । चूंकि इनसे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता है इस लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए आभूषणों की उपर्युक्त मात्रा पकड़ रखी गई है ।

राज्यों में पर्यटन विकास निगमों की स्थापना

4488. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपने पृथक पर्यटन विकास निगम स्थापित कर लिए हैं;

(ख) किन राज्यों ने ऐसे निगम स्थापित नहीं किये हैं; और

(ग) वर्ष 1974-75 में केन्द्र ने उन राज्यों को पर्यटन विकास निगम स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में पर्यटन विकास निगमों की स्थापना की जा चुकी है। राजस्थान में एक होटल कारपोरेशन की स्थापना की गई है।

(ख) यह पता चला है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा की राज्य सरकारें पर्यटन विकास निगम स्थापित करने पर विचार कर रही हैं।

आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब तथा त्रिपुरा राज्यों ने अभी ऐसे निगम स्थापित नहीं किए हैं।

(ग) राज्य पर्यटन विभाग निगमों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे उनके द्वारा स्थापित किये गये सरकारी निगमों के लिए निधियों की व्यवस्था करें।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

4489. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन के क्रय-विक्रय के बारे में 9 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2086 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम चालू फसल में कच्चे पटसन की 25 लाख गांठें खरीदने का लक्ष्य पूरा कर सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) भारतीय पटसन निगम किस मूल्य पर उत्पादकों से पटसन खरीद सकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) इस मौसम में संभावित कम फसल को ध्यान में रखने के बाद भारतीय पटसन निगम ने वसूली के लक्ष्य में कमी करके इसे 15 लाख गांठ कर दिया है। किन्तु अपर्याप्त धन के कारण निगम को अपने कार्याकलाप उन्हीं बाजारों में केन्द्रित करने पड़ रहे हैं जहां कीमतें न्यूनतम कानूनी कीमतों के आसपास.अपेक्षाकृत कम चल रही हैं। नवम्बर, 1974 के अन्त तक निगम ने लगभग 3.90 लाख गांठें खरीदी थीं।

(ग) भारतीय पटसन निगम बाजार में चल रही कीमतों पर पटसन हासिल करता रहा है जो प्रत्येक बाजार और प्रत्येक किस्म के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न होती हैं।

काफी बोर्ड के बारे में सरकार का दृष्टिकोण

4490. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) क्या निम्नतम मूल्य निर्धारित करते समय बोर्ड को सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन लागत पर भी विचार करना चाहिए जैसाकि रबड़ बोर्ड करता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) वर्तमान उत्पादन लागत अखिल भारतीय आधार पर काफी की कुल मिलाकर उत्पादन लागत को ध्यान में रख कर निर्धारित की गई है। तथापि, सरकार ने हाल ही में काफी की उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो इस संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।

अर्ध तैयार भारतीय माल का जापान द्वारा आयात

4491. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान की व्यापार सहयोग समिति ने भारत में अधिक जापानी पूंजी निवेश तथा जापान द्वारा अधिक अर्ध तैयार भारतीय माल के आयात की सम्भावना में सुधार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) 'भारत-जापान व्यापार सहयोग' समिति की संयुक्त बैठक में हुए विचार विमर्शों का लक्ष्य भारत-जापान आर्थिक तथा वाणिज्यिक द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना था। बैठक में, (1) दोनों में से प्रत्येक देश में उद्यमियों को सामने आने वाली समस्याओं पर तुरन्त गौर करने, तथा (2) भारत-जापान तथा तीसरे देशों में व्यापार की नई लाइनों तथा तकनीकी व वित्तीय संयुक्त सहयोग का अध्ययन करने एवं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए दोनों देशों में प्रभावी तंत्र स्थापित करने का विनिश्चय किया।

मध्य पूर्व के देशों में भारतीय पर्यटन कार्यालय की स्थापना

4492. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री बेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व के देशों में भारत सरकार का पर्यटन कार्यालय खोलने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) कुवैत में एक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कार्यालय पर्यटन के प्रचार एवं अभिवृद्धि की दृष्टि से समस्त पश्चिम एशिया क्षेत्र की सेवा करेगा।

विदेशी कम्पनियों का आयात तथा निर्यात

4493. **श्री पी० गंगादेव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग से चलने वाली विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों ने 1964-65 से 1969-70 की अवधि के दौरान अपने कुल निर्यात की तुलना में कम मूल्य का सामान आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग से चलने वाली विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों ने कितने मूल्य का सामान आयात तथा निर्यात किया है ;

(ग) क्या विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां इस देश का धन बाहर भेज रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के "भारतीय उद्योग में विदेशी वित्तीय और तकनीकी सहयोग का सर्वेक्षण 1964-70—मुख्य निष्कर्ष" में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो बैंक के 1974 के बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था, गैर सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग करने वाली विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों ने, जिनमें सहायक कम्पनियां, 50 प्रतिशत से कम विदेशी शेयरों वाली कम्पनियां, और एकदम तकनीकी सहयोग वाली कम्पनियां शामिल हैं, 1964-65 से 1969-70 के दौरान अपने निर्यातों के मुकाबले कच्चे माल आदि के रूप में अधिक आयात किया।

(ख) 1964-65 से 1969-70 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की विदेशी सहयोगी कम्पनियों के आयात और निर्यात की कुल रकमें क्रमशः 1600.2 करोड़ रुपए और 728.7 करोड़ रुपए थीं ।

(ग) और (घ) इन कम्पनियों द्वारा किये गये आयात और निर्यात के ही आंकड़ों से विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों से किये जाने वाले सहयोग के प्रभाव के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा । विदेशी सहयोग के आर्थिक लाभों का अनुमान लगाने के लिए केवल निर्यात से होने वाली आमदनी और आयातों सहित सभी प्रकार से बाहर भेजी गई रकमों को ही हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि अन्य बातों जैसे उत्पादन में वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगार के अवसरों, प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रगति, निर्यात प्रोत्साहन आदि को भी हिसाब में लिया जाना चाहिए । विदेशी सहयोग के लिए मंजूरी देते समय इन सब पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है ।

पटसन की खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम के लिए राशि

4494. **श्री एन० ई० होरो**
श्री के० मालन्ना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिए अविलम्बनीय आधार पर अधिक राशि दिए जाने के भारतीय पटसन निगम के अनुरोध पर क्या निर्णय लिया है, ताकि उन्हें मिल मालिकों द्वारा पटसन की खरीद कम कर दिए जाने से उत्पन्न निराशाजनक स्थिति से बचाया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): सरकार ने भारतीय पटसन निगम को ऋण के रूप में एक करोड़ रु० रिलीज किये हैं । सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसके लिए मना लिया है कि ऋण सीमा में एक करोड़ रुपये की वृद्धि की जाये ।

इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया गया अनुसंधान कार्यक्रम

4495. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया अनुसंधान कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1974-75 और वर्ष 1975-76 के दौरान इस संस्थान को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख) अनुसंधान तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का काफी समय से एक प्रगामी कार्यकलाप रहा है और इस कार्याकलाप पर बहुत अधिक बल दिया जाता है । इस समय लगभग बीस अध्ययनों पर कार्य जारी है । वर्तमान अनुसंधान कार्यक्रमों में न्यास को निम्नलिखित अध्ययन करने हैं :—

(i) नीति-प्रतिपादन की प्रक्रिया ;

(ii) केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर, प्रशासनिक संरचना तथा कार्य;

(iii) प्रशासन तथा जनता के बीच संबंध ; और

(iv) मात्रात्मक क्षेत्रों में अध्ययन ।

(ग) वर्ष 1974-75 में 12.75 लाख रु० तथा 1975-76 में 12.00 लाख रुपए का अनुरक्षण अनुदान देने का विचार है ।

देश में कृषि बैंक खोलने का प्रस्ताव

4496. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1974-75 में देश में कृषि बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे कितने बैंक खोले जायेंगे ;

(ग) जिन स्थानों पर ये बैंक खोले जाने हैं क्या उनकी सूची में वंगपुर और कोरापुट भी सम्मिलित हैं; और

(घ) कृषि बैंक खोलने का आधार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) ये सवाल नहीं उठते ।

Setting up of jute mill at Chakia in East Champaran (Bihar)

4497. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Bihar has third place in jute production in the country ;

(b) whether Government propose to set up a jute mill at Chakia in East Champaran (Bihar); and

(c) if so, the time by which this work is likely to be taken up?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have no such proposal under consideration.

(c) Does not arise.

परिचालित मुद्रा

4498. **श्री मुल्कीराज सैनी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में कुल कितनी मुद्रा राशि परिचलन में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : 30 नवम्बर, 1974 तक देश में लगभग 6010 करोड़ रुपए की मुद्रा जारी थी ।

यूरोपीय सांझा बाजार के साथ व्यापार

4499. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बाहर जाने वाले और भारत में बाहर से आने वाले सामान के व्यापार के बारे में यूरोपीय सांझा बाजार के साथ क्या व्यापार करार हुए हैं ;

(ख) इन करारों से भारत को कितना लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) व्यापार करार की अवधि क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विशवनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार 1 अप्रेल, 1974 से लागू हुआ और यह पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध है। करार का मुख्य उद्देश्य तुलनात्मक लाभ व परस्परहित के आधार पर परस्पर वाणिज्यिक आदान प्रदानों का विकास करना है । करार के अन्तर्गत दोनों पक्षों के बीच वाणिज्यिक आदान प्रदानों के विकास तथा विविधीकरण में बाधा डालने वाली किसी भी कठिनाई की जांच करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की भी व्यवस्था है । संयुक्त आयोग का कार्य पूरक संभाव्यताओं के अनुसार वाणिज्यक तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग के मार्गोपायों का पता लगाना और पारस्परिक व्यापार पैटर्न और विपणन ढांचों के उत्तरोत्तर अनुकूलन के लिए मार्गोपायों पर विचार करना और उनकी सिफारिश करना है ।

पटसन तथा कयर संबंधी व्यापार के संबंध में पृथक सैकटोरल करार हैं जो 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुए और वे 1975 के अन्त तक वैध हैं । दोनों करारों के अन्तर्गत समुदाय ने कतिपय टैरिफ निलम्बन और कोटा मंजूर किये हैं । दोनों करारों के अन्तर्गत गवेषणा तथा विकास और उद्योगों के बीच व्यगस्था है ।

आशा है कि इन करारों से व्यापार के विकास और विविधिकरण में और व्यापार संबंधी समस्याओं के समाधान निकालने के लिए एक मंच देने में मदद मिलेगी ।

Financial Assistance to States

4500. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Central Government are not in a position to give financial assistance to the State Governments to provide relief to the people affected by drought and flood in the various parts of the country;

(b) if so, the measures suggested by the Central Government to the State Governments for solving this problem; and

(c) the reasons for not giving financial assistance to the State Governments for relief purposes.

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) Following the Sixth Finance Commission's recommendations the previous scheme of assistance to States for relief expenditure, which was in force till 1973-74, has been rescinded with effect from the 1st April, 1974. The present policy in this regard is that financial assistance from the Centre will be provided where absolutely essential, only by way of advance of Plan assistance or assistance under drought prone areas programme and tribal development plan provisions. Any such advance assistance will, however, be set off against the normal Plan assistance due to the State in the succeeding year. Such advance assistance will be considered after the State Governments have taken steps to fully utilize the margin money provided by the Finance Commission for relief expenditure, to divert Plan funds from various sectors as well as from the non-affected areas of the State to development works in the affected areas, to provide employment to the affected population on continuing major and medium irrigation projects and other works included in the plan, to fit relief employment programmes into specific schemes under the drought prone areas programme, tribal development plan provisions etc., and to raise additional resources specifically for financing relief expenditures.

In terms of this policy, the drought/flood situation in the States of Assam, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and West Bengal has been assessed by the Centre and the question of providing Central assistance to them is under consideration.

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद बंद किया जाना

4501. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई की खरीद न किये जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप भारतीय रुई निगम से कुछ कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है और कुछ और कर्मचारियों की छंटनी की सम्भावना है; और

(ख) क्या किसानों और कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार भारतीय रूई निगम द्वारा रुई की खरीद के बारे में अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय रुई निगम द्वारा घरेलू बाजार में प्रवेश करना, निगम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण सुविधाएं देने पर निर्भर करेगा। मामले पर सक्रिय रूप से विचार, उपजकर्ताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों को, भारतीय रिजर्व बैंक के पास धन की उपलब्धता को तथा अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, किया जा रहा है ।

विश्व बैंक से ऋण

4502. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1974 को आई० बी० आर० डी० 292 ऋण की कितनी राशि बकाया रह गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : 31 मार्च 1974 को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण विकास बैंक ऋण संख्या 292-आई० एन० (कोयला खनन) की बकाया रकम लगभग 7.10 करोड़ रुपये (95.8 लाख अमरीकी डालर) थी।

पटसन उद्योग की वित्तीय आवश्यकता के बारे में अनुमान

4503. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग की वित्तीय आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण सुविधाओं में ढील देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) कच्चे पटसन का स्टाक रखने और पटसन माल के उत्पादन के लिये पटसन उद्योग की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह लागू सामान्य ऋण नीति को ध्यान में रखते हुए पटसन उद्योग के लिए उपयुक्त धन देने के बारे में विचार करे।

दादरा और नागर हवेली क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं ले जाने में ढील

4504. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दादरा और नागर हवेली के लोगों को वनस्पति तेल, गेहूं, मिट्टी का तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ में लगे गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से ले जाने के बारे में कस्टम चैकिंग में कुछ छूट देने का विचार है क्योंकि दादरा और नागर हवेली एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वह साथ में लगे राज्यों पर निर्भर रहता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) दादरा और नागर हवेली के लोगों द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र के आस-पास के क्षेत्रों से ले जाये जा रहे वनस्पति तेल, गेहूं, मिट्टी-तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले जाने पर सीमा शुल्क की दृष्टि से कोई रोक नहीं है। वास्तव में दादरा और नागर हवेली के पास कोई सीमाशुल्क चौकियां नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

4505. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री रामावतार शास्त्री
श्री एस० एम० बनर्जी
श्री बनमाली पटनायक
श्री एम० कतामुतु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून, 1974 से महंगाई भत्ते की तीन किस्तें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन किस्तों को मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) 1 जून, 1974, 1 जुलाई, 1974 और 1 सितम्बर, 1974 से महंगाई भत्ते की क्रमशः 3 किस्तें देय हो चुकी हैं।

(ख) जो किस्तें देय हो गई हैं, उनकी स्वीकृति देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न संगठनों द्वारा अनिवार्य जमा योजना को हटाने के लिए अभ्यावेदन

4506. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों से अनिवार्य जमा योजना को हटाने के लिये अभ्यावेदन और अपील प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या यह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं रही है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत अतिरिक्त परिलब्धियों (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 की ओर है। इस अधिनियम को वापस लेने के लिए सरकार को कुछ संगठनों से अभ्यावेदन और अपीलें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यह मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि यह अधिनियम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा है और इस लिए इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

ओंकारलाल मिन्त्री के निवास स्थान और व्यापारिक स्थानों पर छापा

4507. **श्री बी०के० दास चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और आयकर अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अक्तूबर, 1974 में कालिपोंग, सिलिगुड़ी, कुरस्योंग और कलकत्ता स्थित ओंकार लाल मिन्त्री के निवास स्थान; और व्यापारिक स्थानों पर छापा मारा था, जिनमें दार्जिलिंग जिले की रेंइगटन, मुन्डाकोटी और गयागंगा टी स्टेट्स भी शामिल हैं, जिन्हें उसने वर्ष 1959 से 1962 के बीच खरीदा था, और उक्त अधिकारियों ने भारी मात्रा में तस्करी का सामान पकड़ा था तथा कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था;

(ख) क्या कथित मंत्री को तिब्बत से कथित तस्करी के लिए चीनी आक्रमण के दौरान भारत रक्षा नियमों के अन्तंगत गिरफ्तार किया गया था;

(ग) क्या थिरानी एण्ड कम्पनी कलिम्पोंग प्रापर्टीज लि०, कलकत्ता और दार्जिलिंग कन्सोलीडेटिड टी कम्पनी लि०, लन्दन से, जिनके स्थानीय एज़ेन्ट डेवेनपोर्ट एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि०, कलकत्ता थे, तीन "टी स्टेट्स" खरीदने के लिए उसने जो धन खर्च किया, उसके स्रोतों के बारे में सरकार ने इस बीच जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों तथा आयकर अधिकारियों ने संयुक्त रूप से 8 अक्तूबर, 1974 को ओंकार लाल मिंत्री के निम्नलिखित परिसरों की तलाशियां ली थी :—

(i) कलिम्पोंग स्थित मैसर्स मिंत्री ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का कार्यालय;

(ii) सिलिगुड़ी स्थित मैसर्स मिन्त्री ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का कार्यालय;

(iii) कलिम्पोंग स्थित औंकार लाल मिन्त्री का निवास स्थान;

(iv) बागडोगरा में मै० गयागंगा टी एस्टेट्स का कार्यालय। कलिम्पोंग तथा सिलिगुड़ी स्थित मैसर्स मिंत्री ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के परिसरों से सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत 10,000 रु० मूल्य के कुछ विदेश निर्मित मोटर पुर्जों को पकड़ा गया था। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि वे वस्तुएं अधिसूचित वस्तुएं नहीं थी और कम्पनी उनको अपने पास रखने के सम्बन्ध में कानूनी लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना चाहती थी।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) और (घ) मामलों की जांच की जा रही है और उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने सीमाशुल्क, आयकर कानूनों आदि का उलंघन किया होगा।

गया गंगा टी एस्टेट्स

4508. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री गया गंगा टी एस्टेट्स के बारे में 19 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 7408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्रित करली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 19 अप्रैल, 1974 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 7408 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में जानकारी निम्नलिखित है :—

(क) 11 तथा 18 अप्रैल और 2 मई 1972 को भारी ओला वर्षा और अंधड़ से क्षतिग्रस्त अपने गया गंगा टी एस्टेट में 153.40 हे० में चाय का पुनर्रोपण करने के लिये मिंत्री टी कं० प्रा० लि० से 1-6-72 को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की गई और उसका अनुमोदन करके 3-7-72 को उसकी सूचना कम्पनी को दे दी गई। पौधे उखाड़ने का काम उसके तत्काल बाद शुरू हो गया और 28-12-72 को पूर्ण हो गया। पुनर्रोपण उपदान के तौर पर मंजूर की गई 6,13,600 रु० की कुल राशि में से 2,76,120 रु० की पहली किश्त तारीख 31 मार्च, 1973 को बैंक द्वारा कम्पनी को दे दी गई।

(ख) जी हां, किन्तु गया गंगा टी एस्टेट को हुई बताई गई क्षति अभूतपूर्व किस्म की है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी तक सबसे बड़ी क्षति है।

(ग) चाय बोर्ड ने सितम्बर, 1974 में हुई अपनी बैठक में इस मामले का मौके पर अध्ययन करने के लिए तथ्यान्वेषण उपसमिति गठित करने का फैसला किया है और सरकार ने चाय बोर्ड के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

चाय का कारोबार करने वाली फर्मों से उर्वरकों का प्राप्त होना

4509. **श्री बी०के० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की अन्तिम तिमाही में तथा इसके बाद अद्यतन, तिमाहीवार, चाय बोर्ड पूल के उर्वरकों के कोटे में मसर्स शाबालेस, जारडिन एण्ड हैन्डरसन्स और रैलिस इंडिया द्वारा उर्वरकों की कितनी कितनी मात्रा प्राप्त की गई और इसी तिमाही में अन्य फर्मों को उर्वरकों का कितना आवंटन किया गया ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने अथवा चाय बोर्ड ने मैसर्स शाबालैस, जारडिन एण्ड हैण्डरसन्स तथा रैलिस इंडिया द्वारा चाय बागानों को उर्वरकों के उचित वितरण की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उन चाय बागानों के नाम क्या है जिन्हें उर्वरकों का तिमाहीवार कोटा मिला है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1971 की अन्तिम तिमाही से चाय बोर्ड द्वारा सभी वितरकों को, जिनमें शावालैस एण्ड कम्पनी लि०, जारडिन हैन्डरसन्स लि० तथा रैलिज इण्डिया लि० शामिल हैं, पूल उर्वरकों का तिमाही पुनरावंटन दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8755/74]**

(ख) से (घ) उन वितरकों को जिन्हें चाय बोर्ड से पूल उर्वरक प्राप्त हो गए हैं, विभिन्न चाय बागानों को अपने उर्वरक के वितरण का एक विवरण बोर्ड को प्रस्तुत करना पड़ता है। उन चाय बागानों की, जिन्हें मैसर्स शावालेस, जारडिन एण्ड हैण्डरसन्स तथा रैलिस इंडिया से पूल उर्वरकों की सप्लाइयां प्राप्त हुई, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई एक सूची संलग्न है। इस संबंध में चाय बागानों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरकारी एजेन्सी के माध्यम से व्यापार नीति (कैनेलाइजेशन पालिसी) पर कौल समिति द्वारा प्रतिवेदन

4510. **श्री मुख्तिार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेन्सी के माध्यम से व्यापार नीति (कैनेलाइजेशन पालिसी) सम्बन्धी कौल समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है, ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और सरकार के विचाराधीन है।

अलाभप्रद काफी बागान

4511. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश में कुछ काफी बागान अलाभप्रद हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में अलाभप्रद काफी बागान अनुमानतः कितने क्षेत्र में हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार की जानकारी में यह बात नहीं आई है कि देश में अलाभकारी काफी बागानों की कोई महत्वपूर्ण संख्या है ।

आयात सलाहकार समितियों की बैठकें

4512. **श्री डी०पी० जदेजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, और बम्बई में स्थित विभिन्न क्षेत्रों की निर्यात और आयात सलाहकार समितियों की वर्ष 1973 के दौरान कितनी बार बैठकें हुई; और

(ख) क्या कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सामान की आयात समस्याओं और निर्यात सम्भावनाओं के बारे में उक्त समितियों ने अध्ययन किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जो बैठकें हुई उनकी संख्या निम्नोक्त प्रकार हैं :

1. नई दिल्ली	2
2. मद्रास	2
3. कलकत्ता	1
4. बम्बई	2

(ख) जी नहीं ।

निर्यात संवर्धन के लिये फर्मों/कम्पनियों को दी गई सुविधाएं

4513. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों/कम्पनियों तथा व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिनकी निर्यात क्षमता प्रतिवर्ष 20 लाख अथवा इससे अधिक है; और

(ख) निर्यात संवर्धन के नाम से सरकार ने इन फर्मों/कम्पनियों तथा व्यापार गृहों को कौन सी सुविधाएं दी हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) व्यापार प्रतिष्ठानों की निर्यात सम्भाव्यता के बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है ।

(ख) निर्यात संवर्धन सुविधाओं की अनुमति व्यापार प्रतिष्ठान की निर्यात करने की संभाव्यता के आधार पर नहीं दी जाती ।

तस्करी के सामान की बिक्री

4514. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तस्करों के विरुद्ध शुरू किये गये हाल के अभियान के परिणामस्वरूप बाजारों में तस्करी के सामान की बिक्री बन्द हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : तस्करों के विरुद्ध अभी हाल में चलाये गये अभियान के बाद तस्करी के माल की बाजार में खुले आम बिक्री काफी सीमित हो गयी है ।

'ह्विस्की कन्सेन्ट्रेट' का मामला

4515. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'ह्विस्की कन्सेन्ट्रेट' के मामले में न्याय निर्णय के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार ने खुले बाजार में खेप के मूल्य का कोई गैर सरकारी मूल्यांकन प्राप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इस मूल्यांकन से सहमत है; और

(ङ) क्या सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करके तथा दोषी पक्षों को खेप का निबटान करने, अच्छा खास लाभ न कमाने देने का निर्णय किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैसर्स टाटा एक्सपोर्टस लि० बम्बई द्वारा आयातित ह्विस्की कन्सेन्ट्रेट के मामले में सीमाशुल्क समाहर्त्ता, बम्बई द्वारा पारित न्याय-निर्णय संबंधी आदेश की एक प्रति सरकार को मिली है।

(ख) तथा (ग) सरकार को माननीय सदस्य श्री मधु लिमये से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें, खुले बाजार में उक्त खेप का मूल्य और लाभ की गुंजाइश के संबंध में कुछ आंकड़े दिये गये हैं। श्री लिमये ने बताया है कि न्याय निर्णय करने वाले अधिकारी द्वारा लगाये गये जुर्माने और दण्ड की अदायगी करने पर भी आयातकर्त्ताओं को उक्त खेप से बड़ा मुनाफा होगा।

(घ) तथा (ङ) सीमाशुल्क समाहर्ता; बम्बई के न्याय-निर्णय आदेश और श्री लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्नों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

आयात लाइसेंसों की सुविधा का दुरुपयोग करने वाली फर्में और कम्पनियां

4516. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री 11 सितम्बर, 1974 के लोकसभा समाचार भाग 2 के पैराग्राफ 1941 में उल्लिखित सभा पटल पर रखे गये पत्र के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे पार्टियां, फर्में, कम्पनियां कौन-कौन सी हैं जिन्होंने आयात लाइसेंसों की सुविधा का दुरुपयोग किया है; जैसा कि उस (डाकुमेंट) दस्तावेज में बताया गया है;

(ख) क्या इनके अथवा इनमें से किसी एक के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन्हें काली सूची में दर्ज करने अथवा भविष्य में कोई लाइसेंस नहीं देने के निदेश देने आदि के रूप में इनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई है।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) 'रेड बुक' के उपबंधों अथवा किन्हीं विनियमों का प्रारूप तैयार करने में यदि कोई खामी रही हैं तो क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय केवल उन फर्मों से ही है जिनका उल्लेख 11-9-1974 के लोकसभा बुलेटिन भाग 2 के पैरा सं० 1941 में उल्लिखित सभा पटल पर रखे गये कागजात में किया गया है। जहां तक इंजीनियरी यूनिट के मामले का संबंध है, उसका नाम मैसर्स आर० के० मशीन टूल्स, लुधियाना है। हैदराबाद के दो यूनिटों के मामले से सम्बन्धित नाम हैं : मैसर्स अशोक इंडस्ट्रीज तथा मैसर्स नरेन्द्र इंडस्ट्रीज। निर्यात सदन का नाम मैसर्स पाटलीवक्य एण्ड कम्पनी, बम्बई है। जहां तक अधिक मूल्य के बीजक बनाने से संबंधित मामलों का संबंध है, अभी जांच चल रही है और इस अवस्था में नाम बताना संभव नहीं है।

(ख) हैदराबाद के दो यूनिटों के सम्बन्ध में, जिनकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई थी, एक यूनिट अर्थात् मैसर्स अशोक इंडस्ट्रीज के अभियोजन के लिये मंजूरी दे दी गई है और दूसरा मामला विचाराधीन है। अन्य किसी फर्म के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) तथा (घ) हैदराबाद के दो यूनिटों के संबंध में यह निदेश दिये गये हैं कि जब तक विभागीय कार्यवाही पूरी नहीं कर ली जाती आगे लाइसेंस देना रोक दिया जाये।

(ङ) नीति का मसौदा तैयार करने में ऐसी कोई खामी नहीं थी जिससे किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक हो।

विदेशी सहयोग करारों का अध्ययन करने हेतु सैल

4517. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संसद के वर्ष 1973 के मानसून सत्र में विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि इस समस्या के संबंध में नई व्यापक नीति बनाने हेतु सरकार द्वारा इस समय चल रहे विदेशी सहयोग करारों का गहराई से तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार के इस उद्देश्य से रिजर्व बैंक अथवा वित्त मंत्रालय में कोई सैल स्थापित की है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा अध्ययन न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क): जी, हां।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में नियत अवधि के बाद नियमित रूप से सर्वेक्षण करता रहता है। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से विदेशी सहयोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पहलूओं की जानकारी प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल में 1964-70 की छः वर्ष की अवधि के बारे में भारतीय उद्योगों में विदेशी वित्तीय और तकनीकी सहयोग के बारे में ऐसा ही एक अध्ययन किया था और इसके निष्कर्षों को अपने जून 1974 के बुलेटिन में प्रकाशित किया था। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 1972-73 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए भी ऐसा ही अध्ययन करने का काम शुरू किया है। सरकार द्वारा गठित विदेशी निवेश बोर्ड विदेशी सहयोग के किसी प्रस्ताव की मंजूरी देने से पहले के प्रौद्योगिकी विशेष के आयात की आवश्यकता, देश में इसकी उपलब्धता उसकी निर्यात क्षमता, आयात प्रतिस्थापन और अन्य सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल करता है। इस स्थिति को देखते हुए विदेशी सहयोग का अलग से विश्लेषण किया जाना जरूरी मालूम नहीं होता।

वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋण

4519. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा गृह-निर्माण के लिए (एक) व्यापार गृहों (दो) उद्योगपतियों (तीन) सरकारी कर्मचारियों (चार) निम्न आय वर्ग और ग्रामीण लोगों को वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में दिये गये ऋणों की राशि का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि में इस प्रकार कुल कितनी धनराशि दी गई तथा कितनी धनराशि का वापस भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) कुल कितनी धनराशि का भुगतान अभी बाकी है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) आवासीय ऋणों के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम वर्ग-वार रिकार्ड नहीं रखता, क्योंकि इस प्रकार के ऋण योजना-वार मंजूर किए जाते हैं, अर्थात् सम्पत्ति बंधक योजना, 'अपने मालिकी के घर बनाओ' योजना, (जी० बी० नि०) कर्मचारी समिति योजना, (जी०बी०

नि०) अलग-अलग कर्मचारी योजना और बस्ती-निर्माण योजना। जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋण मंजूर किए :

	1971-72	1972-73	1973-74 (लाख रु० में)
सम्पत्ति बंधक योजना	302.08	359.11	245.14
'अपने मालिकी के घर बनाओ' योजना	488.45	518.40	474.91
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आवासीय योजना	26.00	15.00	कुछ नहीं
पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों की सहकारी आवासीय समितियां	—	—	5.00
(जी०बी०नि०) कर्मचारी आसीय समिति योजना	44.05	131.22	118.58
(जी०बी०नि०) अलग-अलग कर्मचारी योजना	59.25	176.01	209.46
बस्ती-निर्माण योजना	—	38.69	93.00

Export of Iron Ore

4520. **Shri Bhagatram Rajaram Manhar**
Shri Kushok Bakula :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the measures being taken to augment iron export from this country and to get remunerative prices therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : Steps are being taken to increase exports of iron ore by augmenting availability of iron ore for export by expansion of production both in the public and private sectors, provision of additional railway facilities and development of ports. The Minerals & Met ls Trading Corporation, which is the canalising agency for export of iron ore, has been negotiating higher prices for iron ore with foreign buyers and has suceeeded in securing increase of 34% to 40% over prices of last year.

कमर्शियल और कोआपरेटिव बैंकों पर सरकार का नियन्त्रण

4521. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कमर्शिल और कोआपरेटिव बैंकों पर अधिक कड़ा नियन्त्रण लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर किस प्रकार का और कितना नियंत्रण रखा जाए, इस बात की भारतीय रिजर्व बैंक लगातार समीक्षा करता रहता है।

राज्य व्यापार निगम के स्टाक में माल जमा होना

4522. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री पी०ए० सामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के स्टाक में 29.52 करोड़ रु० का विभिन्न प्रकार का माल जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने-कितने मूल्य का क्या-क्या माल जमा हुआ है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसके निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। 20-9-74 को स्टाक का मूल्य 29.52 करोड़ रु० था।

(ख) मुख्य मदें, उनके मूल्य सहित, ये हैं :--

तेल तथा चर्बियां	रु० 10.17 करोड़
रसायन	रु० 8.83 ,,
औषधियां तथा भेषज	रु० 4.77 ,,
अन्य	रु० 5.75 ,,
	रु० 29.52 करोड़

खाद्य तेलों को खाद्य विभाग के योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रिलीज किया जाता है। कुछ राज्यों द्वारा माल उठाने की गति धीमी रही है। अन्य मदों के भण्डार जमा हो जाने के कारणों में प्लास्टिक तथा रोगन उद्योग द्वारा अपेक्षित कुछ रसायनों की मांग में कमी, स्वदेशी माल की पूर्ति में सुधार और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट शामिल हैं।

(ग) औषधियों जैसी कुछ मदों में तीन महीनों की खपत के भण्डारों का मौजूद रहना एक बहुत ही सामान्य बात है। तथापि, इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि, आबंटितियों द्वारा माल शीघ्रता-पूर्वक उठाया जाए।

Exports of Fruits

4523. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether various varieties of fruits were exported by India during 1973-74; and

(b) if so, total exports made and the amount of foreign exchange earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library.** *See* **No. L. T. 8756/74**]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कारखानों की पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाना

4524. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक केवल ऐसे कारखानों को सहायता दे रहे हैं जिनमें 7.5 लाख रुपये और इससे कम का पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) क्या पूंजी निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का आशय सम्भवतः छोटे पैमाने के उन एककों को वित्त देने से है, जो उत्पादन, प्रवर्धन अथवा परिरक्षण-कार्य में संलग्न एककों की परिभाषा में आते हैं तथा संयंत्र एवम् मशीनरी में जिनका निवेश 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र मानते हैं। 7.5 लाख रुपये की सीमा अभी तक बढ़ाई नहीं गयी है।

राज्य व्यापार निगम का ईरान के साथ सीमेंट का सौदा

4525. **श्री डी० डी० देसाई**

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छह महीने पहले राज्य व्यापार निगम ने तीस लाख मीटरी टन सीमेंट का निर्यात करने के लिए ईरान के साथ कोई सौदा किया था ;

(ख) क्या इस सौदे से भारत को भारी हानि हुई हैं और यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हानि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि संविदा का अभी क्रियान्वयन किया जा रहा है अतः अभी वित्तीय परिणाम बताना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिल का बना कपड़ा नियंत्रित निर्धारित दरों पर उपलब्ध किया जाना

4526. **श्री डी० डी० देसाई**

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को मिल का बना कपड़ा नियंत्रित निर्धारित दरों पर कभी कभी उपलब्ध होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या देश के वार्षिक उत्पादन की मात्रा 20 प्रतिशत ही औसत नागरिक के पास पहुंचता है ;

(घ) क्या इस कपड़े का कोटा प्रत्येक राज्य को आवंटित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो वितरण पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इसके बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 1 अक्तूबर, 1974 से प्रत्येक मिल से यह अपेक्षित है कि वह सूती कपड़े के अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत कंट्रोल का कपड़ा बनाये। इस कपड़े पर कानूनी वितरण नियंत्रण लागू होता है और आम जनता के उपयोग के अलावा उसे किसी अन्य उपयोग में लाने के अवसर बहुत ही कम हैं। इस कपड़े के वितरण से सम्बन्धित लागू नीति के अनुसार वस्त्र आयुक्त आबादी के आधार पर अपेक्षित मात्रा में कंट्रोल के कपड़े का आवंटन करता है। कंट्रोल का कपड़ा केवल निम्नलिखित निर्धारित माध्यमों से बेचा जाना अपेक्षित है :–

(1) (क) मिलों की अपनी खुदरा दुकानें और ;

(ख) अर्ध ग्रामीण इलाकों में मिलों द्वारा प्राधिकृत खुदरा दुकानें ;

(2) सरकारी क्षेत्र के सुपर बाजार।

(3) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ और उनसे सहबद्ध अनेक सहकारी संस्थाएं;

(4) राज्य सरकारों के तत्वावधान में चलाई जा रही उचित दाम की दुकानें।

(5) सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सहकारी क्षेत्र का अन्य कोई अभिकरण।

हाल ही में वस्त्र आयुक्त राज्य सरकारों को निम्नलिखित और मार्गदर्शी नियम जारी किए गए है।

(1) 15,000 से 20,000 की आबादी वाले अर्ध नागरीय केन्द्रों में कपड़ा पहुंचाने के लिए उपाय किए जाएं।

(2) राशन कार्डों/घरेलू कार्डों आदि को कंट्रोल के कपड़े की बिक्री का आधार बनाया जाए।

(3) कपड़ा उन लोगों को बेचा जाये जिनकी मासिक आय 400 से कम हों।

अनिवार्य निर्यात तथा आयात प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा

4527. **श्री डो० डो० देसाई**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य निर्यात तथा आयात प्रतिपूर्ति योजनाओं के संबंध में नीति की समीक्षा के लिए सितम्बर, 1973 में बनाई गई समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मोटी बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण अनुबद्ध है।

(ग) से (ङ) सिफारिशें विचाराधीन हैं।

विवरण

1. निर्यातकों को न्यायोचित कीमतों पर स्वदेशी माल की सप्लाई हेतु योजनाओं का पर्याप्त विस्तार होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रालय द्वारा कानूनी शक्तियां प्राप्त की जानी चाहिएं।

2. निर्यात आर्डरों की क्रियान्विति के लिए मंजूर किए गए अग्रिम लाइसैंसों के आधार पर कच्चे माल के आयातों के संबंध में सीमाशुल्क के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए बशर्ते उपयुक्त सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था कर दी जाए।

3. यदि "रूपान्तरण" सौदों की क्रियान्विति हेतु कच्चे माल और संघटकों का आयात सीमाशुल्क निकासी परमिट (अर्थात् भारत से भुगतान किए बिना) पर किया जाता है और विनिर्माण कार्य सीमाशुल्क बाण्ड के अधीन किया जाता है तो निर्यातक को आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक से लाइसैंस प्राप्त किए बिना आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

4. प्रतिपूर्ति लाइसैंस के प्रयोग के लिए नामांकनों की अनुमति देने संबंधी नीति को बदला जा सकता है और नामांकनों की अनुमति केवल निम्नलिखित मामलों में दी जानी चाहिए :–

(1) निर्यातित उत्पाद के विनिर्माता के नाम में।

(2) निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त पुर्जे, संघटक अथवा कच्चे माल के विनिर्माता के नाम में।

5. नकद सहायता की दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय को निर्यात दस्तावेजों को देख कर एफ० ओ० बी० प्राप्ति की जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान वाणिज्य मंत्रालय इस बात की

भी जांच कर सकता है कि क्या इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त आंकड़े बड़े तथा लघु उद्योग क्षेत्रों दोनों से निकलने वाले उत्पादों से संबंधित हैं ।

6. अनिवार्य निर्यात दायित्वों संबंधी योजना के चलाने में निर्यातकों की वास्तविक कठिनाइयों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है ।

7. निर्यात सदनों की योजना के कार्यकरण का यह देखने के लिए और आकलन किया जाना चाहिए कि दुरुपयोग के अवसरों को कम से कम करने के लिए और क्या परिवर्तन किए जाने की जरूरत है ।

8. 2 से 3 वर्षों के बाद, निर्यात गतिविधि में लघु उद्योग क्षेत्र के रोल को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि उस दिशा में और उपायों पर विचार किया जा सके ।

9. शुल्कों की वापसी की अदायगी के लिए प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ।

10. कतिपय विनिर्दिष्ट लाइनों पर निर्यातकों को कर संबंधी राहत देने के संबंध में अनुकूल रूप में विचार करने की आवश्यकता है ।

चरस की तस्करी में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों का अन्तर्ग्रस्त होना

4528. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरस की तस्करी में इंडियन एयरलाइंस के श्रीनगर स्थित कर्मचारियों और हवाई अड्डा सुरक्षा कर्मचारियों के नियमित रूप से अन्तर्ग्रस्त होने का सरकार को पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 20 नवम्बर, 1974 के 'पैट्रियट' में श्रीनगर हवाई अड्डे पर नियुक्त इंडियन एयरलाइंस के कुछ कर्मचारियों तथा विमानक्षेत्र सुरक्षा कार्मिकों की चरस की तस्करी में मिली भगत के बारे में एक प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी । मामले की जम्मू और काश्मीर राज्य की पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है । अभी इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि इस मामले में कौन शामिल हैं ।

गैर-उत्पादक व्यय को कम करने के लिए लागू किए गए विशेष उपाय

4529. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों, विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सभी प्रकार के गैर-उत्पादक व्यय को कम करने के लिए कोई विशेष उपाय लागू किए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे यूनिटवार कितनी बचत होने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मंत्रालयों/विभागों में अनुत्पादक व्यय की कटौती करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय अपनाए गये हैं । पहले ही प्रवृत्त उपायों के अतिरिक्त, इस वर्ष निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं :–

(i) "आगामी कार्यों" तथा स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं की सभी मंत्रालयों द्वारा समीक्षा की जाती है जिससे अनावश्यक एवं गौण कार्यों का कम किया जाना सुनिश्चित हो सके तथा फालतू कर्मचारियों का पता लगाया जा सके । कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी प्रस्तावों को स्थगित रखा जाएगा तथा उपर्युक्त समीक्षा पूरी होने तक स्थानीय तौर पर अथवा तदर्थ आधार पर की जाने वाली भर्ती आस्थगित रखी जाएगी, चाहे इसका अर्थ कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए विहित कर्मचारी नियोजन प्रकार से हटना ही क्यों न हो ।

(ii) कार्यालय व्यय, यात्रा-भत्ता तथा आकस्मिक व्यय के उपबन्धों पर 10 प्रतिशत की कटौती ।

(iii) गैर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की अदायगी पर होने वाले व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती ।

(iv) दैनिक मजदूरी के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध ।

(v) नागर विमानन, डाक तथा तार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में कतिपय प्रचालन-पदों को छोड़कर तथा योजनागत नई परियोजनाओं के निष्पादन अथवा सुरक्षा और सतर्कता के क्षेत्रों से सीधे संबंधित प्रचालन एवं तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर, नये पदों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(vi) स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा फालतू पाए गये कर्मचारियों के समायोजन द्वारा भरे जाने वाले पदों को छोड़कर, गैर-तकनीकी तथा गैर-प्रचालनात्मक सभी खाली पदों के भरे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(vii) फालतू पाये गए पदों को समाप्त करने अथवा उनका समायोजन करने के विषय में अपनी रिपोर्टों में स्टाफ निरीक्षण एकक द्वारा की गई सिफारिशों को तीन महीने की अवधि के अन्दर कार्यान्वित करना ।

(viii) विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि-मंडलों/भारत सरकार के अधिकारियों की विदेशी यात्राओं की संख्या तथा आकार में प्रतिबंध ।

(ix) पूरी की गई योजनाओं/परियोजनाओं के ऐसे फालतू कर्मचारियों को हटा देना जिनके नाम अभी तक वेतन-चिट्ठे में हैं ।

2. मितव्ययिता संबंधी वैसे ही मार्गदर्शक अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी जारी कर दिये गए हैं । इसके अतिरिक्त इन उपक्रमों के अनुपालनार्थ निम्नलिखित विशिष्ट उपाय भी सुझाए गये हैं :–

(i) स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा तथा अधीनस्थ कार्यालयों की भर्ती संबंधी शक्तियों में कटौती ।

(ii) उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में होने वाली नकद हानियों के क्रमशः उन्मूलन के लिए प्रयास ।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दी जाने वाली कतिपय प्रकार की राज्य-सहायता की समाप्ति । उनसे अपेक्षा की जायेगी कि वे विशिष्ट प्रकार की हानियों की अन्यत्र लाभों में से प्रतिपूर्ति करें ।

3. प्रशासनिक आय को कम करने के लिए जो कतिपय अन्य उपाय लागू किए गए हैं; वे निम्नलिखित हैं:–

(i) निर्माण-कार्य संबंधी कार्यक्रमों में यथासंभव अर्द्ध-स्थायी अथवा अस्थायी विशिष्टियों का अपनाया जाना ।

(ii) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में टेलीफोनों की संख्या में 20 प्रतिशत की कटौती ।

(iii) कागज के प्रयोग में अधिकतम किफायत ।

(iv) अधिकारियों को मोटर-कार की खरीद के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों का स्थगन ।

4. इस समय यह बताना संभव नहीं है कि ऊपर उल्लिखित विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप यूनिटवार अनुमानतः कुल कितनी बचत की जा सकेगी, क्योंकि ये अनेक बातों पर आधारित है । बचत का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है । वर्तमान निर्धारण के अनुसार यह आशा की जाती है कि मितव्ययिता संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में योजना-भिन्न व्यय में लगभग 71 करोड़ रुपये की बचत होगी ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I did not interrupt Question Hour knowing that you will call me.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री ललित नारायण मिश्र ने कल जो कुछ कहा था उसके सम्बन्ध में मैंने आपको पत्र लिखा था । उस सम्बन्ध में मैंने नोटिस दिया है . . .

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके द्वारा कुछ कहे जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि उन्होंने विशेषाधिकार को भंग किया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला कल अन्तिम रूप से निपटा दिया गया था । आज मैं इसे किसी भी रूप में नहीं लेना चाहता ।

क्या श्री लिमये किसी अनिर्णीत प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहने जा रहे हैं या वह कोई बात अपनी ओर से कहना चाहते हैं ? मुझे बताया गया है कि यह अलग मामला है। श्री लिमये।

Shri **Madhu Limaye** : I have been treated very shabbily and I want to bring it to your notice. I gave notice of a question regarding the Maruti Limited and I wanted that I should get its reply on the 11th December. But the question has been changed without my consent. I am first placing my original question and then the changed question.

My original question was: "*Order of preference one.*"

Will the Minister of Industry refer to the Maruti Limited Annual Report and Accounts for 1973—74 filed with the Registrar of Companies, Delhi and state;

(a) whether part of the plant machinery and equipments in the process of installation referred to at pages 16-17 of the said report has been imported from abroad;

(b) if so, the details of the imported items of plant, machinery and equipments;

(c) the magnitude of the imports as a percentage of the total value of the plant machinery etc. mentioned in (a)?

Now, see the changed question.

"Will the Minister of Industry and Civil Supplies be pleased to state;

(a) whether according to the Maruti Ltd. Annual Report and accounts for 1973-74 filed with the Registrar of Companies, Delhi, a part of the plant machinery and equipments installed and in the process of installation referred to at pages 16-17 of the said report has been imported from abroad;"

That means I am asking it from the Government and they are saying whether it is stated in the report of the Maruti Limited, When I have got the report, why should I ask the question?

मारुति लिमिटेड ने यह नहीं कहा है कि मशीन का वह भाग आयात किया गया है। उद्योग मंत्रालय ने इस जटिल प्रश्न के उत्तर को टालने के लिए आपके सचिवालय के साथ सांठ-गांठ करके मेरा प्रश्न बदल दिया है। यह धोखाधड़ी के सिवाय और कुछ नहीं है।

जब सचिवालय सरकार की एजेंसी बन जाता है और सरकार किसी व्यक्ति तथा उसके परिवार की एजेंसी बन जाती है तो संसद कैसे चल सकती है?

मैं इस मामले पर बहुत अधिक परेशान हूं। मैंने अपने प्रश्न स्वीकार किए जाने तथा उनकी प्राथमिकता जानने के लिये सचिवालय को जो पत्र लिखा उसका भी आज तक उत्तर नहीं दिया गया है।

मैं यह भी मानने से इन्कार करता हूं कि यह आपके अवर सचिवों की गलती है। उद्योग मंत्रालय और प्रधान मंत्री सचिवालय के कहने पर ऐसा किया गया है। मेरे सहयोगी श्री मधु दंडवते ने पहले ही आरोप लगाया है कि अब से बाद में सभी प्रश्नों के उत्तर प्रधान मंत्री सचिवालय से 'एडिट' किए जाने के बाद दिये जायेंगे।

I want your guidance.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे मुझे अभी बताया गया है। जिस क्षण माननीय सदस्य ने इसे देखा उसी वक्त वह मुझ से सम्पर्क करते तो अच्छा होता और मैं उत्तर के साथ तैयार रहता।

श्री मधु लिमये : मैंने 10 बजे से पहले नोटिस दे दिया था। मुझे इस पर बहुत आपत्ति है। यह मामला आपके सचिवालय और अध्यक्ष महोदय के बीच का है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि प्रश्नों को इस प्रकार नये ढंग से तैयार किया जाएगा और टालने वाले उत्तर दिए जायेंगे तो हमें सरकार से कभी भी उत्तर नहीं मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सचिवालय को प्रश्नों का पुनरीक्षण करने का अधिकार है और जब माननीय सदस्य के पास प्रश्न आए तो उन्हें उस पर आपत्ति करनी चाहिए थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उनका कहना है कि उन्हें बिना बताये ही ऐसा किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात अभी मुझे बताई गई है और मैं इसकी जांच कर रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपके द्वारा प्रश्न देखे जाने चाहिए । मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मामलों में प्रधान मंत्री सचिवालय सर्वोपरि हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य ऐसा कह रहे हैं । माननीय सदस्य इस सचिवालय की कार्य व्यवस्था के बारे कुछ न कहें । इस विषय पर मैं और अधिक कुछ नहीं सुनना चाहता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लगभग तेरह महीने पूर्व मैंने श्री डी०पी० धर के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के आरोपों से सन्तुष्ट नहीं हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने का कोई प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य पहले प्रक्रिया नियम समझें, फिर प्रस्ताव पेश करें ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री मधु लिमये के प्रश्न के मामले में क्या उन्हें इस परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई थी ? श्री मधु लिमये ने कहा है. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये ने जिस प्रश्न का उल्लेख किया वह मेरे सामने है । विरोधी पक्ष के सदस्य कागज देख सकते हैं । इस तरह की शुद्धि करना रोज का कार्य है । इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या इस प्रश्न में कोई तारतम्य नहीं बन रहा था ? इसमें शुद्धि करने की क्या आवश्यकता थी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये या विरोधी पक्ष के किसी अन्य सदस्य के साथ बैठ कर कागज देखने को तैयार हूं । वे गलती कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये : वे इनमें शुद्धि क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें भाषा ठीक करनी होती है । ऐसा नियम है । यदि इस काम को करने वाले किसी अधिकारी ने गलती की है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी गलती फिर न की जाये और उस अधिकारी को चेतावनी भी दूंगा।

श्री आर० एन० गोयिन्का, संसद सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege against Shri R. N. Goenka M. P.

अध्यक्ष महोदय: बहुत से विशेषाधिकार के प्रश्न हैं ।

मैं पहले श्री आर० एन० गोयिन्का के बारे में जो विशेषाधिकर का प्रश्न है वह ले रहा हूं इसे पहले ही निश्चित किया जा चुका है

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर): मैं श्री एल० एन० मिश्र द्वारा कल दिए गए वक्तव्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह मामला कल ही समाप्त हो गया था । मैं इस पर और चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं. . . . (**व्यवधान**)

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में 10 सदस्यों के नाम सूची में हैं और श्री गोयिन्का का भी है । वह उत्तर देना चाहते हैं ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वह किस आधार पर उत्तर दे सकते हैं ।

श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : वह उत्तर नहीं दे सकते । . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने ही विरुद्ध क्यों जाते हैं ? श्री एल० एन० मिश्र को उत्तर देने का अवसर दिया गया था।

हम इस मामले पर सदा के लिए फैसला कर लें। यदि मंत्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न हैं और यदि आप इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं तो मैं सम्बन्धित मंत्री को उत्तर देने के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी : आप केवल दो या तीन मिनट लें। मुझे श्री गोन्यिका के भी विचार सुनने हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : इस विषय पर मेरा पहला नोटिस था। कृपया जांच कीजिए और तब निर्णय कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी का नोटिस पहला है।

श्री प्रियरंजन दासमुन्शी : 4 दिसम्बर, 1974 के दैनिक समाचार–पत्र "पैट्रियट" में "गोयिन्का, 4 अदर्स टु बी ट्राइड फ़ोर फोरजरी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुआ था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन मैंने अपने विचार इस लिए व्यक्त किए थे कि मैं केवल यह स्पष्टीकरण चाहता था कि क्या यह श्री राम नाथ गोयिन्का इस सभा के सदस्य हैं जो इंडियन एक्सप्रैस मैनेजमैंट ग्रुप के व्यक्ति है। यदि यह सही नहीं है तब तो समाचार गलत है और यह इस सभा के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध है और इससे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है हम सभी को चाहिए कि उन्हें संरक्षण दें। विशेषाधिकार के प्रश्न में इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि यदि यह समाचार सही है तो इसमें समूचा सदन शामिल है और इसमें सभा का मान और गरिमा अन्तर्ग्रस्त है। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष जांच यूनिट ने 21 मई, 1973 को श्री राम नाथ गोयिन्का के विरुद्ध आरोप-पत्र पेश किया है और 12 अप्रैल, 1974 को एफ० आई० आर० दर्ज किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला न्याय निर्णयाधीन है। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुन्शी : इसमें कहा गया है कि अभियुक्त संख्या 1, जो श्री राम नाथ गोयिन्का हैं, का किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके बैंक से रुपया प्राप्त करने से सीधा सम्बन्ध है...

श्री आर० एन० गोयिन्का (विदिशा) : यह सब झूठ है.... **(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुन्शी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री तुल मोहन राम के मामले में जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गई तो आपने कहा था कि चूंकि प्रथम दृष्टि में मामला बन गया है अतः सभा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इस मामले में भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है और प्रथम दृष्टि में मामला बन गया है। श्री राम नाथ गोयिन्का के विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हैं। एक आरोप यह है कि राधा एण्ड कम्पनी, कलकता झूठी कम्पनी है। समाचार में कहा गया है कि ऐसी कोई कम्पनी या ग्रुप नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्री राम नाथ गोयिन्का ने मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में दो बार याचिकाएं दायर कीं और वे खारिज कर दी गईं।

मेरा आप से अनुरोध है कि जब प्रथम दृष्टि में मामला बन गया है तो मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

मेरा आप से यह भी अनुरोध है कि आप यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपे...

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछ सकता हूं ? क्या यह मामला उनके इस सभा के सदस्य के रूप में आचरण के सम्बन्ध में है ? .... **(व्यवधान)**

या व्यापारी के रूप में ?

श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी : इस सभा के सदस्य के रूप में।

अध्यक्ष महोदय : व्यापारी के रूप में ?

श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी : दोनों ही रूप में विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में स्पष्ट विचार रखिए।

श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी : इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण जो कुछ कर रहे हैं उससे यह देश और यह सभा चिंतित है। अतः मेरा अनुरोध है कि श्री जयप्रकाश नारायण को इन भ्रष्ट व्यक्तियों के शिकंजे से छुड़ाने के लिए संरक्षण दिया जाये... **(व्यवधान)**

श्री मधु लिमये (बांका): वह भारतीय जनता के शिकंजे में हैं और किसी के शिकंजे में नहीं हैं ।

श्री प्रिय रंजन दासमन्शी: मैं इतना कह कर अपनी बात पूरी करता हूं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी)**:** मैं श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री तुल मोहन राम और श्री राम नाथ गोयिन्का को समान कैसे किया जा सकता है? श्री तुल मोहन राम ने अन्य सदस्यों के जाली हस्ताक्षर बनाये। श्री गोयिन्का पर यह आरोप है कि वह जब इस सभा के सदस्य नहीं थे तब उन्होंने अपराध किया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आखिर अनेक तुल मोहन राम हो सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया है और मैं अनुरोध करता हूं कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। इस सभा के सदस्य के रूप में सरकार और वित्त मंत्रालय पर कुछ प्रभाव डाला जाता है और बहुत गंभीर बातें भी दबाई जाती हैं। वर्ष 1972 के बाद के दिनों में जब श्री गोयिन्का इस सभा में थे तब केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा अधिकारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और अभी तक वह दबा हुआ पड़ा है। उस प्रतिवेदन के जांचकर्ता ने पाया कि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 23 करोड़ रुपये एकत्रित किये जबकि समूचे समाचार-पत्र समूह की कुल शेयर पूंजी 87 लाख रुपये थी।

इसके अतिरिक्त जांचकर्ता का अप्रैल, 1972 का निष्कर्ष यह है कि गोयिन्का कम्पनियों के नौ ग्रुपों ने एक्सप्रेस ट्रेडर्स में भागीदारी की जो कम्पनी नियमों का उल्लंघन है। परन्तु इस सभा के सदस्य के रूप में वह इन गैर-कानूनी कामों को दबाने में सफल हो गये हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने एक लेख में निम्न बात कही है जो 1 जून, 1974 के हिन्दी दैनिक प्रदीप में प्रकाशित हुई थी।

"जब पिछली बार हम विश्व-भ्रमण के लिए गए तो हमारा राह खर्च एक भारतीय मित्र ने दिया।"

इस बात की शंका है कि वह भारतीय मित्र श्री रामनाथ गोयिन्का ही हैं ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): I rise on a point of order. Will you allow to establish a case on the ground of suspicion against any person ? **(Interruption)**

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Will you allow the name of Shri Jayaprakash Narayan to be brought in here? Please give your ruling on this point of order.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने से पूर्व मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था कि वह इस दूर के मामले में श्री जयप्रकाश नारायण का नाम क्यों लाते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे अपना निवेदन पूरा करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर दूं कि मैं इस मामले को उस मामले जैसा नहीं मानता। यदि माननीय सदस्य श्री गोयिन्का के मामले को श्री तुल मोहन राम के मामले जैसा बनाना चाहते हैं तो वह इसे उचित ढंग से बनायें और राजनैतिक व्यक्तित्व को इसके बीच में न लाएं। यदि इसे राजनीतिक वाद-विवाद बनाया गया तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री भोगेन्द्र झा : हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने के लिये धन का उपयोग किया जा रहा हैं ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे कुछ भी हो, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न कहां से आया ?

श्री भोगेन्द्र झा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। उस के अतिरिक्त उन्होंने स्वयं सुझाव दिया कि :

"कुछ महीनों तक मैंने श्री घनश्याम दास बिरला के निजी सचिव के पद पर भी काम किया था।...'

व्यवधान

श्री समर गुह (कन्टाई) : आप अपना विनिर्णय दे चुके हैं। इस सभा में श्री जयप्रकाश का नाम नहीं लाया जा सकता । यह आपके नियम का उल्लंघन है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : (शाजापुर) : उन्हें श्री जयप्रकाश नारायण का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए ।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि मुझे तीन मिनट की अनुमति दी जाए . . . . (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी : जो कुछ बाते हैं उन का माननीय सदस्य को उल्लेख करना चाहिए। आपने विरोधी पक्ष के सदस्यों को प्रधान मन्त्री का नाम लेने दिया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1971 के इस कदाचार का उन्हें कब पता चला ?

श्री भोगेन्द्र झा : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई कुछ बातों का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री समर गुह : क्या आपने अपनी रूलिंग दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयिन्का के पहले कांगेस से तथा अब अन्य दल से सम्बन्ध हो सकते हैं। परन्तु यह विशेषाधिकार का मामला कैसे बन सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा: मैं श्री जय प्रकाश नारायण पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : यह श्री जय प्रकाश नारायण के बारे में नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें श्री जय प्रकाश का उल्लेख करने दें ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : जब उन्हें भाता है तब तो जय प्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है परन्तु जब कोई अन्य व्यक्ति, उनका उल्लेख करता है तो विरोध किया जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री गोयिन्का का श्री जय प्रकाश से क्या सम्बन्ध ? . . . (**व्यवधान**)

Shri Bhogendra Jha : I have worked with Shri G. D. Birla as personal secretary and when I re-joined A.I.C.C. he continued to pay my salary.

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वथा असंगत है ।

श्री भोगेन्द्र झा : पिछली गर्मियों में श्री गोयिन्का पटना गये थे तथा उसके बाद बिहार विधान सभा के एक सदस्य ने प्रेस को वक्तव्य दिया कि उन्हें विधान सभा की सीट से त्याग पत्र देने के लिए कुछ हजार रुपए दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री गोयिन्का ने किसी व्यक्ति से क्या कहा यह राजनीतिक भाषण हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कहना चाहता था कि 25 करोड़ रुपए का मामला अभी भी लम्बित है। 18 जुलाई को प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि किसी व्यवसायी ने उनके पास भेजा कि यदि उनके मामले को समाप्त नहीं किया गया तो बिहार में आन्दोलन छिड़ जाएगा । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह व्यवसायी श्री राम नाथ गोयिन्का हैं ? यह बात प्रधान मंत्री के अथवा श्री गोयिन्का से पूछी जा सकती है ।

यह विचित्र बात है कि यह मामला प्रत्यक्षतः सिद्ध हो चुका है तो फिर इसे अभी तक क्यों निपटाया नहीं गया ? हमें इस बात का सन्देह है कि क्योंकि श्री गोयिन्का इस सदन के सदस्य हैं अतः वह अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं तथा सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है ।

श्री आर० एन० गोयिन्का ने ऐसे अपराध किए हैं जिनसे प्रत्यक्षतः उन्होंने इस सभा के विशेषाधिकारों तथा प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है । अतएव इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय सदस्य की बातों से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति द्वारा भारी राशि का गबन किया गया है । क्या मैं कम्पनी कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग किए जाने के प्रस्ताव रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : एक विशेषाधिकार के मामले के साथ दूसरा विशेषाधिकार नहीं जोड़ा जा सकता ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह लोग अधिक धन की उगाही के लिए उन पर दबाव डालने के लिए इसे दबा रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार का मामला निहित है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री झा तथा श्री मुन्शी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

वास्तव में यह मामला 1968 में आरम्भ हुआ था। श्री आर० एन० गोयिन्का ने बाद में संसद सदस्य बनने के नाते सरकार तथा वित्त मंत्रालय पर अपने प्रभाव का प्रयोग किया है अतएव हमारा आरोप उनके विरुद्ध है।

पहले भी जब यह मालूम हुआ कि श्री मुद्गल किसी व्यापार-गृह की पैरवी कर रहे हैं तब श्री नेहरू उनके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाये थे और श्री मुद्गल ने त्याग पत्र दे दिया था।

यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के लिए उचित मामला है। विशेषाधिकार समिति को यह मालूम करना है कि क्या श्री गोयिन्का ने किसी ऐसे विशेष व्यापारिक संस्थान के उत्थान के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है? उक्त समिति में उन्हें अपने बचाव के लिए प्रर्याप्त अवसर मिलेंगे।

इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : यह वास्तव में विशेषाधिकार का असाधारण प्रस्ताव है। यह पहले की आपकी रुलिंग अथवा पांचवी लोक सभा के पूर्व के अध्यक्षों की रुलिंग के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता। इसका सम्बन्ध एक ऐसे व्यक्ति से है जो इस सभा का सदस्य बनने से पूर्व पक्का अपराधी रहा है और आज भी अपराधी है। दूसरा नटवर लाल इस सभा में पहुंच गया है जिसके विरुद्ध तुलमोहन राम से भी अधिक गंभीर अपराध हैं।

ऐसा मामला न केवल श्री मुद्गल के विरुद्ध उठाया गया था अपितु संविधान सभा में भी एक व्यक्ति के विरुद्ध उठा था।

जब मैंने 4 दिसम्बर 1974 में दिल्ली के पैट्रियट में एक समाचार पढ़ा कि गोयिन्का तथा अन्य चार व्यक्तियों पर जालसाजी, धोखाघड़ी और अपराधिक षड्यंत्र के मामले में मुकदमा चलाया जायेगा तो इससे सम्बद्ध व्यक्ति को शिनाखत करने के लिए अध्यक्ष को लिखा था कि क्या यह वही व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश से इस सभा के लिए चुनकर आया है? मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में अधिक जानना चाहता था।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एफ०आई० आर० संख्या आर० सी० 2/71 एस० आई० यू० से यह मालूम हुआ है कि उक्त रामनाथ गोयिन्का सुपुत्र श्री सत लाल गोयिन्का जिनका पता नहीं है जो लोक सभा की सदस्य सूची में है, के विरुद्ध 15 से अधिक अपराध लगाए गए हैं जिनमें जाली दस्तावेजों को वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना अपराधिक षड्यंत्र, धोखाघड़ी आदि के अपराध शामिल हैं।

Shri Madhu Limaye : I may please be given a chance.

अध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं सदस्यों को अवसर दिया जा रहा है जिन्होंने प्रस्ताव रखा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कुछ समय पूर्व उक्त सदस्य सी० एम० सी० अस्पताल में दाखिल हो गए थे। हमने कई तस्करों के मामले में देखा है कि वे लोग नर्सिंग होमों में दाखिला ले लेते हैं। उनका उद्देश्य चिकित्सा नहीं अपितु षड़यन्त्र करना होता है।

Shri Janeswhar Mishra (Allahabad) : I have a point of order. This Mr. Goenka used to pay Rs. 3000/- p.m. to the son in-law of the former Prime Minister, Shri Feroze Gandhi used to pay Rs. 1500/- to Smt. Indira Gandhi. When there was conflict among the two Shri Feroze Gandhi stopped paying that amount to Smt. Indira Gandhi. . Smt. Gandhi then approached Sh. Goenka to stop that payment to Shri Feroze Gandhi.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

Shri Janeshwar Mishra : I have raised a point of order. The attempts made by multi-millionaires to corrupt the politicians may be listed and discussed here.

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, कृपया बैठ जाइये। यदि कुछ व्यक्ति बोलते नहीं हैं तो आपको उन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री समर गुह : क्या आप श्री गोयिन्का को श्री जय प्रकाश नारायण के विरुद्ध शिकण्डी के रूप में उपयोग किए जाने देंगे। ऐसा करके आप आग से खेल रहे हैं। (**व्यवधान**) श्री जय प्रकाश नारायण जनता के नेता हैं। (**व्यवधान**)

Mr. Speaker : Members have established a convention that who-so-ever likes to speaks what so-ever one likes without taking any care that the feelings of others are hurt.

श्री आर० एन० गोयिन्का (विदिशा): मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। आप शान्ति से बैठे रहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: मैं अब सी० एम० सी० अस्पताल के प्रश्न तथा बिलों के भुगतान आदि के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं उन व्यापार गृहों के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा जिनकी तुलना लुटेरों से की जा सकती है। मैं तो केवल उनके संसद सदस्य होने के नाते किए गए व्यवहार के बारे में ही कहना चाहता हूं। उनके इस व्यवहार से इस सदन तथा इस पवित्र संस्था की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : विदिशा से आए सदस्यों पर न केवल धोखाधड़ी का आरोप है बल्कि वह आदतन अपराधी हैं। 31 अगस्त 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 679 के उत्तर में तत्कालीन कम्पनी कार्य मंत्री ने राज्य-सभा के पटल पर नैशनल कम्पनी के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच सम्बन्धी एक विवरण रखा था। पुनः सदस्य के विरुद्ध धारा 420 के अन्तर्गत आरोप लगाए गए हैं।

श्री गोयिन्का न केवल पटसन के बहुत बड़े व्यापारी हैं बल्कि समाचार पत्र उद्योग पर भी उनका काफी नियंत्रण है। वह इस प्रकार जनता के विचारों को मोड़ने की काफी शक्ति रखते हैं। न्यायाधीश मैथ्यू ने एक निर्णय में ऐसा कहा था। अब वह संसद सदस्य होने के नाते अनेक व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। 1966 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री गोयिन्का को 50 लाख रुपये की व्यक्तिगत गारंटी देने की अनुमति दे दी थी। यह 21-12-1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5279 के उत्तर में बताया गया है। हमें पूरे तथ्यों का पता नहीं है। परन्तु एक षड्यंत्र हुआ जिसमें यह सदस्य अन्तर्गस्त थे। इस से पूर्व कि हम विशेषाधिकार के प्रश्न पर आगे कार्यवाही करें मैं मांग करता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे।

मैंने यह समूचा मामला नई दिल्ली जिले के पुलिस स्टेशन जांच यूनिट के एस०पी०, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 21-5-73 को तैयार किये गये आरोप पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है। इस सदस्य तथा इसके परिवार के सदस्यों ने श्री वेंकटेशवीया मन्दिर के धन का भी दुरुपयोग किया है। वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा अधिकारी ने 1964-65 से 1970-71 तक के एक्सप्रेस ग्रुप के तुलनपत्र में कहा है कि इस अवधि में इस ग्रुप की न केवल पूंजी ही समाप्त हो गई बल्कि 22.7 करोड़ रुपये का उधार भी इस कम्पनी ने लिया केवल मद्रास और बम्बई में इस कम्पनी ने लोगों से 10.69 करोड़ रुपये लिए। यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह संसद सदस्य के आचरण का मामला है। अतः मैं चाहता हूं कि सभी सम्बन्धित मन्त्री इस बारे में तथ्य सभा के समक्ष रखें।

1959 में नैशनल कम्पनी एक बहुत अच्छी कम्पनी थी। जब सम्बन्धित सदस्य ने इस कम्पनी को अपने हाथ में लिया तो उस समय 19 लाख रुपया का लाभ दिखाया गया था परन्तु अगले ही वर्ष अर्थात् 1960-61 में 19 लाख का घाटा दिखाया गया। राज्य सभा में जो आरोप पत्र दिया गया है उसमें श्री चुशीया का नाम होना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसको 'आसुंका' के अन्दर गिरफ्तार किया गया है। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की, उस समय सीमा शुल्क का मामला सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध चल रहा था। मैं चाहता हूं कि सरकार सभी सम्बन्धित जानकारी सभापटल रखे।

मैं विदिशा से आए सदस्य पर कदाचार तथा सभा की प्रतिष्ठा को कम करने का आरोप लगाता हूं और मांग करता हूं कि सभा इस बारे में उचित कार्यवाही करे। मेरा आप से अनुरोध है। कि आप सम्बन्धित मन्त्रियों को निदेश दें कि वे सभा के समक्ष पूरे तथ्य रखें। ताकि आगे कार्यवाही की जा सके।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहटी) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सत्र का तथा इस सत्र का अधिकांश समय हमने सदस्यों की प्रतिष्ठा की चर्चा में व्यतीत किया है, हालांकि देश के समक्ष अनेक समस्याएं है।

बड़े खेद की बात है कि एक और संसद सदस्य श्री राम नाथ गोयिन्का के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें धोखाधड़ी तथा षड्यंत्र रचाने आदि के आरोप हैं। श्री रामनाथ गोयिन्का पर यह आरोप है कि उन्होंने मार्च 1968 के आसपास गलत भन्डार दिखा कर पंजाब नैशनल बैंक को धोखा दिया। अब प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य के इस आचरण से विशेषाधिकार भंग होता है। यदि माननीय सदस्य ही ऐसे गम्भीर अपराध करने आरम्भ कर दें तो लोगों को इनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर विश्वास उठ जाएगा। जब कोई सदस्य इस समूचे सदन की प्रतिष्ठा को, इस प्रकार धक्का लगाता हैं तो क्या वह विशेषाधिकार भंग करता है अथवा नहीं ! अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय देते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इससे पूर्व की इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए, मैं अनुरोध करूंगा कि सभी सम्बन्धित मंत्री तथ्यों को सभा के समक्ष रखें।

अध्यक्ष महोदय : अब इस मामले पर अगले सप्ताह चर्चा होगी।

श्री ज्योतिर्मयबसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक व्यक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैं और मेरा दल बड़े व्यापार गृहों में विरुद्ध निरन्तर लड़ रहे हैं। यदि रिकार्ड को देखा जाए तो पता लगेगा कि मैंने इस मामले को बार-बार उठाया है। मेरा अनुरोध है कि आप तुरन्त जांच कराएं कि क्या उन्होंने संसद सदस्य होने की स्थिति का दुरुपयोग कर सरकार पर दबाव डाला है। 1952 के लोकसभा चुनाव में श्री गोयिन्का कांग्रेस के उमीदवार थे। अतः श्री गोयिन्का कांग्रेसी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of personal explanation. Sir, I have been consistently fighting against the economic offenders. I have raised the matter of National Jute Company here several times. I have already given a notice that the economic relation of Shri Goenka Shrimati Indira Gandhi, Late Feroze Gandhi and Shri Jayaprakash Narain should be discussed here. My second motion is "that this house directs the Government to place the CBI report in connection with Shri R N. Goenka's case on the Table of the House." These should be treated as priority motions.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वर्ष 1973 का समेकित प्रतिवेदन, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 तथा गुजरात शिक्षा उपकर अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8738/74]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 681 (ङ) तथा सा० सा० नि० 682 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8739/74]**

(3) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात शिक्षा उपकर अधिनियम 1962 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जी०एच०एन० 297) एस०यू०ए०–1074 (11)–टी०/एच० की एक प्रति, जो दिनांक 1 नवम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 8740/74]

ग्राम प्रथमपुर, जिला बड़ौदा में 14-8-72 को हुई गोली-बारी सम्बन्धी प्रतिवेदन, कार्यवाही ज्ञापन आदि

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति ।

(एक) ग्राम प्रथमपुर जिला बड़ौदा में 14 अगस्त, 1972 को पुलिस द्वारा गोलीबारी सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8741/74]

दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973 तथा गुजरात नगरीय क्षेत्र खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गुजरात सरकार के आदेश

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली नगरीय कला आयोग (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1251 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 8742/74]

(2) (क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :–

(1) ग्राम उधना, तालुक चौरासी जिला सूरत के श्री रतन सिंह बहादुर बाबामहीड़ा के मामले में दिनांक 16-10-1974 का आदेश संख्या बी०सी०टी०-3074–667-पांच ।

(2) ग्राम बिल, तालुक बड़ौदा जिला बड़ौदा के श्री अम्बालाल वेंकर के मामले में दिनांक 16-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी० 1774/87242–पांच ।

(3) ग्राम अन्तरोडी, तालुक पालसना जिला सूरत के श्री रमनभाई हरीभाई देसाई के मामले में दिनांक 16-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–3074–93086–पांच ।

(4) सिटी सूरत ताल्लुक चौरासी, जिला सूरत के श्री अबलीभाई असगरभाई तथा अन्यों के मामले में दिनांक 16-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–3073/7797–पांच ।

(5) ग्राम श्यामपुर, तालुक भावनगर, जिला भावनगर के श्री ओधाभाई प्रषोत्तम भाई के मामले में दिनांक 16-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–1874–1074–पांच ।

(6) श्री दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, भावनगर के मामले में दिनांक 19-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–1874/खा/2412–पांच ।

(7) नूतनवर्ष कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड अहमदाबाद के मामले में दिनांक 1-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–1474/9180–पाँच ।

(8) बड़ौदा नगर, तालुक बड़ौदा, जिला बड़ौदा की श्रीमती विश्व-भारती डी भट्ट के मामले में दिनांक 1-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–1773/133323–पांच ।

(9) वृन्दावन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित) आनन्द जिला कैरा के मामले में दिनांक 6-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–2474/65346-पांच ।

(10) निष्कलंक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड अहमदाबाद के मामले में दिनांक 6-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–1473/79590–पांच ।

(11) समर्पण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी पोरबन्दर के मामले में दिनांक 6-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–2373/79598–पांच ।

(12) श्री शारदाबेन चिमनभाई लालभाई तथा अन्यों, साहीबाग अहमदाबाद के मामले में दिनांक 11-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–1472/115686–पांच ।

(13) ग्राम विरागम, ताल्लुक विरागम, जिला अहमदाबाद के मैसर्स महाबीर इन्डस्ट्रीज के मामले में दिनांक 28-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–एस० आर०–23/72 ।

(14) ग्राम विरागम, ताल्लुक विरागम, जिला अहमदाबाद के मैसर्स मोहइन्द्रा इंडस्ट्रीज के मामले में दिनांक 28-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–एस०आर०–24/73 ।

(15) मैसर्स पटेल कालाभाई देवराज एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 1-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–एस०आर०/150–7 (3) ।

(16) मैसर्स पटेल गोबिन्द लाल गोकुलदास एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 5-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०–एस०आर०–149/7 (3) ।

(17) नारायण एसोसिएशन, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 5-11-1974 जा आदेश संख्या वी० सी०टी०/एस०आर०/148/7 (3) ।

(18) कोलख टाइल्स प्रोडक्टस, बड़ौदा के साझीदार श्री ए० के० त्रिवेदी के मामले में दिनांक 2-11-1974 का आदेश संख्या सी०एच०/वी०सी०टी०/आर०जी०-9/1974 ।

(19) सिद्धी माइनिंग वर्कस बड़ौदा के साझीदार श्री के० एम० त्रिवेदी के मामले में दिनांक 2-11-1974 का आदेश संख्या सी०एच०/वी०सी०टी०/आर०जी०-10/1974 ।

(20) ग्राम चारवाई, ताल्लुक बुलसर, जिला बुलसर के मामले में श्री प्रफुल चन्द्र डाह्याभाई देसाई तथा श्री दिनेश चन्द्र डाह्याभाई देसाई के मामले में दिनांक 4-11-74 का आदेश संख्या सी०एच०/वी० सी०टी०/आर०जी०–37/1974 ।

(21) श्री 'एम' सिलिकोन्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड गनदेवी, ताल्लुक गनदेवी जिला बुलसर के मैनेजिंग डायरेक्टर के मामले में दिनांक 26-11-1974 का आदेश संख्या सी० एच०/वी० सी० टी०/आर०जी०–36/1974 ।

(22) मैसर्स मिस्त्री एग्रीकल्चरल सेन्टर, सेगवी, ताल्लुक बुलसर जिला, बुलसर के साझीदार श्री प्रण-जीवनदास भानाभाई मिस्त्री के मामले में दिनांक 6-11-74 का आदेश संख्या सी० एच०/वी० सी० टी०/ आर० जी०–48 1974

(23) वनसेट आटोसर्विस नवसारी, ताल्लुक नवसारी, जिला बुलसर के मालिक श्री नारीमन पेस्तनजी घुसिया के मामले में दिनांक 7-11-1974 का आदेश संख्या सी०एच०/वी०सी०टी०/आर० जी० -19/74।

(24) श्री मुक्तानन्द इन्डस्ट्रीज आफ बड़ौदा के मालिक श्री डाह्याभाई शंकरभाई पटेल के मामले में दिनांक 4-11-1974 का आदेश संख्या एल०एन०वी०/वी०सी०टी०/डब्ल्यू० एस०/2815।

(25) गुजरात वनस्पति उद्योग बड़ौच के मैनेजर एस०टी० मैहता के मामले में दिनांक 4-11-1974 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी०सी०टी०/6039।

(26) श्री जयंत ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी बड़ौच के साझीदार श्री जे० सी० गुज्जर के मामले में दिनांक 18-11-1974 का आदेश संख्या एल०एन०डी०/वी०सी०टी०/6233।

(27) अवरन लिमिटेड बड़ौदा के डायरेक्टर के मामले में दिनांक 30-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०आर०/एस०आर०/17/73।

(28) श्रीमती हैसावैन रमेशभाई दलाल, सूरत के मामले में दिनांक 29-10-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस०आर०/63/74।

(29) श्री हरिओम इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सर्विसेज सोसायटी (प्रस्तावित), सूरत के मामले में दिनांक 31-10-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/62/74।

(30) जयश्री जलराम इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सर्विसेज सोसायटी लिमिटेड (प्रस्तावित), सूरत के चीफ प्रमोटर श्री जन नवीन चन्द्र चिमनलाल के मामले में दिनांक 4-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/60/74।

(31) प्रस्तावित नवागाम उद्योग सहकारी संघ सूरत के चीफ प्रमोटर के मामले में दिनांक 4-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/46/74।

(32) राधाकृष्ण इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसायटी, सूरत के चीफ प्रमोटर श्री दलसुख राम लक्ष्मीचन्द अन्सारी के मामले में दिनांक 6-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/61/74।

(33) श्रीमती गीतावेन नीरंजन दलाल, सूरत के मामले में दिनांक 14-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/64/74।

(34) द्वार केश इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सर्विसेज/सोसाइटी, सूरत के प्रेजीडेंट के मामले में दिनांक 21-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/57/74।

(35) महसाना जिले में, सिद्धपुर तालुका के ग्राम बिल्ला के श्री गोपालभाई जोतराम पटेल के मामले में दिनांक 17-9-1974 का आदेश संख्या एल०एन०डी०/डब्ल्यू० एस०/2163।

(36) महसाना जिले में सिद्धपुर तालुक के ग्राम सिद्धपुर के श्री अमृतलाल छगनलाल पंचाल के मामले में दिनांक 30-10-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-एल० एन० डी०/एन० ए०/डब्ल्यु० एस०/123।

(ख) उपयुक्त आदेशों को (एक) सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8743/74]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र इत्यादि

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:—

(एक) (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8744/74]

(दो) (क) भारतीय परियोजना तथा उपकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०8745/74]

(तीन) (क) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8746/74]

(2) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत रेशम-उत्पादन उद्योग को संरक्षण जारी रखने सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8747/74]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है

"कि राज्य सभा 11 दिसम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 दिसम्बर, 1974 को पास किये गये विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक, 1974 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
ASSENT TO THE BILL

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त छोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमान, मैं सोमवार 16 दिसम्बर 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(एक) आज की कार्य सूची से शेष रहे सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।

(दो) संसद (निर्हरता निवारण) संशोधन विधेयक, 1973 पर विचार तथा इसे पास करना।

(तीन) रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प पर चर्चा।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक सूची है जिससे मालूम होता है कि कई सदस्य इस बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। समय बहुत कम है। अभी मध्याह्न भोजन के लिए भी जाना है और उसके बाद विपक्ष के नेताओं के साथ होने वाली बैठक की मुझे अध्यक्षता करनी है। अतः इस व्यक्तिव्य पर इतने अधिक सदस्यों के विचार कैसे सुने जाएं। यदि आप चाहते हैं तो मध्याह्न भोजन काल में सभा की कार्यवाही जारी की जा सकती है।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : मध्याह्न भोजन काल तो देना ही चाहिए। हम इसे सोमवार से समाप्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अतः वक्ताओं के नामों को अभी लम्बित रखा जाता है उन्हें बाद में अवसर मिलेगा।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

50वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्राणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से, जो 12 दिसम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से, जो 12 दिसम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजकर 15 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen minutes past fifteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 3 बजकर 18 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at eighteen minutes past fifteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर): श्रीमान् आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने महंगाई भत्ते की तीन-चार किस्तों के बारे में वक्तव्य दिया था कि इसके बारे में सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी और उसकी घोषणा शीघ्र ही करेगी। मुझे बताया गया है कि महंगाई भत्ते के बारे में सरकार इस सत्र में घोषणा नहीं करने वाली है। अतः मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री अगले सप्ताह इस बारे में वक्तव्य दें कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की चार किस्तें दी जाएंगी।

श्री के० रघुरामैया : मेरे विचार से वह स्थगित कर दिया गया है ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Can we support him ?

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री से पता लगा है कि अगले सप्ताह के कार्य के बारे में निवेदन किया जाए अगले सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है । अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप वित्त मंत्री को निदेश दें कि वह इस बारे में वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निदेश कैसे दे सकता हूं ? निदेश देना आसान नहीं है ।

Shri Madu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, . .

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको मैं नहीं रोक रहा हूं ।

Shri Madhu Limaye : Atrocities were committed on neo Budhists in Akola and the investigation into this could not be conducted because 17 Regional Offices of the Commission for Scheduled Castes & Scheduled Tribes have been closed. Had there been a Regional Office at Nagpur, the incident of this cruelty would have been investigated. I want a statement about it from the Government.

Shri K. M. Madhukar (Sesaria) : Sir, About 257 Members of Parliament submitted a memorandum to the Prime Minister about the nationalisation of the sugar mills. I want that Bhargava Commission's report should be discussed in the House and Government should clearly lay down its policy about sugar mills.

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा स्थगित कर दी गई है । अब गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS, BILLS AND RESOLUTIONS

48वां प्रतिवेदन

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति के 48वें प्रतिवेदन से, जो 11 दिसम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 48वें प्रतिवेदन से, जो 11 दिसम्बर 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

Shri Madhu Limaye : Sir, I gave a notice of the Dramatic Performance Bill about a month ago. Therein, I sought that the pre-censorship practice and Entertainment Tax in respect of Dramas being staged in Delhi City should be done away with. There was a pro-

vision in the Bill which required the recommendation of the President, under Article 171 of the Constitution. Such a recommendation is a formality in respect of the Private Member's Bills. It should have been given to my Bill also with out delay, as it was done in case of three other such Bills in this very session. It has been the convention but it is not being observed in my case. I came to know that the Presidents recommendation to my Bill is being with held knowingly. Who will give me protection in this matter? A period of more than one month has elapsed and required recommendation has not been given so far, while it should have been given immediately.

Rule 25 says :

"The notice of a Motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be one month unless the speaker allows the motion to be made at shorter notice.

But Rule 65(2) says :

"If the bill is a Bill which, under the Constitution, cannot be introduced without the previous sanction or recommendation of the President, the Member shall annex to the notice such sanction or recommendation conveyed through a Minister, and the notice shall not be valid until this requirement is complied with".

We cannot go direct to the President. The Minister has to convey this. This notice shall not be valid until this requirement is complied with.

In Censor Board, competent persons are not there. They know nothing about Literature Poetry, drama, etc.

It is not proper to impose entertainment tax on dramas in the capital.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : We should proceed according to List of Business. If you don't want to go according to List of Business, you should allow us to go.

श्री एस०एम० बनर्जी : यह विशिष्ट विधेयक एक गम्भीर मामला है...

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। चूंकि श्री लिमये चले गए हैं, इसीलिए मैं कुछ भी कहना आवश्यक नहीं समझता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बैठक के सिलसिले में अध्यक्ष के चेम्बर में गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका वर्तमान कार्यसूची से बहुत अधिक सम्बन्ध है। श्री मधु लिमये ने 12 नवम्बर, 1974 को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक का नोटिस दिया था।

माननीय सदस्य नाटक विधेयक के माध्यम से चाहते हैं कि मनोरंजन कर को हटा दिया जाए। चूंकि विधेयक कर समाप्त करने के बारे में है, इसलिए हमें संविधान के अनुच्छेद 110 तथा 117 पर ध्यान देना होगा। अनुच्छेद 117 में यह व्यवस्था दी गई है कि कराधान को प्रभावित करने वाला अथवा अनुच्छेद 110 के कुछ प्रावधानों को प्रभावित करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य ने 12 नवम्बर को नोटिस दिया और उसी दिन राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए आवेदन पत्र दिया। प्रक्रिया यह है कि मंत्रालय या सम्बन्धित मंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करेगा और सिफारिश की घोषणा सम्बन्धित मंत्री द्वारा की जाएगी। सदस्य ने हमें जो कागज भेजा हमने तुरन्त कार्यवाही की और कागज सम्बन्धित मंत्रालय को भेज दिया। हमारे नियमों के अनुसार, विधेयक पेश करने से एक महीना पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। अतः यदि विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी है तो नोटिस के साथ राष्ट्रपति की सिफारिश भी हमें एक महीना पूर्व मिल जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। हमने 12 नवम्बर को माननीय सदस्य का आवेदन-पत्र राष्ट्रपति को भेज दिया। 27 नवम्बर को हमारे सचिवालय को सूचना मिली कि शिक्षा मंत्रालय को ये पत्र प्राप्त नहीं हुए। हमें छानबीन के बाद पता चला कि ये पत्र शिक्षा मंत्रालय के प्राप्ति अनुभाग में दिए गए थे। बाद में हमने फिर उन्हें कागज भेजे। लेकिन आज तक हमें राष्ट्रपति की

सिफारिश प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि इस विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। श्री समर गुह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था और राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त न होने पर विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका था। इस पर शिक्षा मंत्री ने क्षमा मांगते हुए कहा था कि वे शीघ्र ही राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करेंगे और एक प्रकार का वचन दिया था कि ऐसा फिर नहीं होगा। लेकिन अब फिर वही घटना हो गई है। राष्ट्रपति की सिफारिश न मिलने पर माननीय सदस्य विधेयक पेश करने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। मुझे सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी है और श्री मधु लिमये के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। शिक्षा मंत्री उपस्थित नहीं है। यदि वह उपस्थित होते तो स्पष्टीकरण देते। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें सदन में वक्तव्य देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ।

फसल बीमा निगम विधेयक
CROP INSURANCE CORPORATION BILL

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samasti Pur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of the Crop Insurance Corporation for the purpose of undertaking the business of crop insurance so as to project the interest of farmers from loss due to unavoidable causes.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से कृषकों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से फसल बीमा कारबार करने के प्रयोजनार्थ फसल बीमा निगम की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Shri Yamuna Prasad Mandal : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 124 तथा 155 का संशोधन)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

पंचायती राज के माध्यम से आयोजन तथा विकास विधेयक
PLANNING AND DEVELOPMENT THROUGH PANCHAYAT RAJ BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री रणबहादुर सिंह द्वारा 28 नवम्बर, 1974 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करते हैं :

"कि पंचायत राज के विभिन्न लोकतांत्रिक तथा सरकारी अभिकरणों के माध्यम से आयोजना और विकास करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : योजना मंत्रालय ने अपने वचन के अनुसार अभी तक योजना तैयार करने के कार्य में किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया है। कुछ राज्यों में जिला योजना समितियां और जिला विकास परिषदें बनाई गई हैं किन्तु ये न तो लोकतांत्रिक हैं और न ही उनके पास योजना को कार्यान्वित करने के लिये कुछ करने के अधिकार हैं। कर्नाटक में तो जिला बोर्ड भी नहीं है। वहां जिला परिषदें अभी तक बनी ही नहीं है। जिला पंचायत स्तर पर जब तक लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित नहीं होती, तब तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अच्छी योजनाएं नहीं बन सकती। पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में हमने मानव श्रम की उपेक्षा करके मशीनों और संस्थाओं पर काफी धन लगाया है।

प्राथमिक विद्यालय तो गांवों में खोले गये हैं लेकिन उनके लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं। राज्यों में छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं तथा ऋण देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। डेरी फार्म तथा मुर्गीपालन आदि की दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। खादी या हथकर्घा अथवा रेशम उद्योग तथा अन्य ग्राम उद्योगों को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। मशीनें और संस्थाएं बनाने के लिये हम करोड़ों रुपये व्यय करते हैं, केवल इसी आशय से कि कालांतर में इससे मानवहित होगा। हर वर्ष गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है। गांवों से पढे लिखे लोग विदेश या बड़े शहरों में चले जाते हैं। यदि राज्य सरकारें उचित व्यवस्था करें तों ये नवयुवक अपने ही जिलों में रहेंगे तथा अपने लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे।

ग्राम स्तर के लिये जो आयोजन किया गया है, वह बहुत ही दोषपूर्ण है। असंख्य भूमिहीनों को मकानों के लिये स्थान दिये गये हैं लेकिन उनके पास मकान बनाने के लिये पैसा नहीं है। सरकार भी यही कहती है कि उसके पास भी इस हेतु पैसा नहीं है। जीवन बीमा निगम की गृह निर्माण योजनायें केवल शहरों तक ही सीमित हैं। जिला और पंचायत स्तरों पर आयोजन करके ही स्थिति में सुधार किया जा सकता है। यह कार्य एक प्रशासनिक आदेश द्वारा ही सम्भव है। लेकिन इससे पूर्व एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई जा सकती है जो समूचे विषय का गहन अध्ययन् करे। अतः सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करे जो जिला और पंचायत स्तरों पर आयोजन करने और हमारी योजनाओं में जनसहयोग लेने के प्रश्न पर विचार करे। यदि सरकार इस प्रकार की समिति नियुक्त करने के लिए राजी हो जाती है तो विधेयक पेश करने वाले सदस्य को अपना विधेयक वापस ले लेना चाहिये।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : यह एक नया विधेयक नहीं है। माननीय सदस्य ने जिला स्तर पर एक समिति का सुझाव दिया है। पंचायती राज के विकास अथवा अर्ध विकास का मुख्य कारण धन और योजना का न होना है। बनायी जाने वाली योजनाएं वहां के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। पंचायतीराज में एक यूनिट के रूप में पंचायत को लिया जाता है। इसके लिये एक आई०ए०एस० अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाये। उसे अपने क्षेत्र में विकास के लिये सभी शक्तियां मिलनी चाहियें। उसके प्रस्ताव अनुमोदनार्थ राज्य या केन्द्रीय अधिकारियों के पास भेजे नहीं जाने चाहियें। उनका वहां पर ही निर्णय होना चाहिये।

[**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए**
Shri Dinesh Chandra Goswami *in the chair*]

संविधान के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों का विकास और प्रशासन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। परन्तु यह दोनों कुछ भी नहीं कर रही हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिये अब तक किये गये उपाय अधूरे हैं।

एक देहात को विकास के लिये यूनिट मानकर उसका विकास किया जाना चाहिये। सरकार को ग्राम पंचायत को प्राथमिकता देकर ग्राम विकास करना चाहिये।

भारत में आदिवासी परियोजनायें बनाने का कार्य आरम्भ किया गया है। परन्तु प्रत्येक परियोजना के लिये समान राशि रखी गई है जबकि उनकी संख्या में बहुत अन्तर है। मैं मन्त्री महोदय से धन बांटने का आधार जानना चाहता हूं।

मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आदिवासी क्षेत्रों में कृषि का विकास किया जाये और पंचायत समितियों के लिये सिंचाई की 'मास्टर प्लान' को प्राथमिकता दी जाये।

श्री था० किरुतिनन (शिवगंज) : मैं श्री रणबहादुर सिंह को इस विधेयक को लाने के लिये बधायी देता हूं। वास्तव में सरकार को स्वयं ही इस विधेयक को लाना चाहिये था।

सरकार ने पंचायतीराज के विकास हेतु कई समितियां बनायी हैं और इन्होंने अपनी सिफारिशें भी दी हैं, लेकिन भारत सरकार ने पंचायती राज के विकास हेतु दिलचस्पी नहीं दिखायी है। अधिकांश राज्यों ने चुनाव नहीं कराये हैं और इस प्रणाली को लागू करने के लिये कानून नहीं बनाये हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मेरे विचार में आप द्रमुक सरकार की ओर से बोल रहे हैं।

श्री था० किरुतिनन : मैं यह कह रहा हूं कि आपने इसे लागू करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं।

गांव राष्ट्र की बुनियादी इकाई होते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था के आधार हैं, यदि देहातों का विकास न किया गया तो देश के विकास का दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि देहातों में सड़कें, पानी और स्कूलों के भवन नहीं हैं। वहां सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। वर्तमान योजना प्रणाली गांवों के लिये उचित नहीं है। इससे लोगों की आकांक्षायें स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित नहीं होती। पंचायतों के पास पर्याप्त धन नहीं जिससे कि वे अपनी आवश्कताएं पूरी कर सकें।

मेरा सुझाव है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये और इस विधेयक का भी यही उद्देश्य है।

रामनाथपुरम जिले में बोगालूर नामक ब्लाक है जिसके अन्तर्गत 64 गांव आते हैं तथा वित्तीय कठिनाई के कारण यह खण्ड (ब्लाक) कोई विकास नहीं कर सकता। हमारी सरकार ने इस ब्लाक, के विभाजन की मांग की है किन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस न्यायसंगत मांग को स्वीकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत विकास की योजनाएं किस प्रकार बना सकती है। इसी कारण हमारी यह मांग है कि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये।

पंडित जवाहर लाल नेहरू एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना चाहते थे जिसका उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था तथा राष्ट्रीय निर्माण में ग्रामीण जनता का योगदान प्राप्त करना था। योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री कृष्णामाचारी भी भारत की भावी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति में ग्रामीण जनता का सीधा योगदान चाहते थे। श्री एम० के० डे० का भी यही मत था कि भारत की ग्रामीण जनता आत्म निर्भर होकर भारत का भविष्य बनाये।

यह सच है कि भारत में पंचायत व्यवस्था सदियों पहले के विद्यमान है किन्तु आज पंचायत का वही स्वरूप नहीं है जो पहले था। पहले पंचायतों को प्रगति प्रौद्योगिकी और परिवर्तन जैसी बातों से कोई मतलब नहीं था किन्तु आज के युग में पंचायतों को विकास के सभी पहलुओं पर विचार करना है तथा आज की उपलब्धियों को यथाशीघ्र प्राप्त करना है। इस दृष्टि से पंचायतों को अभी बहुत कुछ कार्य करना बाकी है।

ब्लाक और जिला स्तर पर विकास के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार स्तर पर योजनाएं बनाई जानी चाहियें क्योंकि कोई जिला या ब्लाक अपने विकास की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता । सीमेंट, लोहा आदि अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को सप्लाई करनी होंगी । इस कार्य के लिये यह आवश्यक है कि तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाये ।

वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि खाद्य समस्या हल करने के लिये उद्योग और कृषि में बड़े पैमाने पर तालमेल स्थापित की जाये । इस समय प्रत्येक समस्या को हल करने के लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता है ।

वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायत राज्य के जिस स्वरूप की कल्पना की थी वह प्रत्यक्ष नहीं हो सका । जिन व्यक्तियों के विकास के लिये योजनाएं बनती हैं उनसे कोई परामर्श ही नहीं किया जाता और उनके ऊपर योजनाएं थोप दी जाती हैं । यही कारण है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी । यद्यपि पंचायत राज की स्थापना का उद्देश्य प्रजातंत्र शक्ति का विकेन्द्रीकरण है तथापि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आज केवल कागजी व्यवस्था बनकर रह गई है । यदि कार्यक्रम बनाने से पहले ग्राम पंचायतों से परामर्श किया गया होता तो इस दिशा में अवश्य सफलता मिलती । यह भी सच है कि आज ग्राम पंचायत केवल सशक्त ग्रामीण वर्ग द्वारा अपना प्रभुत्व जमाये रखने का माध्यम बनकर रह गई हैं ।

ग्रामीण समाज को आधुनिक बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्राम पचायत प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करने, कमजोर वर्गों का उत्थान करने तथा गृह निर्माण आदि कार्यों की क्रियान्विति में सहायता मिल सकती है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न प्रजातांत्रिक संस्थानों की प्रगति तथा सामुदायिक विकास कार्यों में ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए । अन्त में मैं अनुरोध करता हूं कि मन्त्री महोदय इन बातों को स्वीकार करलें तथा एक नया विधेयक लायें जिसके द्वारा देश में आर्थिक और राजनितिक शक्तियों का प्रजातंत्र प्रणाली के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण हो सके।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, in this way my Bill will not be taken up. The time allotted for this Bill has been extended thereby leaving no time for my Bill. It is injustice. All the items should be disposed of in time.

सभापति महोदय : मेरा भी यही विचार है किन्तु यह सभा का निर्णय है ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The object of this bill is certainly landable but this measure is not sufficient for the rural development. According to Bapuji the development of India could not be effected without rural development. Pandit Jawahar Lal Nehru also laid much emphasis on the Panchayat Raj system. But that idea could not be implemented till now.

In 1967 the Central Government transferred there responsibility regarding the establishment of Panchayats to the Sate Governments and the State Governments did not pay any attention towards Panchayats.

On the request of All India Panchayati Raj Parishad, Government appointed a commission to go into its working. But the report of the said commission has not yet been implemented.

I would like to suggest that all villages having population of one thousand people should be brought under the Panchayati Raj system. For three or four panchayats there should be a legal adviser to advise them in judicial and executive matters. No member of a Legislature or Parliament should be appointed to this post. Sarpanch should be an educated person. The responsibility of propagating literacy, providing transport and medical facilities should be entrusted to Panchayats.

The elections to the Panchayats should be held after every five years instead of three years. If we want to develop our country,the planning for development should start at panchayat level. Without developing our villages we cannot develop our country.

With these words I request his mover to withdraw the Bill and I request Government to introduce a new bill in this regard.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : The villagers are coming to cities because no care is being taken to develop the villages. Government should pay attention to the development of the villages and should solve the problems of Harijans, Adivasis and landless people. The planning for development of villages should be done at the panchayat level and that of the districts at district level. All facilities should be provided to these people at panchayat level. Mobile courts and Hospitals should be provided for these people. Transport facilities should also be provided. All those works which might be started in this regard should be completed within six months. If the work is not completed within six months the guilty officer should be suitably punished.

Special attention should be paid towards the problems of supply of drinking water, health and communication services. Small canals should be constructed for irrigation purposes.

Small entrepreneures should be encouraged so that they may run their own small-scale industry.

Government should pay special attention for raising the standard of living of the people of backward areas. Special assistance should be provided to poor Harijans, Adivasis an farmers.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : I support this bill. The basic thing in this regard is whether we consider the village as a basic unit in our planning or not ? I have suggested to the Planning Commission that planning should start at the village level. The people sitting here in air-conditioned rooms cannot make successful plans for the villages because they do not know the difficulties faced by the villagers. Although we raise the slogan of self reliance, yet we have done nothing to achieve it. The bureaucracy is not prepared to shun its powers and in this way we are suppressing the voice of the people.

The real meaning of socialism is that basic amenities such as shelter, clothing and employment, should be provided to people. We cannot bring socialism without providing these facilities to the people. Panchayati Raj can play an important role in this regard. In the first four plans due importance was given to the development of Community Blocks. People realised the sense of self-reliance. People were also made part of the planning. But now this has stopped. Now different kind of machinery is working in different states. All malpractices which are going on at state-level should be checked. Evils of castism and Zamindari should be annihilated. In this respect help of panchayats should be taken.

The help of panchayats should also be taken for popularising the family planning. It will also help in raising the standard of living of the people of lower classes. B.D.Os should be under the overall charge of panchayats and District Board.

A committee consisting of Members of Parliament should be appointed to go into all these aspects. Whatever recommendations are made by they said committee should be implemented.

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : In most of the states elections of Panchayats have not taken place for the last eight years. Where as according to existing law, they should have taken place every three years. I want to know the states where the elections to the panchayats have been held according to law *i.e.* after three years.

People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given due representations in the Panchayats and Zila Parishad. I want to know the number of persons belonging to Scheduled Castes and Tribes which are member of the Panchayats and Zila Parishads at present in various states. If these people are put on responsible posts, many problems of this country can be solved.

Let the Government give the figures as to how many persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were registered and given employment every year during the last 3 years.

Most of the state Governments have failed to allot land to the landless people belonging to Scheduled Castes/Tribes because of the pressure of big farmers. Consequently, cases of violation of rules have been going on for the last 8-10 years whereas the land should be regularised and leased to the man in possession thereof, after 3 years as per the laws in force. The Scheduled Tribe people are in possession of land for the last 8-10 years but the patwaries and Tehsildars are indulging in corrupt practices and thus victimising the poor tribes men, and gradually depriving them of their land in the name of non-payment of certain premium fees of about Rs. 700 or 800 per bigha. I was told that the Government was inquiring into such matters. Let me know by what time such cases would be settled and what action is the Government taking in this regard.

Although the Panchayats, Panchayat Committees and Zila Parishads have been allotted many subjects to deal with but even after 25 years of our Independence, our villagers do not precisely know as to what loans or help, they can get from these bodies and also who would provide schools and lands for them.

Panchayat elections throughout the country are long over due and the Government should see to it that action is taken to this effect.

When there is acute shortage of almost everything in the cities, what conditions can be there in the rural areas? All the country-men are finding it difficult even to afford their essential commodities of daily use. Everything is in short supply and most of the commodities including medicines are found adulterated. The increase in prices is hitting us most.

In order to face these above said three problems, they should put a check on unneccessary expenditure and observe strict economy in expenses of the factories etc. Also, let there be a non-party Coordination Committee to keep an eye on corruption.

Finally, I support the Bill but would stress that only passing the Bill would not solve the problems of the country. You should check corruption and curb super flowous expenditure.

श्री के० लकप्पा (तुमकुट) : इस विधेयक का जो आधार भूत सिद्धान्त है उससे देश की समस्याएं हल नहीं होगी। फिर भी चर्चा के दृष्टिकोण से इस विधेयक की भावना बड़ी प्रशासनीय हैं।

इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीण संस्थाओं का विकास हो तथा पंचायत राज के जरिय देश के लोगों के हाथ में शक्ति आये। अब देखना तो यह है कि क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक-आर्थिक समस्याएं हल हो सकी हैं? बड़े खेद की बात है कि उक्त संस्थाओं के माध्यम से हम इन समस्याओं को हल नहीं कर सके हैं। हमने विभिन्न प्रतिवेदनों में पढ़ा है कि केवल कुछ राज्यों को छोड़ कर शेष राज्यों के लोग निर्धनता का शिकार हैं तथा कुछ तो गरीबी से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। भुखमरी से हुई मौतों के भी समाचार मिल रहे हैं। लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का कार्य पूरा नही हो पाया है। राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा नगरीय अर्थव्यवस्था के बीच व्यापक अन्तर को समाप्त नहीं कर सकी हैं। हमारी अधिकांश आर्थिकगतिविधियां नगरों में जन्म लेती हैं, गांवों में नहीं तथा उनका लाभ ग्रामवासियों को वस्तुतः नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार सही अर्थों में ग्रामवासी हमारे लोकतन्त्र से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। वे अनेक अधिकारों से वंचित हैं, यहां तक कि उन्हें जीवन की अनिवार्य वस्तुओं जैसे, रोटी कपड़ा और मकान भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या हमारे योजना आयोग का यह दायित्व नहीं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को जाने, समझे और उनको हल करे? किसी भी नियोजक ने ग्रामीण जीवन तथा वहां की समस्याओं को वास्तविक रूप में समझने का प्रयास नहीं किया हैं और इस प्रकार हमारे देहातों की उपेक्षा होती जा रही है। उदाहरणार्थ योजना आयोग राज्य सरकारों को जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्विति के लिये सहायता नहीं दे रहा है। यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। जब तक हम देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते

तथा आर्थिक जीवन का विकास नहीं करते है तब तक न तो सिंचाई की समस्या हल हो सकती है और न ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रगति कर सकती है। यह सब कुछ नौकरशाही के कारण हो रहा है। और यह नौकर शाही भी हमारी पूंजीवादी प्रणाली पर आधारित हैं।

अत: हमें यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने होंगे जिनसे देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय मिले।

हमारे देश में अनेक चुनाव हुए हैं और हम सबको पता है कि कितने अनुपात में ग्रामीण जनता उनमें भाग लेती है परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि आर्थिक नियंत्रण और आर्थिक गतिविधियां बड़े शहरों तक ही सीमित रहती हैं। केवल शहरों में ही करोड़ों रुपये खर्च करके बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे स्थापित नहीं किये जाते। बड़े व्यापार-गृहों और उद्योगपतियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, आज ग्रामीण जनता में सुरक्षा का अभाव है। हमें इस समस्या का हल निकालना चाहिये। प्रत्येक राजनीतिक दल जनता से ही शक्ति प्राप्त करता हैं। अत: मंत्री महोदय को सभी दलों की एक समिति बनानी चाहिये ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। कर्नाटक की सिंचाई समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि इस समस्या का हल भी निकट भविष्य में ढूंढ लिया जायेगा।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजनाएं बनाए जाने और क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास इसी प्रकार हो सकता है। सरकार को इस वैधानिक प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमने अब तक बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं में 2770 करोड़ रुपये लगाए हैं। कृषि मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि केवल 15 प्रतिशत किसानों को इन सिंचाई परियोजनाओं से लाभ पहुंचा है। शेष 85 प्रतिशत किसान अभी भी वर्षा पर निर्भर करते हैं। योजना आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य डा० मिनहास ने बताया है कि वर्ष 1972-73 में 2770 करोड़ रुपयं के पूंजीनिवेश पर 140 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे देश के अधिकांश किसान सहायक नहरों की कमी के कारण इन सिंचाई परियोजनाओं से लाभ नहीं उठा सके। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में राज्यों में परस्पर विवाद पैदा हो जाते हैं और सहायक नहरों के निर्माण की लागत का भार वहन करने की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार इन सिंचाई परियोजनाओं से सरकार को एक पैसे का भी लाभ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बार बार बाढ़ आने के कारण 300 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होने का अनुमान लगाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया। यदि किसानों को विश्वास दिलाया गया होता कि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा तो देश में खाद्य संकट की स्थिति पैदा ही न होती और सरकार को विदेशों से अनाज की भिक्षा न मांगनी पड़ती। हमारे किसान देश को बहुत पहले आत्मनिर्भर बना देते।

हमने विद्युत परियोजनाओं पर 4700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमारे देश के 5 लाख गांवों में से केवल 1.22 लाख गांवों को बिजली के कनेक्शन मिले हैं। इससे भी यही पता चलता है कि इतनी भारी रकम खर्च करने से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार ने ग्रामीण आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाओं की योजनाएं बना कर शानदार परिणाम प्राप्त किए हैं। तमिलनाडु में 5 वर्ष में 61,396 गांवों में बिजली लगाई गई है जबकि कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन काल में केवल 20,250 गांवों में बिजली लगाई गई थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाएं बनाई जाएं तो धन का उचित उपयोग होता है और उससे सरकार को भी लाभ मिलता है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने हमारे गांवों के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने के बाद एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति सम्बन्धी क्षमता का उपयोग करने के लिये विकास के प्रति समुच्य ग्राम दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। इस सिफारिश को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम के अतिरिक्त

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

और कैसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है । इसमें सामुदायिक विकास परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। परन्तु शासक कांग्रेस दल की योजनाएं कागजी कार्यवाही मात्र रह गई है । कांग्रेस शासी राज्यों में कई वर्षों से पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव ही नहीं हुए। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में बी०डी० मेहता कमेटी नियुक्त की थी । मैं पूछना चाहता हूं कि उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ? महात्मा गांधी ग्राम राज स्थापित करना चाहते थे परन्तु कांग्रेसी सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई प्रयत्न नहीं किया ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjunu) : Panchayati Raj institutions were established in right earnest and I may submit that Rajasthan was the first state where Panchayati Raj was established. Panchayati Raj institutions were given administration powers for development at village level. But unfortunately, it became a source of confrontation among the villagers. District Panchayats and village committees have got no rights. We have not yet decided whether there would be two-tier system or three-tier system. Efforts have been made to give more rights to Panchayats and improve their economic lot but nothing has been achieved so far. It has been provided in this Bill that various projects should be executed through Panchayats and Zila Parishads. The planning of projects should be based on rural or local level. The villagers should have a feeling of participation in the development work. But Central and State Governments have overlooked this vital aspect. Either the whole system should be scrapped or they should be given more powers and resources to make it effective.

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : इस विधेयक के सिद्धान्तों का सभा के सभी वर्गों ने समर्थन किया है। इस विधेयक के प्रस्तावक श्री रणबहादुर सिंह को मैं निजी रूप से जानता हूं। उन्हें हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं की पर्याप्त जानकारी है । उन्होंने जो मामले उठाये हैं उनके दो पहलू हैं । पहली बात यह है कि भारत में पंचायती राज को क्या भूमिका अदा करनी है ? हमारी अर्थव्यवस्था में और विशेषकर ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था किस प्रकार कारगर सिद्ध हो सकती है ?

जहां तक पहली बात का प्रश्न है, माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। स्वभावतया तैयार किये गये विधेयक के मसौदे की सीमाएं हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं अतः यदि सभा उक्त विधेयक को स्वीकार करती हैं तो इससे अनेक कठिनाइयां आयेंगी ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय सदस्य का मुख्य उद्देश्य देश में पंचायत राज की भूमिका की ओर सभा तथा देश का ध्यान आकर्षित करना है। वह इस सम्बन्ध में सफल रहे हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि सभा के सब वर्गों ने इस विधेयक में निहित सिद्धांतों का व्यापक रूप से समर्थन किया है । मेरा यह मत है कि यदि देश में समुचित तथा वास्तविक रूप में पंचायत राज की स्थापना हुई होती तो आज हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता ।

वास्तविक पंचायत राज से मेरा अभिप्राय वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित निकायों से है। इन पंचायत निकायों को योजना तथा विकास की गतिविधियों में अधिकाधिक रूप से भाग लेना चाहिए जिसकी आज देश में कमी है। इन पंचायत निकायों को दलित वर्ग को महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए क्योंकि उस बारे में शिकायत है कि पंचायत निकायों में कभी-कभी गांवों के प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभाव होता है। अत: जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है ऐसी नई व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे समाज के दलित वर्गों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। भारत सरकार ने भी उक्त स्थिति को स्वीकार किया है ।

बलवन्तराम मेहता समिति ने इस समस्या पर विचार करते समय यह सुझाव दिया था कि यह केवल गांवों पर ही नहीं वरन् पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर भी लागू किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी देश में पंचायत राज की स्थिति को स्वीकार किया था लेकिन यह बात कही थी कि चूंकि देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तथा भू-काश्तकारी प्रणालियों में व्यापक भिन्नता है । अतः भारत में एक समान पंचायत राज लागू नहीं हो सकता ।

सरकार ने राज्य सरकारों को इन सिद्धांतों के अनुसार पंचायत कानून बनाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त 'तीन टायर' कार्यक्रम तैयार किया गया है। मेरा अपना मत यह है कि शायद 'दो टायर' कार्यक्रम उचित रहेगा क्योंकि एक से अधिक एजेंसियों के विद्यमान होने से कठिनाइयां बढ़ेंगी।

शक्ति और दायित्व का वास्तविक अन्तरण होना चाहिए। कार्यक्रमों के विकास के लिए पर्याप्त स्रोत उपलब्ध होने चाहिएं। इस मामले में सरकार की यही राय है।

अतः नीति के बारे में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारा देश बहुत विशाल है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई संस्थागत ढांचा तैयार न करने के कारण हमें बिहार, उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश अथवा अन्य राज्यों मे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राज्य इतने बड़े हैं कि उन पर दिल्ली अथवा राज्य की राजधानियों से शासन करना सम्भव नहीं हैं। अतः संस्थागत ढांचे के निर्माण के लिए इन निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। भारत सरकार का इस समस्या के प्रति यही दृष्टिकोण है। दुर्भाग्य से अनेक राज्यों ने ये सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं और यही मुख्य कठिनाई है।

भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से पंचायत राज राज्य का विषय है। शायद कुछ माननीय सदस्य यह प्रश्न उठा सकते हैं कि अब आपात् स्थिति है और अनुच्छेद 250(1) के अन्तर्गत भारत सरकार और संसद् को राज्य की सूचि के अन्तर्गत आने वाले विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि आपात् स्थिति में संसद् कानून पास कर सक्ती है परन्तु यह अनुच्छेद 251 के अधीन होगा जिसमें कहा गया है कि यदि राज्य सरकारें छह महीने के अन्दर उसी प्रकार का कानून नहीं बनाती हैं तो संसद द्वारा बनाए गये कानून अमान्य हो जाएंगे। ऐसे कोई बाधक कारण नहीं है कि भारत सरकार को कानून पास करना पड़े। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि जिला कल्याण परिषदें होनी चाहिएं। विधेयक के उपबन्धों के अनुसार पंचायती राज और जिला परिषद् का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की एक अतिरिक्त परिषद् बनाकर किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। इस विधेयक के कारण जिन संस्थाओं का जन्म होगा वे वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होंगी। इसके अलावा निर्बल वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध हैं कि विधेयक को वापिस ले लिया जाये, यहां पहिले ही पंचायती राज सम्बन्धी सलाहकार समिति है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं वे इस समिति को भेजें जायेंगे। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्योंकि यह पार्टी कभी नहीं मानेगी कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का कानून बनाये। द्रविण मुन्नेत्र कणगम सरकार प्रत्यक्ष चुनाव तथा वयस्क मताधिकार द्वारा पंचायती संस्थाओं को जन्म दे सकती हैं और इसमें केन्द्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मन्त्री महोदय ने मेरे विधेयक की त्रुटियों को उजागर किया है। वास्तव में मैंने दो विधेयक प्रस्तुत किये थे जिसमें विधेयक संख्या 36 को स्वीकार नहीं किया गया। यदि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाता तो पहले वाले विधेयक में उठाई गई त्रुटियों का निवारण हो जाता, राज्य का विषय होने के नाते मैं इस विधेयक को विकास तथा योजना के नाम पर लाया हूं। मुझे विश्वास है कि इस मामले को, कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता को शामिल किया जाना चाहिए, सभा में विचार के लिए रखा जायेगा। सरकार स्वयं इस नीति की समर्थक है पर उसमें एक दोष है और वह यह है 'कि आप काम करिए और हम शासन चलाएंगें,' विधेयक को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि ऐसी नीति अब काम नहीं करेगी, सरकार को उनके साथ स्वयं काम करना चाहिए और उनके साथ ही शासन चलाना चाहिए। यदि आप पंचायतों के चुनाव 7-10 साल तक नहीं कराते हैं तो ग्रामीण जनता इस पंचायती व्यवस्था पर से अपना विश्वास खो बैठेगी, यह पंचायत संबंधी कानूनों की त्रुटियां हैं, पंचायतों को स्वयं शासन चलाने के अधिकार न देने का यह कारण बताना गलत है कि उनकी प्रशासनिक कुशलता अथवा नैतिकता निम्न स्तर की है। इसके अलावा हमारे देश में वर्तमान करों का ढांचा और अधिक वित्तीय भार सहन नहीं कर सकता और इसलिए हम जब तक जनता को समानता के आधार पर संगठित नहीं करते हैं तो उससे समाज सेवाओं के स्तर को ढहते देर नहीं लगेगी इसलिए मैं सभा के विचारार्थ तीन-चार मुद्दे रखूंगा।

पहला यह है कि पंचायत स्तर पर सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यह कहा गया है कि गांवों में बड़े लोग जनता का शोषण कर रहे हैं। इसका परिहार सभी लोगों को सदस्य बनाने और कार्य में सर्वसमति लाने में हैं, गांव की पंचायत में यदि आम व्यक्ति को विशेषाधिकार मिल जाता है तो वह यह अनुभव कर सकेगा

कि वह भी इस देश का स्वतन्त्र नागरिक है, वर्तमान स्थिति में सर्वसम्मति का होना संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न भूमि वितरण से है जिसने हमारा ध्यान पिछले 20 वर्षों से आकर्षित किया हुआ है। यदि भूमि वितरण का कार्य इस प्रकार से ऐसे, पंचायतों को सौंपा जाता है तो समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी क्योंकि वर्तमान भूमि वितरण कानून सरकारी मशीनरी पर आधारित है और सरकारी मशीनरी के पास यह जानने का जरिया नहीं है कि भूमिहीन कौन है। तीसरा, पंचायतों को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी होना चाहिए, यह नहीं है कि पंचायतों को भू-राजस्व का कुछ भाग दिया जाए अपितु पंचायत के प्रत्येक सदस्य को अपनी वार्षिक आय का 1/30 भाग पंचायत को दे देना चाहिए। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि भूमि का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, और न्यास के आधार पर भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए।

माननीय सदस्यों का भी यही मत है कि एक समिति बनाई जाये। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिलाया है कि वह इस मामले को विद्यमान समिति के ध्यान में लायेंगे। संविधान की सातवीं अनुसूची में मद संख्या 97 के अन्तर्गत पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं तथा वे सुचारू रूप से लागू किए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार करें। इस विधेयक को लाने का यही उद्देश्य था। यदि वह इस पर विचार करेंगे तो मैं अपना विधेयक वापस ले लूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंचायत राज के विभिन्न लोकतन्त्रीय और शासकीय अभिकारणों के माध्यम से आयोजन तथा विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री रणबहादुर सिंह : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आगामी अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा में आधे घंटे की चर्चा होगी ?

---

*निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्पत्ति की घोषणा
*DECLARATION OF ASSETS BY THE ELECTED REPRESENTATIVES

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय ! प्रश्न निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्पत्ति की घोषणा किये जाने के बारे में था। चर्चा के आरम्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी की महाराष्ट्र शाखा ने अपने सभी

*आधे घंटे की चर्चा
*Half-an-hour discussion

निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह आदेश दिया था कि वे अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें। आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सोशलिस्ट पार्टी के संसद सदस्यों के अतिरिक्त नगर निगमों के सदस्यों ने भी अपनी-अपनी सम्पत्ति की घोषणा की थी तथा उस विवरण को प्रकाशित भी किया गया।

इस प्रक्रिया का केवल विपक्षी दल के सदस्यों ने ही अनुसरण नहीं किया अपितु श्री मोहन धारिया ने भी मन्त्री बनने पर अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त विपक्ष के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उपलब्ध कराया। मैं चाहता हूं कि इस प्रक्रिया का सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, विशेषकर मंत्रीगण, अनुसरण करें।

लाइसेंस काण्ड के बारे में 87 घंटे तक चर्चा चली तथा यह ऐसी घटना है जिससे सभी संसद सदस्यों का सिर लाज से झुक जाता है तथा उन्हें जनता के समक्ष जाने में लाज आएगी। वास्तव में केवल मंत्री ही विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं वरन् साधारण सदस्य भी शक्ति सम्पन्न हैं क्योंकि व्यापारी आदि उनको भी खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोग विधायकों तथा संसद सदस्यों को लालच देकर प्रजातन्त्र प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं। इस स्थिति को टालने के लिए वैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं जानता हूं कि कुछ व्यापारी कुछ संसद सदस्यों को लालच देते हैं कि वे कुछ अन्य व्यापारियों के विरुद्ध प्रश्न करें जिससे उनके अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके। उसका यह परिणाम होता है कि कुछ उद्योग बन्द हो जाते हैं। यह रवैया भी समाप्त किया जाना चाहिए। बहुत से विधायक अपनी आय से भी अधिक खर्च करते हैं किन्तु इस बात को सदन में कोई नहीं उठाता। वास्तव में हमारे आचरण के बारे में सभी स्थानों पर चर्चा होती है।

मन्त्री महोदय ने पिछली बार एक लिखित उत्तर में कहा है कि वे आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। प्रधानमन्त्री ने भी इस प्रकार का ही एक वक्तव्य दिया था। यह वक्तव्य साधारणतः जनसाधारण को उपलब्ध नहीं होते। यदि इस प्रकार के वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाएं और जनसाधारण को उपलब्ध हो जाएं और किसी ऐसे मामले में यदि लोग यह महसूस करें कि कहीं कुछ गोलमाल हुआ है तो जनता के मंच से प्रश्न उठ सकते हैं। यदि इन मामलों पर उचित रूप से प्रकाश डाला जाये तो सम्भवतः विशेषाधिकार के प्रश्न ही नहीं उठेंगे। सम्भवतः जनता की आवाज के माध्यम से ऐसी आलोचनाएं करें तो कम से कम संसद सदस्य यह अवश्य महसूस करेंगे कि उन्हें अपने तौर-तरीके बदलने चाहियें।

यदि किसी प्रशासनिक रिपोर्ट के पेश किये जाने में विलम्ब हो तो इसके कोई भी आर्थिक परिणाम नहीं होंगे लेकिन टैरिफ आयोग जैसे आयोग के महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के पेश किये जाने में विलम्ब हो तो इससे गम्भीर आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं जिससे मूल्य पर बहुत असर पड़ सकता है। अतः, न केवल मन्त्री ही अपितु इस सदन के दोनों ओर के निर्वाचित सदस्यों को भी ऐसा ही करना चाहिये।

अतः अन्त में मैं यही कहूंगा कि कोई कानूनी व्यवस्था न होने पर भी हमें विपक्ष के नेताओं तथा सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ सहमति करके एक आचार सहिता तैयार करनी चाहिए। जब तक कानून द्वारा सांविधिक और वैधानिक उपबंध नहीं होते तब तक हमें अपनी पुरानी परम्पराएं निभानी चाहिएं और प्रत्येक संसद-सदस्य तथा विधान मंडलों के सदस्य को अपनी सम्पत्ति की घोषणा सम्बन्धी वक्तव्य देना चाहिये।

श्री के० गोपाल (करुर) : क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि हर माननीय सदस्य को संसद में शपथ-ग्रहण करने से पहले परिसम्पत्तियों और आस्तियों की एक विवरणिका प्रस्तुत करनी होगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक सदस्य को विवरणिका प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा?

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि मन्त्रियों सम्बन्धी आचार संहिता के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्यों के मन्त्रियों को प्रधान मन्त्री अथवा मुख्य मन्त्री को अपनी परिसम्पत्तियों और आस्तियों की घोषणा करनी पड़ती है और इसके बारे में उन्हें वार्षिक तालिका भी भेजनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र के 61 मन्त्रियों में से कितने मंत्रियों ने इस प्रकार की तालिकायें भेजी हैं? उनमें से कितने मन्त्री प्रधान मन्त्री को वार्षिक विवरणिकायें भेज रहे हैं? आजादी के 27 वर्षों के दौरान मंत्रियों के नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई है। कुछ समय पहले मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर जांच होती थी, जैसे कि पं० नेहरू के समय भी एक, दो बार जांच हुई थी। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह पता लग सके कि क्या मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत विवरणिकायें ठीक हैं अथवा नहीं। मैं चाहता हूं कि संसद सदस्यों तथा मन्त्रियों द्वारा

*बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

प्रस्तुत विवरणिकाओं की छानबीन करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन किया जाये । इससे मन्त्रियों और संसद-सदस्यों के विरुद्ध व्याप्त संदेह दूर हो जायेगा ।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं कह चुका हूं कि पहले ही ऐसी व्यवहार संहिता है जिसके अनुसार मन्त्रियों को प्रधान मन्त्री को या मुख्य मन्त्रियों को, यथास्थिति, अपनी अथवा अपने परिवार के सदस्यों की देनदारियों और आस्तियों की जानकारी देनी होती है । अपनी आस्तियों और देनदारियों की वार्षिक घोषणा भी करनी होती है । इन्हें गोपनीय दस्तावेज समझा जाता है । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसके अनुसार अन्य निर्वाचित सदस्यों को ऐसी घोषणा करनी होती है ।

इस प्रश्न पर पहले अनेक बार विचार किया जा चुका है कि क्या सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी आस्तियों और देनदारियों को सार्वजनिक रूप से घोषित करना चाहिए । हाल ही में संसद की दो समितियों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है । एक समिति चुनाव सुधारों के बारे में थी, जिसके सभापति स्वयं अध्यक्ष महोदय थे ।

श्री मधु दंडवते : समय समय पर जो संवैधानिक संशोधन जरूरी समझे गये, वे हम करते ही आये हैं ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता । संसद की दूसरी समिति एक संयुक्त प्रवर समिति थी जिसने राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम पर विचार किया था । इस विषय पर फिर भी कोई सिफारिश नहीं की गई थी । यदि इस बात पर बल दिया जाना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि घोषणा करें और उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाये तो इस सम्बन्ध में छोटी आपत्तियों के बारे में सावधानी के लिए उपाय करने होंगे ।

इस सम्बंध में एक और पहलू यह है कि आस्तियों और देनदारियों की केवल घोषणा से चोरी छिपे या बेनामी ढंग से धन अर्जित करने को नहीं रोका जा सकेगा ।

अतः अधूरी घोषणाओं और ऐसे मामलों के विरुद्ध भी उपायों की व्यवस्था करनी होगी । मुझे आशा है कि यह सभा उचित समय पर इन सब पहलुओं की ओर ध्यान देगी ।

अपने उत्तर में मैंने देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों में अपना गहरा विश्वास व्यक्त किया था । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करते समय इस बात पर विचार किया जा सकता है कि अपनी निर्वाचन अवधि में अपार सम्पत्ति बनाने वाले प्रतिनिधियों की निर्वाचनों में अर्हता समाप्त की जाये अथवा नहीं ? देनदारियों और आस्तियों की घोषणा मात्र से तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा ।

माननीय सदस्य ने न केवल संसद सदस्यों अपितु सभी निर्वाचित सदस्यों को अपने प्रस्ताव में सम्मिलित किया है जिनकी संख्या लाखों में पहुंचती है । माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह संसद तथा विधान सभाओं तक ही सीमित रखना चाहते हैं या श्री मोहन धारिया द्वारा किया गया । अतएव मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । यदि गलत घोषणाएं कर दी जाती हैं तो इसका कोई समाधान नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं समझता हूं कि आप श्री मोहन धारिया के कृत्य का खंडन नहीं करते ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं न तो इसका अनुमोदन करता हूं और न ही निरानुमोदन ही ।

संसद सदस्यों को व्यवसायिक लोगों के जाल से मुक्त रखने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है ।

आखिर निर्वाचित सदस्य जनता में ही रहते हैं और यदि वे लोग भ्रष्ट आचरण द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को धब्बा लगाते हैं तो जनता उन्हें आगामी निर्वाचनों में परास्त कर सकती है ।

मैं समझता हूं कि सभी मंत्रियों ने प्रधान मंत्री को अपनी देनदारियों और आस्तियों का ब्यौरा दे दिया होगा । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने ब्यौरा दे दिया है ।

समिति गठित किये जाने का प्रश्न अभी नहीं उठता । इस मामले पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, 1974/25 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 16th December, 1974/ Agrahayana 25, 1896 (Saka)

MGIPNLK 5/Lok Sabha/75—17-6-75—200 Copies